अ–एक

क्र.अविविनिलि/उपमु. अ./क्रय एवं योजना /अनु एसटीडीपी/फा /प्रे. 1823 दि. 13 फरवरी 01

## परिपत्र

जलदाय विभाग को तुरन्त विद्युत कनेक्शन जारी करने बाबत् तत्कालिन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सदस्य (वित्त) के पत्र क्रमांक राराविमं/स(वि)/प. 264/प्रे. 1048 दिनांक 27.4.2000 द्वारा निर्देश दिये गये कि जलदाय विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने पर कि उक्त कनेक्शन की मांग की राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जावेगी, मांग पत्र की राशि जमा कराने का इन्तजार किये बिना तुरन्त विद्युत कनेक्शन दे दिया जावें।

उपरोक्त आदेश को पत्र क्रमांक राराविमं/स(वि) प. 264 प्रे. 1747 दिनांक 7–7–2000 द्वारा संशोधन करते हुए निर्देश दिये गये कि सभी जलदाय विभाग के कनेक्शनों की मांग पत्र की राशि प्राप्त होने पर ही कनेक्शन दिये जावें।

राजस्थान प्रान्त अकाल की विभिषीका से त्रस्त होने की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के पत्रांक एफ–12(4)/ऊर्जा/2000 दिनांक 27.1.2001 के क्रम में यह निर्देश जारी किये जाते है कि जलदाय विभाग के सभी लम्बित एवं भविष्य में मांगे जाने वाले कनेक्शनों को जलदाय विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से ''भविष्य में शीघ्र ही मांग पत्र की राशि जमा करवा दी जायेगी'' की अण्डर टेकिंग लेकर कनेक्शन तुरन्त कर दिये जावें।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई–अज–2

क्र.अविविनिलि/अअ(योजना)अजमेर /प्रे. 1221 दि. 31 मई 2001

## आदेश – 164

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वाणिज्य –अज–6 जो दिनांक 11.10.2000 द्वारा जारी किया गया था, के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं को दिनांक 31.12.2000 तक अपने बढे हुए विद्युत भार के नियमन हेतु स्वैच्छिक घोषणा करने की सुविधा प्रदान की गई थी। जन प्रतिनिधियों एवं उपभोक्तओं की मांग पर इस सुविधा का विस्तार इस निगम के वाणिज्य आदेश – अज– 23 द्वारा दिनांक 30.4.2001 तक कर दिया गया था।

जन प्रतिनिधियों एवं कृषि उपभोक्ता इस सुविधा के विस्तार के लिए निरन्तर मांग कर रहे है क्योंकि प्रदेश में अकाल के कारण अधिकांश कृषि उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके है।

अत: उपरोक्त मांग पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि अब उपभोक्ता बढे हुए भार का नियमन दिनांक 30.6.2001 तक करवा सकते है। आदेश संख्या 600 दिनांक 11.10.2000 (वाणिज्य–अज–6) में वर्णित चार्जेज अमानत राशि एवं अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-3

क्रमांक/अविविनिलि/अअ(योजना)/प्रे. 1350 दिनांक 7 जून 2001

## आदेश

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वाणिज्य परिपत्र-अज-7 जो दिनांक 13.10.2000 द्वारा अघरेलू एवं औद्योगिक श्रेणी (लघु एवं मध्यम) के उपभोक्ताओं को दिनांक 31.12.2000 तक अपने बढे हुए भार को स्वैच्छिक घोषणा कर नियमन कराने की सुविधा की मांग पर निगम के वाणिज्य आदेश - अज - 16 द्वारा दिनांक 31.3.2001 तक बढा दिया गया था।

जन प्रतिनिधि एवं उपभोक्तओं द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है कि इस सुविधा को ओर बढाया जावे ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा सके।

अत: उपरोक्त मांग पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि अघरेलू एवं औद्योगिक श्रेणी (लघु एवं मध्यम) के उपभोक्ता अपने बढ़े हुए भार को स्वयं घोषित कर दिनांक 30.06.2001 तक नियमित करवा सकते हैं। आदेश संख्या 633 दिनांक 13.10.2000 (वाणिज्य-अज-7) में दर्शाये गये चार्जेज अमानत राशि व अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई-अज-4

क्र.अविविनिलि/अअ(योजना)अजमेर /प्रे. 1834 दिनांक 30 जून 2001

## आदेश-248

विषय:- गांवों में विद्युत सप्लाई प्रदान करने के सम्बन्ध में

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 18.6.2001 में गांवों की शहरी क्षेत्र की तरह विद्युत सप्लाई प्रदान करने की सम्बन्ध में चर्चा कर निम्नांकित निर्णय लिये गये है :-

1. तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय, नगर पालिका से परिवर्तित कर ग्राम पंचायत मुख्यालय बने ग्राम तथा 1991 की जनगणनानुसार जिन गांवों की आबादी 5000 या उससे अधिक है ऐसे गांवों में विद्युत सप्लाई निरन्तर दी जावे।

2. ऐसे गांवों में यदि विद्युत तंत्र उपलब्ध है तो उनमें से कुओं के कनेक्शन दूसरे ग्रामीण फीडरों पर परिवर्तित कर दिये जावे।

3. ऐसे जिन गांवों में जहां विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है वहां पर तीन माह के अन्दर-अन्दर नया विद्युत तंत्र का विस्तार करके (2-3 किलोमीटर तक 11 के.वी. लाईन तथा आवश्यकता होने पर 11/0.4 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित करके) निरन्तर विद्युत सप्लाई देने की कार्यवाही की जावे।

4. ऐसे गांवों में जहां निरन्तर सप्लाई दी जावेगी, के घरेलू कनेक्शनों की दर वर्तमान में दी जा रही 10 प्रतिशत की विद्युत उपयोग की दर में छूट, उपलब्ध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य श्रेणी में भी विद्युत दर ग्रामीण क्षेत्र की दर से लागू है तो वह दर भी शहरी क्षेत्र की दर से ली जावेगी।

5. यदि किसी कारणवश कुओं के कनेक्शन उक्त आबादी क्षेत्र में ही रह जाते है तो उस पर नियमानुसार विद्युत दर शहरी क्षेत्र में लागू कृषि दर से ली जावेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

(करणी सिंह. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-5
क्रमांक/अविविनिलि/अअ(योजना)अजमेर /प्रे. 1863 दिनांक 2 जुलाई 2001

## आदेश-259

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आर.ई.-अज-2 दिनांक 31.5.2001 के द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को दिनांक 30.6.2001 तक अपने बढे हुए विद्युत भार के के नियमन हेतु स्वैच्छिक घोषणा करने की सुविधा प्रदान की गई थी, इस सुविधा को अब दिनांक 15.7.2001 तक बढाया जाता है।

अत: कृषि उपभोक्ता अपने बढ़े हुए विद्युत भार की स्वैच्छिक घोषणा कर, 700 रूपये हार्स पावर (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्जेज सम्मिलित है) की दर से नियमन चार्जेज जमा करा कर दिनांक 15 जुलाई 2001 तक नियमित करवा सकते है। बढ़े हुए कृषि भार के नियमन से यदि 11 के.वी. लाईन व ट्रान्सफार्मर क्षमता बढानी पड़ती है तो यह कार्य निगम अपने खर्चे पर करेगा व अन्य शर्ते पूर्ववत जारी (वाणिज्य-अज-6) के अनुसार रहेगी।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-6
क्रमांक/अविविनिलि/अअ(योजना)अजमेर /प्रे. 1864 दिनांक 2 जुलाई 2001

## आदेश-260

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आर.ई.-अज-3 दिनांक 7.6.2001 के द्वारा अघरेलू एवं औद्योगिक श्रेणी (लघु एवं मध्यम) के उपभोक्ताओं को अपने बढे हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा कर नियमन कराने की सुविधा दिनांक 30.6.2001 तक प्रदान की गई थी को अब दिनांक 15.7.2001 तक बढाया जाता है।

ऐसे सभी अघरेलू एवं औद्योगिक श्रेणी (लघु एवं मध्यम) के उपभोक्ता जिनका विद्युत भार स्वीकृत भार से ज्यादा है, बढे हुए भार को स्वयं घोषित कर दिनांक 15.7.2001 तक नियमित करवा सकते है। आदेश संख्या 633 दिनांक 13.10.2001 (वाणिज्य -अज-7) में दर्शाये गये चार्जेज अमानत राशि व अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-7

क्रमांक/अविविनिलि/अअ(योजना)अजमेर /प्रे. 2135 दिनांक 13 जुलाई 2001

## आदेश-301

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आर.ई.-अज-5 दिनांक 2.7.2001 के द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को दिनांक 15.7.2001 तक अपने बढे हुए विद्युत भार के नियमन हेतु स्वैच्छिक घोषणा करने की सुविधा प्रदान की गई थी, इस सुविधा को अब दिनांक 31.7.2001 तक बढाया जाता है। अत: कृषि उपभोक्ता अपने बढे हुए विद्युत भार की स्वैच्छिक घोषणा कर 700 रूपये हार्स पावर (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्जेज सम्मिलित है) की दर से नियमन चार्जेज जमा करा कर दिनांक 31 जुलाई 2001 तक नियमित करवा सकते है।

बढ़े हुए कृषि भार के नियमन से यदि 11 के.वी. लाईन व ट्रान्सफार्मर क्षमता बढानी पड़ती है तो यह कार्य निगम अपने खर्चे पर करेगा व अन्य शर्ते पूर्ववत जारी (वाणिज्य-अज-6) के अनुसार रहेगी।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-8

क्रमांक/अविविनिलि/अअ(योजना)अजमेर /प्रे. 2134 दिनांक 13 जुलाई 2001

## आदेश-300

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आर.ई.-अज-6 दिनांक 2.7.2001 द्वारा अघरेलू एवं औद्योगिक श्रेणी (लघु एवं मध्यम) के उपभोक्ताओं को अपने बढे हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा कर नियमन कराने की सुविधा दिनांक 15.7.2001 तक प्रदान की गई थी को अब दिनांक 31.7.2001 तक बढाया जाता है। ऐसे सभी अघरेलू एवं औद्योगिक श्रेणी (लघु एवं मध्यम) के उपभोक्ता जिनका विद्युत भार स्वीकृत भार से ज्यादा है, बढे हुए भार को स्वयं घोषित कर दिनांक 31.7.2001 तक नियमित करवा सकते है। आदेश संख्या 633 दिनांक 13.10.2000 (वाणिज्य -अज-7) में दर्शाये गये चार्जेज अमानत राशि व अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-9

क्रमांक/अविविनिलि/अवप्र/अज/प्रे. 2328 — दिनांक 26 जुलाई 2001

## स्पष्टीकरण

विषय:- विद्युत चोरी करते पाये गये कृषको के स्वत: कनेक्शन के मांग पत्र मे अन्तर की राशि का नोटिस जारी करने के क्रम में।

मंडल के आदेश संख्या राराविम/अनुज/ग्रावि-अनु09 प्रे. 51 दिनांक 22.6.2000 के पैरा 15 (ब) के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदक/गैर आवेदक विद्युत चोरी करते पाये जाने पर कम्पाउडिंग चार्जेज की राशि जमा करवाने के पश्चात स्पेशल स्कीम में कनेक्शन देने का प्रावधान था तथा 11 के.वी. फीडर के वी.आर. 8% से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि जमा करवाकर कनेक्शन देने का प्रावधान था। ऐसे कृषको ने कम्पाउडिंग राशि जमा करवाकर स्पेशल श्रेणी मे आवेदन के पश्चात कनेक्शन को चालू रखने के लिये रू. 11,000/- व छ: माह के विद्युत उपभोग की राशि जमा करवाकर स्वत: कनेक्शन चालू कर लिया था व उसकी छ: माह की अवधि पूरी हो चुकी है, परन्तु उक्त कृषकों को अन्तर की राशि के मांग पत्र 11 के.वी. लाईन के वी. आर. अधिक होने व अन्य कारणो से अभी तक जारी नही किये गये है तथा स्वत: कनेक्शन की अवधि भी नही बढायी गई है अत: इस बारे में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये जाते है :-

1. जिन कृषकों की स्वत: कनेक्शन की अवधि समाप्त हो गई है, उनसे समाप्त होने की तिथि के अगले छ: माह के विद्युत उपभोग की राशि रू. 145/- प्रति हा.प्रा.प्रति माह की दर से जमा करवाकर स्वत: कनेक्शन की अवधि छ: माह के लिये बढायी जावे।
2. ऐसे कृषकों को उक्त आदेशानुसार स्पेशल स्कीम के तहत वी.आर. चार्ज सहित मांग पत्र के अन्तर की राशि का नोटिस जारी कर दिया जावे तथा उक्त राशि जमा होने के पश्चात शीघ्र कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावे।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-10

क्रमांक/अविविनिलि/अधी. अभि.(योजना)अनु.योजना/फा./प्रे. 2711 — दिनांक 17 अगस्त 2001

## परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र आर.ई.अ.ज. 1 क्रमांक:- अविविनिलि/उ.प.मु.अ./क्रय एवं योजना/अनु.एसटीडीपी/फा. /प्रे. 1823 दिनांक 2.2.2001 के तहत जलदाय विभाग के सभी लम्बित एवं भविष्य में मांगे जाने वाले कनेक्शनों को जलदाय विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से ''भविष्य में शीघ्र ही मांग पत्र की राशि जमा करा दी जायेगी'' कि अण्डर टेकिंग लेकर तुरन्त कनेक्शन देने हेतु आदेश जारी किये गये थे। उक्त वर्णित आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। भविष्य में मांग पत्र की राशि जमा कराने के पश्चात व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद ही कनेक्शन दिये जावें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-11

क्रमांक/अविविनिलि/अधी. अभि.(योजना)अनु.योजना/फा./प्रे. 2728 दिनांक 17 अगस्त 2001

## परिपत्र

वर्ष 2001-2002 के लिए निर्धारित कृषि नीति के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान तय पंचायत समितिवार ''कट-ऑफ-डेट'' के सभी सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

इस संदर्भ में आदेश दिये जाते है कि निर्धारित ''कट-ऑफ-डेट'' तक के जिन सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों के मांग पत्र जारी नहीं किये जा सके है, उन्हें अविलम्ब मांग पत्र जारी कर कनेक्शन दे दिये जाये, लेकिन जिन कृषि आवेदकों के कनेक्शन 8 प्रतिशत वोल्टेज रेग्यूलेशन से ज्यादा रेग्यूलेशन वाले 11 के.वी. फीडरो पर पडते है को मांग पत्र अभी जारी नहीं किये जावें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-12

क्रमांक/अविविनिलि/अधी. अभि.(योजना)अनु.योजना/प्रे. 2844 दिनांक 23 अगस्त 2001

## परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र आर.ई.अ.ज. -11/क्रमांक अविविनिलि/अधी.अभि(योजना)/ अनु. योजना /प्रे. 2728 दिनांक 17.8.2001 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लम्बित कृषि उपभोक्ताओं के मांग पत्र जारी करने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में अब अन्य कृषि श्रेणियों के लम्बित आवेदनों के निस्तारण हेतु निम्न आदेश दिये जाते है :-

1. स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत सभी लम्बित आवेदकों, जिनके 11 के.वी. वी.आर. 8 प्रतिशत की सीमा में है, के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन दिये जावें।

2. अनुसूचित जन जाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) के अन्तर्गत सभी लम्बित अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को जिनकी 11 के.वी. वी.आर. 8 प्रतिशत की सीमा में है, के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन दे दिये जावें।

3. जिन कृषि आवेदकों के मांग पत्र निर्धारित ''कट-ऑफ-डेट'' के तहत 11 के.वी. का वी.आर. 8 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण नहीं जारी किये गये थे यदि अब ऑगमन्टेशन होने के कारण 11 के.वी. का वी.आर. 8 प्रतिशत की सीमा में आ गया है तो उनके भी मांग पत्र जारी कर, कनेक्शन दे दिये जावें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-13

क्रमांक/अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि./अनु.अधीक्षण अभि.(योजना)/फा./प्रे. 3045 दि. 30-8-01

## परिपत्र

विषय :- वर्ष 2001-2002 में कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध में ।

वर्ष 2001-2002 में कृषि कनेक्शन देने के लिए विद्युत निगमों की समन्वय समिति की बैठक दिनांक 1-6-2001 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :-

1. सभी वितरण कम्पनियों के लिए इस वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कुल 15000 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अत: अधीक्षण अभियन्ता (पवस) यह सुनिश्चित करे कि उनके वृत्त के लिए दिये गये कृषि कनेक्शनों के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कनेक्शन नहीं दिये जायें।

2. (अ) स्पेशल श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिए नये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावें। इस सम्बन्ध से पूर्व में आदेश क्रमांक 1298 दिनांक 20.12.2000 जारी कर दिये गये है। लेकिन जो प्रार्थना पत्र इस श्रेणी में प्राप्त हो चुके है तथा अभी तक उनके मांग पत्र जारी नहीं किये गये है उनमें से सभी तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को इसी वर्ष में मांग पत्र जारी कर लक्ष्यानुसार कनेक्शन देने है। स्पेशल श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व में जारी किये गये जिन आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि अभी तक जमा नहीं कराई है उन्हें 30 दिवस के अन्दर-अन्दर मांग पत्र की राशि जमा कराने तथा जमा नहीं होने पर आवेदन पत्र रद्द होने का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावे तथा उक्त समय में राशि जमा नही होने पर उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिये जावें।

(ब) वर्ष 2001-2002 में सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदनों की कट-ऑफ-डेट पिछले वित्तीय वर्ष 2000-2001 पंचायत समितिवार कट-ऑफ-डेट ही रहेगी, जिसका विवरण संलग्न है। परन्तु जिन आवेदकों के नाम पिछले वर्ष की कट-ऑफ-डेट में शामिल थे तथा किसी कारण वश डिमाण्ड नोट जारी नहीं हो सके हैं, उनमें से सभी तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को इसी वर्ष में मांग पत्र जारी करने है।

3. राज्य के अनुसूचित जाति के तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के जितने भी सामान्य श्रेणी कनेक्शन हेतु 31 मार्च 2001 तक प्रार्थना पत्र लम्बित है उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष 2001-2002 में मांग पत्र जारी करने है।

4. सामुदायिक जलोत्थान योजना में जितने भी प्रार्थना पत्र कनेक्शन लेने हेतु लम्बित है तथा इसी वित्तीय वर्ष में जो नये आवेदन प्राप्त होते है उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष में ही लाईन की पूरी कीमत एवं ट्रान्सफोरमेशन चार्जेच रूपये 1450 प्रति हार्स पावर की दर से मांग पत्र जारी करने है। उक्त आवेदकों के मांग पत्र जमा होने पर एवं पूर्व में जिन आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करा दी है, उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष में कनेक्शन देने है।

5. सामान्य एवं स्पेशल श्रेणी के ऐसे आवेदकों को जिनके 11 के.वी. लाईन के वी.आर. 8 प्रतिशत

से अधिक होने के कारण मांग पत्र जारी नहीं किये गये है तथा उनकी अगली प्राथमिकता के आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिये है, ऐसे छूट गये आवेदकों के 11 के.वी. लाईन के वी.आर. सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 प्रतिशत से कम हो गये है तो उनके मांग पत्र इसी वित्तीय वर्ष में जारी करने है तथा शेष आवेदकों 11 के.वी. लाईन के जब वी.आर. 8 प्रतिशत से कम हो जावें, उनको मांग पत्र तत्काल जारी कर दिये जावें।

6. जिन आवेदकों ने कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र की राशि जमा कराके 'एल फार्म' (विद्युत फिटिंग करवाकर) प्रस्तुत कर दिये है, उनको माह का आधार मानते हुए प्राथमिकतानुसार कनेक्शन जारी किये जावें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक/अविविनिलि/अअ(एवं जांच पत्र 1201/प्रे. 3605 कैम्प चितौडगढ़) दि. 1-11-2001

## आदेश

विषय:- कुओं का जल निम्न स्तर पर चले जाने के कारण आदेश क्रमांक 26 दिनांक 13.12.2000 के तहत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा कटाये गये कनेक्शन का पुन: सम्बन्ध स्थापित करने हेतु।

कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश के आदेश क्रमांक रा.रा.वि.म./उ.मु.अ./ग्रावि/अनु./प्रे. 51 जयपुर, दिनांक 22.6.2000 के पेरा 21 (अ) में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन कर अकाल की स्थिति एवं कुओं का जल निम्न स्तर पर चले जाने के कारण पूर्व में 6 माह से 9 माह तक आदेश क्रमांक / अविविनिलि/(सर्वे एवं जांच) प. 1201/प्रे. 26 जयपुर, दिनांक 13.11.2000 से बढाया गया था। जिन उपभोक्ताओं में उक्त सुविधा के तहत कृषि कनेक्शन कटवाये थे वह उपभोक्ता उनका पुन: सम्बन्ध 15 दिसम्बर, 2001 तक नियमानुसार शुल्क जमा करा सकेंगे। अन्य प्रावधान यथावत रहेगें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-14

क्रमांक/अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि./अनु.योजना/प्रे. 4052 दिनांक 22 अक्टूबर 2001

## आदेश-609

विषय:- कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा।

जनहित में निगम द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा करने के लिये पूर्व में भी अवसर दिये जाते रहे है। इस बार भी कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा करने का अवसर प्रदान करने की बार-बार मांग आ रही है।

अत: कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों की उक्त मांग को मध्यनजर रखते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने निर्णय लिया है कि इस योजना को 22 अक्टूबर 2001 से 30 नवम्बर 2001 तक लागू किया जाता है।

इस योजना में दिनांक 30.11.2001 तक जो कृषक अपने बढ़े हुए लोढ की स्वयं घोषणा करेगा, उससे मात्र 700/- (सात सौ रूपये) प्रति हार्सपावर (अश्व शक्ति) जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्ज सम्मिलित है, के हिसाब से चार्ज किये जायेगें। आवश्यक होने पर नई 11 के.वी. लाईन एवं सर्वे स्टेशन का खर्चा निगम वहन करेगा।

इस घोषणा के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2001 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किये जाते है साथ ही आदेश दिये जाते है कि इस घोषणा के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवेदन पत्र 15 दिवस के अन्दर-अन्दर निस्तारित कर दिये जाए तथा उक्त बिलिंग माह में बढ़े हुए भार के लिए बिल जारी होना सुनिश्चित करे 22 अक्टूबर 2001 से 30 नवम्बर 2001 के दौरान की जाने वाली विजिलैंस चैकिंग में अधिक भार पाये जाने पर भी स्वैच्छिक घोषणा मानते हुए चार्ज लिये जायेगें। दिनांक 30.11.2001 के पश्चात उपभोक्ता द्वारा स्वयं लोढ़ बढ़ाने के आवेदन पर सम्पूर्ण लाईन के आधे चार्जेज तथा 1450/- प्रति हार्स पावर की दर से चार्जेच लिये जायेगें। विजिलैंस चैकिंग में अधिक लोढ़ पाये जाने पर बढ़े हुए लोढ़ के लिए 2950/- प्रति हार्स पावर एवं सम्पूर्ण लाईन चार्जेज लिये जायेगें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज. 15

क्रमांक/अविविनिलि/अ. एवं प.नि. /अनु. अधीक्षण(योजना)/प्रे. 4382 दि. 7 नवम्बर 2001

## परिपत्र

विषय:- वर्ष 2001-2002 में कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि./अनु. अधी.अभि. (योजना)/फा. /प्रे. 3045 दिनांक 30.8.2001 के बिन्दु संख्या 3 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिये जाते है कि राज्य के अनुसूचित जाति व जन जाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति के लम्बित सभी सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों में तकनीकी स्तर पर साध्य पाये जाने वाले आवेदकों को हाथों-हाथ मांग पत्र जारी कर कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जावे।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज. 16

क्रमांक/अविविनिलि/अ. एवं प.नि. /अनु. योजना/प्रे. 4982 दि. 13 दिसम्बर 2001

## आदेश-719

विषय:- कृषि कनेक्शन के बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा दिनांक 31.12.2001 तक

निगम द्वारा जनहित में कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुए लोड की 30 नवम्बर 2001 तक स्वैच्छिक घोषणा करने पर इस कार्यालय के आदेश संख्या :- अविविनिलि/अ.एव. प्र.नि./अनु. योजना/प्रे. 4052 दिनांक 22.10.2001 के द्वारा कई रियायत दी गई थी इसमे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है कृषि उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना को 31 दिसम्बर 2001 तक बढ़ा दिया जावे।

अत: बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा का समय 31 दिसम्बर 2001 तक बढ़ाया जाता है। आदेश संख्या 4052 दिनांक 22.10.2001 (आर.ई.अज.-14) में दिये गये बढ़े लोड चार्जेज व अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक/अविविनिलि/सी.एम.डी./प.23/प्रे. 487 दि. 8 जनवरी 2002

## परिपत्र

विषय:- आई.एस.आई. मार्का के विद्युत उपकरण अपनाये जाने बाबत्।

जैसा कि पूर्व में विद्युत मंडल द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक राराविम/मुअ/ग्रावि/अनु.9/प्रे 473, जयपुर दि. 24.6.1995 की कृषि कनेक्शन दिशा-निर्देश के प्रथम संस्करण के पैरा नं. 16 मे यह दर्शाया हुआ है कि कृषि उपभोक्ता अपने मोटर/पम्पसेट को फिटिंग में भारतीय मानव संस्थान के मापदंड के अनुरूप के मोटर, पेम्पसेट, फुटवाल्व, स्टार्टर्स आदि का उपयोग करने पर बिजली की खपत में लगभग 25 प्रतिशत की कमी की जा सकती है। सहायक अभियन्ताओं द्वारा इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि अब भविष्य में जारी किये जाने वाले विद्युत कनेक्शन संबंधित मांग-पत्रों में यह उल्लेख किया जावे कि ''विद्युत उपकरण आईएसआई मार्का के होने पर ही नया कनेक्शन जारी किया जावेगा जो उर्जा बचत के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। अत: राष्ट्र के हित में आईइसआई मार्का उपकरण काम में लावे व सुरक्षा का मार्ग अपनावे।''

संबंधित सहायक अभियंता एल-फार्म जांच के समय आईएसआई मार्का पम्पसेट एवं कैपेसिटर लगाने का सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिनस्थ कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देशित करेगें। अत एवं संबंधित क्षेत्राधिकारीगण उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने का श्रम करें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज. 17
क्रमांक/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अनु. योजना/प्रे. 5473 दि. 14 जनवरी 2002

## आदेश-814

विषय:- कृषि कनेक्शन के बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा दिनांक 28.2.2002 तक

निगम द्वारा जनहित में कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुए लोड की 31 दिसम्बर 2001 तक स्वैच्छिक घोषणा करने पर इस कार्यालय के आदेश संख्या :- अविविनिलि/अ.एव. प्र.नि./अनु. योजना/प्रे. 4052 दिनांक 22.10.2001 के द्वारा कई रियायत दी गई थी इसमे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है कृषि उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना को 28 फरवरी 2002 तक बढ़ा दिया जावे।

अत: बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा का समय 28 फरवरी 2002 तक बढ़ाया जाता है। आदेश संख्या 4052 दिनांक 22.10.2001 (आर.ई.अज.-14) में दिये गये बढ़े लोड चार्जेज व अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज. 18

क्रमांक/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अनु. योजना/प्रे. 5495 दि. 15 जनवरी 2002

## परिपत्र

विषय:- कारगिल, द्रास व अन्य क्षेत्रों में शहीद हुए सैनिको की विधवाओं/संतान को प्राथमिकता पर विद्युत कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परिपत्र संख्या :- राविमं/उमुअ(ग्रावि-भावि)/प्रे. 1365 दिनांक 10.8.1999 (आर.ई.ए.-169) के पैरा द्वितीय में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिये जाते है कि ऐसे प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति अब अधिशाषी अभियन्ता (पवस) करे।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज. 19

No. AVVNL/CMD/SE (Plan)/F /D/ 5975 Dated 12 FEB. 2002

## CIRCULAR

Sub. :- Clarification for shifting of agriculture connection from Rural Area to Urban Area/Feeder.

Mamy times disputes have arisen whether the agriculture pump-sets of Rural Area/Feeder can be shifted in Urban Area/Urban Feeder. The order regarding shifting of agriculture pump-sets was issued vide Commercial AJ-21 Dt. 16.3.2001, wherein there is provision for shifting of agriculture pump-sets from one village to the adjoining village but there is no provision for shifting of agriculture connection from Rural Area to Urban Area/Feeder.

Similarly, from the contents of Commercial 453 Dt. 13.1.2001 and Commercial 499 Dt. 22.5.2000 it is clear that there is no provision for shifting of agriculture connection from Rural area to Urban area/feeder.

In Urban area connections are to be released like other categories of connection as per instructions issued vide Commercial AJ-81 Dt. 31.1.2002 under Farm House Category.

As such directions are hereby issued that no agriculture connection from Rural Feeder be shifted to Urban Area/Feeder even if it fulfills the other requirements of Commercial AJ-21 dt. 16.3.2001.

(K. S. RATHORE)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

आर.ई.-अज. 20

क्रमांक/अविविनिलि/अ. अ. /(योजना)/प्रे. 6239 दि. 25 फरवरी 2002

## आदेश-918

विषय:- कृषि कनेक्शन होने से पहले/कनेक्शन होने के बाद दूसरे ग्राम में स्थान परिवर्तन के प्रावधान में संशोधन के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ग्राम/ग्रामों के क्षेत्रफल का वर्गीकरण कर मूल ग्राम/ग्रामों से विभाजित कर उसके मजरों/ढाणियों को नये राजस्व ग्राम/ग्रामों का सृजन किये जाने से क्षेत्राधिकारीगणों द्वारा कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित करने में कुछ आंशकाओं को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 2.2.2002 की समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार यह प्रावधान किया जा रहा है कि कृषि दिशा निर्देश तृतीय के पैरा 18 अ एवं 18 स. में के अनुसार यदि कनेक्शन होने के पूर्व अथवा कनेक्शन होने के पश्चात उपभोक्ता कनेक्शन को शिफ्ट करवाना चाहता है तो मूल ग्राम से सृजित ग्रामों को एक ही ग्राम की इकाई मानते हुए स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस आदेश के द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कनेक्शन होने से पहले विद्यमान ग्राम के क्षेत्रफल को दी जा रही सुविधा से अलग राजस्व ग्राम में वर्गीकरण होने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अज. 21

क्रमांक/अविविनिलि/अ. अ. /(योजना)/प्रे. 6240 दि. 25 फरवरी 2002

## परिपत्र

विषय:- एक ही कृषि कनेक्शन में दो पम्प सैट चलाने बाबत

कृषि कनेक्शनों के लिए कुएं को ही सप्लाई का क्षेत्र माना गया है। साधारणतया एक कुएं में कृषक द्वारा एक ही मोटर पम्प लगाया जाता है परन्तु उपभोक्ता के उपयोग के अनुसार यदि वह उसी नाम से उसी कुऐं में अतिरिक्त पम्प लगाना चाहता है तो यह नियम सम्मत है। इसके अनुसार कुऐं में एक नाम से कुल सम्बद्ध भार में एक से अधिक मोटर / पम्प लगा सकता है साथ ही पूर्व में किये गये निर्णय के अनुसार स्प्रिंकलर के लिये लगाया गया पम्प/मोटर भी उसी कुऐ के सम्बद्ध भार में माना जायेगा।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अज. 22

क्रमांक/अविविनिलि/अ. अ. /(योजना)/प्रे. 6238 दि. 25 फरवरी 2002

## आदेश-917

विषय:- कृषि विद्युत कनेक्शन की जांच के दौरान बढ़े हुए भार की गणना के सम्बन्ध में।

कृषि विद्युत कनेक्शन की जांच के दौरान प्रारम्भिक अवस्था में कुओं के बढ़े हुए जल स्तर / मोटर अथवा पम्प में छोटी तकनीकी खराबी अथवा नजदीकी स्टेन्डर्ड रेटिंग को मध्य नजर रखते हुए तत्कालीन रा.रा.वि.म. के आदेश संख्या 674 दिनांक 26.6.98 (REA-124) एवं आदेश संख्या 51 दिनांक 22.6.2000 (कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश तृतीय संस्करण) के अन्तर्गत स्वीकृत भार से 20 प्रतिशत तक बढ़े हुए भार के लिए कोई विजिलेन्स चार्जज नहीं लिये जाने का प्रावधान है। इससे अधिक होने पर बढ़े भार के लिए की जाने वाली गणना सम्बन्ध में समन्वय समिति की 36 वीं बैठक दिनांक 2.2.2002 में चर्चा के दौरान लिये गये निर्णयानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि निरीक्षण के दौरान विद्युत मोटर का भार 20 प्रतिशत से अधिक पाये जाने पर सम्पूर्ण अतिरिक्त भार (20 प्रतिशत तक बढ़े हुए भार को सम्मिलित करते हुए) को विजिलेन्स चार्जेज की गणना हेतु बढा हुआ माना जायेगा। 20 प्रतिशत तक बढ़े हुए भार पर प्रदत्त राहत यथावत जारी रहेगी।

उदाहरण :-

''निरीक्षण दौरान 10 एच.पी. मोटर का भार 15 एच.पी. पाये जाने पर विजिलेन्स चार्जेज की गणना हेतु बढ़ा हुआ भार 5 एच.पी. (15-10 = 5) ''माना जायेगा तथा 12 एच.पी. तक भार पाये जाने पर कोई विजिलेन्स चार्जेज देय नहीं होगा।''

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अज. 23

क्रमांक/अविविनिलि/अ. अ. /(योजना)/प्रे. 6293 दि. 27 फरवरी 2002

## आदेश-927

विषय:- समस्त राजस्थान की अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के पॉच वर्ष से अधिक कटे हुए कृषि कनेक्शन को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में।

कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के बिन्दु 21 (ब) (ii) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि समस्त राजस्थान की अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र कि अनुसूचित जनजाति के पॉच वर्ष से अधिक कटे हुए कृषि कनेक्शन को पुन: चालू किये जाने के लिये समस्त बकाया राशि मय ब्याज जमा कराने के अतिरिक्त लाईन ट्रॉसफार्मर चार्जेच सामान्य श्रेणी के कनेक्शनों में लिए जाने वाले चार्जेज लिये जायेगे चाहे कुऐं तक लाईन विद्यमान हो या टॉसफार्मर में क्षमता शेष हो।

उपरोक्त आदेश में संशोधन करते हुए समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार ऐसे कटे हुए कनेक्शनों को पुनः सामान्य श्रेणी मीटर प्रणाली में ही चालू किया जायेगा। ऐसे कनेक्शनों को चालू कराये जाने की कोई अवधि सीमा नही है, किन्तु बकाया राशि मय ब्याज जमा करानी होगी। लाईन एवं सब-स्टेशन / टान्सफॉर्मेशन चार्जेज निम्नानुसार देय होगें।

(अ) लाईन के विद्यमान होने तथा टॉसफार्मर में क्षमता शेष होने पर इन मदों में कोई खर्चा नहीं लिया जावेगा।

(ब) लाईन के विद्यमान नहीं होने तथा टॉसफार्मर में क्षमता शेष नहीं होने की स्थिति में तकमीना नये कनेक्शन की तरह एल.टी. रहित प्रणाली से बनाया जाकर सामान्य श्रेणी के नये कनेक्शनों में लिए जाने वाले चार्जेज लिये जायेगें।

(स) लाईन के आंशिक विद्यमान होने की स्थिति में उसे पुनः स्थापित किये जाने के लिये के लिये वास्तविक खर्चा अथवा सामान्य श्रेणी के नये कनेक्शनों में लिए जाने वाले चार्जेज जो भी कम हो लिये जायेगें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अज. 24

क्रमांक/अविविनिलि/अ. अ. /(योजना)/प्रे. 6807 दि. 22 मार्च 2002

## आदेश-985

विषयः- स्पेशल स्कीम कृषि कनेक्शन के पोल चार्जेज के सम्बन्ध में।

ओदश संख्या आर.ई.ए. 207 दिनांक 22.6.2000 (कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश-तृतीय संस्करण) के क्रम संख्या 6 (ब) स्पेशल स्कीम के बिन्दु (क) तथा (ग) को संयुक्त रूप से निम्नानुसार परिवृर्तित किया जाता है।

11 के.वी./एल.टी लाईन की दर 100/- रूपये प्रति मीटर (तार, इन्सूलेटर, ब्रेकट एवं स्टे सैट की लागत) तथा 2000/- रूपये प्रति पोल ली जायेगी।

अन्य दरें व शर्ते यथावत रहेगी।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई. अज. - 25

क्रमांक/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ.(योजना)/प.  /प्रे. 733  दि. 6 मई 2002

## परिपत्र

विषय:- वर्ष 2002-2003 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

वर्ष 2002-2003 में कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के संबंध में विद्युत निगमों की समन्वय समिति की दिनांक 30.4.2002 की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

1. सभी वितरण कम्पनियों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कुल 15000 (5000 प्रत्येक वितरण निगम ) कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अत: अधीक्षण अभियन्ता (पवस) यह सुनिश्चित करें कि उनके वृत्त के लिए दियेगये कृषि कनेक्शनों के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ही पूरे किये जावे।

2. (1) स्पेशल स्कीम के कृषि कनेक्शनों के लिए नये आवेदन पत्र 15 मई 2002 से 15 जून 2002 तक प्राप्त किये जावे। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन सिर्फ एक महिनें की अवधि के लिए किया जा सकेगा। 15.6.2002 के बाद इस योजना में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जावें। जो प्रार्थना पत्र इस श्रेणी में पूर्व में प्राप्त हो चुके है तथा अभी तक उनके मांग पत्र जारी नहीं किये गये है उनमें से सभी तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को इसी वर्ष में मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने है।

   (2) वर्ष 2002-2003 में सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदनों की बढाई गई कट-ऑफ-डेट का पंचायत समितिवार विवरण संलग्न है जिनके इसी वित्तीय वर्ष में मांग पत्र जारी करने है। जिन आवेदकों के नाम पिछले वर्ष की कट-ऑफ-डेट में शामिल थे तथा किसी कारण वश डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं हो सके थे उनमें से, सभी तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को इस वर्ष में मांग पत्र जारी करने है।

3. राज्य के सभी अनुसूचित जाति के तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्रों पर तकनीकी साध्यता अनुसार मांग पत्र जारी कर कनेक्शन दिये जाते है जिसका कि प्रावधान पूर्व में ही आर.ई.-अज-15 द्वारा किया हुआ है।

4. सामुदायिक जलोत्थान योजना में जितने भी प्रार्थनाा पत्र कनेक्शन लेने हेतु लम्बित है तथा इस वित्तीय वर्ष में जो नये आवेदन पत्र प्राप्त होते है उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष में लाईन की पूरी कीमत एवं ट्रान्सफार्मर चार्जेज रूपये 1450/- प्रति हार्स पावर की दर से मांग पत्र जारी करने है। उक्त आवेदकों के मांग पत्र जमा होने पर एवं पूर्व में जिन आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करा दी है उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष में कनेक्शन देने है।

5. सामान्य एवं स्पेशल स्कीम के ऐसे आवेदकों को जिनके 11 के.वी. लाईन के वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण मांग पत्र जारी नहीं किये गये है तथा उनकी अगली प्राथमिकता के आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिये है ऐसे छूट गये आवेदकों के 11 के.वी. लाईन के वी.आर.

सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 प्रतिशत से कम हो गये हो तो उनके मांग पत्र इसी वित्तीय वर्ष में जारी करने है तथा शेष आवेदकों के 11 के.वी. लाईन के जब भी वी.आर. 8 प्रतिशत से कम हो जावे उनको मांग पत्र तत्काल जारी कर दिये जावें।

6. जिन आवेदकों ने कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र की राशि जमा कराके एल.फार्म (विद्युत फिटिंग करवाकर) प्रस्तुत कर दिये है, उनको माह का आधार मानते हुए प्राथमिकता अनुसार कनेक्शन जारी किये जावे।

7. सभी श्रेणियों के लिए पोल चार्जेज, ट्रान्सफार्मेशन चार्जेज तथा अन्य चार्जेज पूर्व में जारी आदेशानुसार लिये जायेगें।

8. स्पेशल स्कीम में जारी किये गये एवं भविष्य में जारी होने वाले समस्त कनेक्शनों को उनकी सामान्य श्रेणी को उसी गांव के नीचे वरियता वाले आवेदकों के कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य कृषि दर से बिलिंग कर दिया जावे। तब तक इस स्कीम से जारी किये गये कनेक्शनों का वर्तमान में प्रभावी दर के अनुसार बिलिंग किया जावें।

उक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 26

क्रमांक/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प. /प्रे. 800 दि. 10 मई 2002

## आदेश-81

विषय:- सूखे कुओं का अस्थाई विद्युत कनेक्शन विच्छेद बाबव्।

समन्वय समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे किसान जिनके कुएं सूख गये है वे 31.5.2002 तक सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में विद्युत कनेक्शन को अस्थाई रूप से कटवाने के लिए आवेदन कर सकते है। इस संदर्भ में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, ग्राम पंचायत के सरपंच व क्षेत्रिय पटवारी सदस्य होगें। इस कमेटी द्वारा प्रमाणित करने पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता अपने अधिशाषी अभियन्ता से अनुमति प्राप्त कर अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए अस्थाईतौर पर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करेगा।

ऐसे कटे हुए कनेक्शनों को पुन: चालू करने के लिए ''कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण)'' के पैरा 21 (अ) के तहत कार्यवाही कर पुन: चालू किया जा सकेगा।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 27

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प. /प्रे. 943 दि. 20 मई 2002

## परिपत्र

विषय:- अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा स्वर्ण जाति से खरीदी गई भूमि पर कृषि कनेक्शन दिये जाने के प्रावधान में संशोधन बाबत्।

विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक आर.ई.ए. 209 दिनांक 12.7.2000 में वर्णित पैरा 2 में अनुसूचित जाति के आवेदकों की कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 30.4.2002 की समन्वय समिति में लिये गये निर्णयानुसार अब यह संशोधित प्रावधान किया जाता है कि भविष्य में अनुसूचित जाति के ऐसे कृषि आवेदक जिन्होंने चालू वित्त वर्ष से 5 वर्ष पूर्व कम से कम दो बीघा कृषि भूमि सवर्ण / पिछड़ी / अनुसूचित जन जाति के कृषक / कृषकों से क्रय की हो, उन्हें जमीन की खरीद सम्बन्धी पूर्ण जांच संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) द्वारा किये जाने के बाद कनेक्शन दे दिये जायें।

जिन प्रकरणों में जमीन की खरीद को चालू वित्त वर्ष में पांच वर्ष से कम समय हुआ है ऐसे प्रकरणों में अनुसूचित जाति के कृषकों को अनुसूचित जाति प्राथमिकता से कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा, वे चाहे तो साधारण श्रेणी / अन्य प्रभावी योजना में आवेदन कर सकते है।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 28

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प. /प्रे. 942 दि. 20 मई 2002

## आदेश-102

विषय:- वर्ष 2002-2003 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

वर्ष 2002-2003 के लिए परिपत्र संख्या - अविविनिलि/अ. एवं प. नि./अनु. योजना/प्रे. 733 दिनांक 6.5.2002 (आर.ई.-अज-25) जारी कृषि कनेक्शन नीति में क्षेत्राधिकारियों द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जानकारी सुस्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया है। अत: कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जाता है :-

1. परिपत्र के पैरा 2 अ में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में साधारण श्रेणी में आवेदन कर रखा है सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रार्थना पत्र के साथ में अग्रिम रूपये 12000/- जमा करवाकर विशेष श्रेणी में कनेक्शन प्राप्त कर सकते है। ऐसे आवेदकों की पूर्व में जमा प्रार्थना पत्र राशि समायोजित कर ली जावे। स्पेशल स्कीम में जमा कराने वाले नये आवेदक एवं पुराने आवेदकों में प्राथमिकता दिये जाने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि एक ही दिन में पंजीकृत प्रार्थना पत्रों में पूर्व में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवेदक को प्रथम वरीयता प्रदान करते हुए मांग पत्र जारी किये जाना सुनिश्चित किया जावे।

2. कार्यरत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिए कट ऑफ डट से तीन वर्ष की प्राथमिकता दी जायेगी। इसी प्रकार निगम कर्मचारियों को वरीयता क्रम 6 माह की अग्रिम प्राथमिकता पूर्व आदेशों के अनुसार दी जावेगी।

3. शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत व इससे अधिक विकलांग आवेदकों को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिए ''कट-ऑफ-डट'' से तीन वर्ष की प्राथमिकता निगम के आदेश संख्या :- अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि./उप मु.अ. (वा.मी.स.)/अअ-1/एफ. 57/2002/प्रे. 5745 दिनांक 14.3.2002 (वाणिज्य-अज-87) के अनुसार दी जावेगी।

4. देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कारगिल, द्रास व अन्य क्षेत्रों में घुसपैठ से निपटने के लिए कई शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहूति दी है उन वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं एवं सन्तान को मण्डल के आदेश क्रमांक आर.ई.ए. 169 (10.8.99) के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये जायेगें।

5. इस वर्ष जिन आवेदकों को सामान्य श्रेणी में ''कट ऑफ डेट'' के अनुसार मांग पत्र जारी किये जाने है उनकी वरीयता क्रम की सूची बनाकर पंचायत समिति के कार्यालय में भेजी जाये तथा उसकी एक प्रति उपखण्ड कार्यालय के पट्ट पर भी लगाई जाये।

6. पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 733 दिनांक 6.5.2002 (आर.ई.-अज-25 संलग्न) पंचायत समितिवार ''कट ऑफ डेट'' में कुछ टंकण अशुद्धिया पाई गई थी उन्हें शुद्ध करते हुए संशोधित पंचायत समितिवार ''कट-ऑफ-डेट'' का विवरण (परिशिष्ट-अ) संलग्न किया जा रहा है। यही कट ऑफ डेट मान्य होगी।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 29

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प. /प्रे. 1356 दि. 17 जून 2002

## आदेश-189

स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन चाहने हेतु आवेदन पत्र, परिपत्र आर.ई.-अज-25 दिनांक 6.5.2002 के तहत दिनांक 15 मई 2002 से 15 जून 2002 तक प्राप्त किये जाने का प्रावधान रखा गया था। इस योजना के अन्तर्गत अब आवेदन पत्र प्राप्त करने की अवधि दिनांक 30 जून 2002 तक बढाई जाती है। अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 30

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प.  /प्रे. 1377  दि. 18 जून 2002

## आदेश-192

विषय:- कृषि कनेक्शनों को निगम के किसी भी विद्युतीकरण गाँव में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

पूर्व विद्युत मण्डल द्वारा जारी कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के पैरा 18 स में कृषि कनेक्शन को उसी गाँव अथवा साथ के गाँव में स्थानान्तरित करने बाबत प्रावधान है। इस सम्बन्ध में समन्वय समिति की बैठक दिनांक 3.6.2002 में राज्य के कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :

1. यदि कनेक्शन हो जाने पर परिस्थितियों के दबाव के कारण कनेक्शन वही रखना उपभोक्ता के वश में नहीं हो तो कनेक्शन निगम के किसी भी विद्युतीकृत गाँव में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकता है। यह सुविधा वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) को ही देय होगी एवं कुआं खुदवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि के लीज पर आवंटन होने पर भी कनेक्शन को शिफ्ट किया जा सकेगा।

2. कुंआ सूख जाने की स्थिति में एक स्थान से कनेक्शन, दूसरे स्थान पर वर्तमान उपभोक्ता के पिता, पति, पत्नि, माता, भाई, बहन, बेटे, बेटी के नाम से जमीन में उसी टैरिफ श्रेणी में मीटर्ड प्रणाली से शिफ्ट किया जा सकता है जिसके लिये वर्तमान उपभोक्ता/उपभोक्ताओं की सहमति आवश्यक है।

3. अभी यह प्रावधान किया हुआ है कि कृषि कनेक्शन मात्र कृषि भूमि पर ही देय है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में जिन कृषकों के खेत में कुंआ सूख जाने अथवा पानी खराब होने के कारण कुंआ अपने जमीन के पास स्थित आबादी भूमि (बाड़ा इत्यादि) में खुदवाकर कनेक्शन शिफ्ट करवाना चाहते है, उन्हे कृषि कनेक्शन इस भूमि में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी में शिफ्ट किया जा सकता है।

4. उपरोक्त सभी कनेक्शनों को शिफ्ट करने की आज्ञा प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंआ सूखा है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरंपच, हल्का पटवारी एवं सहायक अभियन्ता द्वारा जारी किया हुआ हो। साथ ही सहायक अभियन्ता इस आशय का प्रमाण पत्र भी देगें कि पूर्व कुंअे के लिये खींची गई अनुपयोगी एच.टी./एल.टी. लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि हटा (DISMENTLE) कर स्टोर में जमा कर दिये गये है। इस प्रक्रिया के पश्चात ही सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगें।

5. यदि कनेक्शन एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड मे स्थानान्तरित किया जाना हो तो उस दशा में कनेक्शन स्थानान्तरित करने की फाइल की पत्रावली उसी उपखण्ड में जमा करवानी होगी जहां पर कनेक्शन को स्थानान्तरित किया जाना है। इस दशा में नवीन कुऐं का तकमीना बनाकर पूर्व उपखण्ड में कार्यवाही के लिये फाइल को भेजा जायेगा तथा पूर्व उपखण्ड में उपभोक्ता को सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाकर एच.टी./एल.टी. लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि को एवं

उपभोक्ता का नाम रिकार्ड से हटाकर पुरानी पत्रावली सहित नये उपखण्ड में भेज दिया जायेगा। नये स्थान पर तकमीना नये कनेक्शन की तरह एल.टी. रहित प्रणाली से बनाया जायेगा। कनेक्शन का नये स्थान पर लोड नहीं घटाया जायेगा। कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने के खर्चे उपभोक्ता से पूर्व में जारी आदेशानुसार ही लिये जायेंगें। इसके पश्चात ही अधिशाषी अभियन्ता से स्वीकृति लेकर, नया उपभोक्ता नम्बर देकर कनेक्शन मीटर प्रणाली में चालू कर दिया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 31

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 1378 दि. 18 जून 2002

## आदेश-193

विषय:- कृषक द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि बेचने पर क्रेता को विक्रेता की वरीयता पर कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

पूर्व विद्युत मण्डल के कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के बिन्दु संख्या 9 (अ) के द्वारा भूमि के बेचान पर विक्रेता की वरीयता पर क्रेता को कृषि कनेक्शन देना निषेध है।

इस सम्बन्ध में कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से समन्वय समिति की बैठक दिनांक 3.6.2002 में विचार विमर्श कर उक्त आदेश में संशोधन के निर्णयानुसर अब यह प्रावधान किया जाता है कि आवेदक कृषक द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि बेचने पर व राजस्व अभिलेख में नामान्तरण हो जाने पर क्रेता को विक्रेता की वरीयता पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिया जाये। बिन्दु संख्या 9 (अ) के उल्लेखित अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 32

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 1379 दि. 18 जून 2002

## आदेश-194

विषय:- विद्युत चोरी करते पाये जाने पर सामान्य श्रेणी की वरीयता समाप्त करने के सम्बन्ध में।

विद्युत चोरी करते पाये जाने वाले कृषकों आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के पैरा संख्या 15 के अनुसार सामान्य श्रेणी की वरीयता से उनका नाम हटाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में समन्वय समिति की बैठक दिनांक 3.6.2002 में कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि अब जिन कृषकों को द्वारा अनाधिकृत विद्युत उपभोग किया जाने पर विजिलेन्स रिपोर्ट (V.C.R.)दिनांक 31.3.2002 तक दर्ज की जा चुकी है उनमें से यदि कोई कृषक कनेक्शन लेना चाहे तो उन्हें स्पेशल स्कीम में कनेक्शन कम्पाउडिंग राशि जमा करवाने के पश्चात् जारी कर दिया जावे। इन कृषकों से इनकी वरीयता से नीचे वाले साधारण श्रेणी के कनेक्शन जारी होने तक स्पेशल स्कीम में बिलिंग किया जावेगा। तत्पश्चात् ही इन कृषकों को साधारण श्रेणी की मीटर प्रणाली से बिलिंग किया जायेगा। विद्युत चोरी के ऐसे प्रकरणों को विशेष राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व में जारी आदेश संख्या अ.ज.-25 दिनांक 6.5.2002 के बिन्दु संख्या 2 (अ) एवं आर.ई.-अ.ज. 29 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि ऐसे प्रकरणों के आवेदन पत्र विशेष स्कीम के तहत सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में पंजीकृत कर लिये जायें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 33

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 1380 दि. 18 जून 2002

## आदेश-195

विषय:- कृषि आवेदकों को पोल अनुदान राशि के सम्बन्ध में।

दिनांक 3.6.2002 की समन्वय समिति से लिये गये निर्णयनुसार पूर्व विद्युत मण्डल के कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के बिन्दु 6 (अ) में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुये यह निश्चत किया गया है कि अब से सामान्य श्रेणी के अर्न्तगत दिये जाने वाले पूर्व के अनुदान में प्रति हार्स पावर के प्रतिबन्ध को हटाया जाता है तथापित यह अनुदान अधिकतम 8 पोल तक ही यथावत देय होगा अर्थात किसी भी हार्स पावर के सामान्य श्रेणी के आवेदक को 8 पोल तक अनुदानित राशि देय होगी। यह आदेश 15 जून के पश्चात् जमा होने वाले डिमान्ड नोटिसों पर लागू होंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 34

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 1381 दि. 18 जून 2002

## आदेश-196

विषय:- निरस्त किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में।

पिछले कुछ वर्षों से राज्य में लगातार अकाल/सूखें के कारण कृषि आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा न कराने पर अथवा कुंआ खुदा हुआ नहीं पाये जाने पर एक नियत अवधि के बाद प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के प्रावधान से असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसमें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 3.6.2002 की समन्वय समिति के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1.4.1999 से 31.3.2002 तक के वे आवेदक जिनकी पत्रावलियां कुंआ न खुदा होने अथवा मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवा सकने के कारण निरस्त की जा चुकी है उन्हें एक विज्ञप्ति के माध्यम से 60 दिवस (15 जून से 15 अगस्त तक) की अवधि में अपना प्रार्थना पत्र पुर्नजीवित करवाने बाबत् एक और अन्तिम अवसर प्रदान किया जावे। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों से पूर्व में जारी आदेश संख्या 2024 दिनांक 15.12.1998 (आर.ई.ए.-141) के अनुसार 500/- रूपये लेकर पत्रावली को पुर्नजीवित कर दिया जावे। विज्ञप्ति की जानकारी कार्यालय उपखण्ड (पवस) के सूचना पट्ट के अतिरिक्त समाचार पत्रों, जिला कलेक्टर जिला परिषद् एवं पंचायत समिति कार्यालय पर भी उपलबध कराना सुनिश्चित किया जावे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 35

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 1382 दि. 18 जून 2002

## आदेश-197

विषय:- कृषि कनेक्शन के बढ़े हुये भार की स्वैच्छिक घोषणा के सम्बन्ध में।

निगम द्वारा जनहित में कृषि के उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुये लोड की स्वैच्छिक घोषणा करने हेतु इस कार्यालय द्वारा आदेश आर.ई.-अ.ज. : 17 दिनांक 14.1.2002 को जारी किया गया था जिसकी समयावधि 28.2.2002 थी। कृषि उपभोक्ताओं की निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुए समन्वय समिति की बैठक दिनांक 3.6.2002 में इस बारे में निर्णय लिया गया है कि इस योजना को दिनांक 15 जून से तीन माह के लिये पुन: लागू किया जावे।

अत: बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा का समय 15 जून से 15 सितम्बर 2002 तक निर्धारित किया जाता है। आदेश संख्या 600 दिनांक 11.10.2002 (वाणिज्य अ.ज.-6) में दिये गये बढ़े लोड चार्जेज व अन्य शर्ते यथावत रहेंगीं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 36

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 1538 दि. 26 जून 2002

## संशोधन

विषय:- कृषि कनेक्शनों को निगम के किसी भी विद्युतीकरण गॉव में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

निगम के आदेश क्रमांक अ.वि.वि.नि.लि./अ. एवं प्र.नि./अ.अ. (योजना) प्रे. 1377 दिनांक 18.6.2002 (आर.ई.-अज-30) द्वारा पैरा 1 की द्वितीय पंक्ति में वर्णित पैरा 18 की जगह पैरा 18 से पढ़ा जाये।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 37

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 1870 दि. 16 जुलाई 2002

## आदेश-259

विषय:- कृषि कनेक्शनों को निगम के किसी भी विद्युतिकृत गाँव में स्थानान्तरति करने के सम्बन्ध में संशोधित आदेश।

पूर्व विद्युत मण्डल द्वारा जारी कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के पैरा 18 (स) तथा आदेश संख्या वाणिज्य-अज 21 प्रे. 2094 दिनांक 16.3.2001 में कृषि कनेक्शन को उसी गाँव अथवा साथ के गाँव में स्थानान्तरित करने बाबत प्रावधान है। उक्त प्रावधान को विलोपित कर एवं आदेश क्रमांक :-अविविनिलि/अ.प्र.नि./अअ(योजना)/प्रे. 1377 दिनांक 18.6.2002 (आर.ई.-अज-30) को संशोधित करते हुए निम्नानुसार नवीन आदेश जारी किये जाते है।

1. यदि कनेक्शन हो जाने पर परिस्थितियों के दवाब के कारण कनेक्शन वही रखना उपभोक्ता के वश में नहीं हो तो कनेक्शन निगम के किसी भी विद्युतिकृत गाँव में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकता है। यह सुविधा वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) को ही देय होगी एवं कुंआ खुदवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि के लीज पर आवंटन होने पर भी कनेक्शन को शिफ्ट किया जा सकेगा।

2. पूर्व में कृषक सिर्फ स्वयं के नाम की अथवा उसके वारिस के नाम की जमीन पर ही कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण करवा सकते थे। अब उसे और उदार करते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि कुंआ सूख जाने की स्थिति में एक स्थान से कनेक्शन दूसरे स्थान पर वर्तमान उपभोक्ता के पिता, पति, पत्नि, माता, भाई, बहन, बेटे बेटी के नाम से जमीन में उसी टैरिफ श्रेणी में मीटर्ड प्रणाली से शिफ्ट किया जा सकता है जिसके लिये वर्तमान उपभोक्ता/उपभोक्ताओं की सहमति आवश्यक है।

3. अभी यह प्रावधान किया हुआ है कि कृषि कनेक्शन मात्र कृषि भूमि पर ही देय है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में जिन कृषकों के खेत मे कुंआ सूख जाने अथवा पानी खराब होने के कारण कुंआ अपनी जमीन के पास स्थित आबादी भूमि (बाड़ा इत्यादि) में खुदवाकर कनेक्शन शिफ्ट करवाना चाहते हैं, उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाती है कि ये अपना कृषि कनेक्शन इस भूमि में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी में शिफ्ट करवा सकते है।

4. उपरोक्त सभी कनेक्शनों को शिफ्ट करने की आज्ञा प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंआ सूखा है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरंपच, हल्का पटवारी एवं सहायक अभियन्ता द्वारा जारी किया हुआ हो। साथ ही सहायक अभियन्ता इस आशय का प्रमाण पत्र भी देगें कि पूर्व कुऐं के लिये खींची गई अनुपयोगी एच.टी./ एल.टी. लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि हटा (DISMENTLE) कर स्टोर में जमा कर दिये गये हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात ही सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगें।

5. यदि कनेक्शन एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड में स्थानान्तरित किया जाना हो तो उस दशा में कनेक्शन स्थानान्तरित करने की फाइल की पत्रावली उसी उपखण्ड में जमा करवानी होगी जहां पर कनेक्शन को स्थानान्तरित किया जाना है। इस दशा में नवीन कुऐं का तकमीना बनाकर पूर्व उपखण्ड मे कार्यवाही के लिये फाइल को भेजा जायेगा तथा पूर्व उपखण्ड में उपभोक्ता को सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाकर एच.टी./एल.टी. लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि को एवं उपभोक्ता का नाम रिकार्ड से हटाकर पुरानी पत्रावली सहित नये उपखण्ड में भेज दिया जायेगा। नये स्थान पर तकनीमा नये कनेक्शन की तरह एल.टी. रहित प्रणाली से बनाया जायेगा। कनेक्शन का नये स्थान पर लोड नहीं घटाया जायेगा। इसके पश्चात अधिशाषी अभियन्ता से स्वीकृति लेकर निम्नानुसार खर्चा वसूल करके, नया उपभोक्ता नम्बर देकर, कनेक्शन मीटर प्रणाली में चालू कर दिया जाये :-

कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने के खर्चे उपभोक्ता से निम्न प्रकार लिये जायेगें :-

1. पुरानी 11 के.वी./एल.टी. लाईन को हटा कर नई जगह पर लगाने के लिए पोल की कीमत, पूरी कीमत की एक तिहाई दर से चार्ज की जायेगी। वर्तमान में एक पोल के 90 मीटर के स्पॉन के रूपये 11,000/- है। नई जगह पर अतिरिक्त लाईन के खर्चे की पूर्ण वसूली आदेश संख्या आर.ई.-अज-24 प्रे. 6807 दिनांक 22.3.2002 के अनुसार की जायेगी।

2. सब-स्टेशन / ट्रान्सफार्मेशन चार्जेज रूपये 1450/- प्रति हार्स पावर समस्त उपभोक्ताओं से लिया जावेगा।

3. यदि 11 के.वी. लाईन के वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक है तो उस पर कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कनेक्शन उसी लाईन (Same Line) पर स्थानान्तरित किया जाना हो तो कनेक्शन स्थानान्तरित कर दिया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 38

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 2090 दि. 29 जुलाई 2002

## परिपत्र-286

विषयः- कारगिल, द्रास व अन्य क्षेत्रों में तथा कारगिल के पश्चात सैन्य कार्यवाही के दौरान शहीद हुए सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं/सन्तान को प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।

राज्य में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय सुविधाओं के मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की दिनांक 27.7.2002 को हुई बैठक के निर्णयानुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के परिपत्र संख्याः- राराविमं/उमुअ/ग्रावि-निरी/प्रे. 1365 दिनांक 10.8.89 (आर.ई.ए.-169) में निम्न संशोधन किये जाते हैः-

1. कारगिल, द्रास व अन्य क्षेत्रों में वर्ष 1999 में शहीद हुए सैनिकों के साथ, कारगिल आपरेशन के पश्चात सैन्य कार्यवाही के दौरान शहीद हुए सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिकों, की विधवाओं अथवा संतान को भी प्राथमिकता पर कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जाए।

2. शहीद सैनिकों अथवा अर्द्धसैनिक बलों के वीरगति प्राप्त सैनिकों के स्वयं के नाम अथवा उनकी विधवाओं या पुत्र, पुत्री के नाम यदि भूमि नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में उनके माता-पिता के नाम की जमीन पर भी कनेक्शन दे दिया जावें।

ऐसे कृषि कनेक्शन आदेश संख्या आर.ई. अज- 18 प्रे. 549 दिनांक 15.1.2002 के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता (पवस) की स्वीकृति से दिये जायेगें।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्र/अविविनिलि/अ.अ. /(सर्वे एवं जांच)प. 1201 /प्रे. 27 दि. 13 नवम्बर 2000

## आदेश

विषयः- कृषि कनेक्शन को उसी गांव या साथ वाले गांव में स्थानान्तरित करने के क्रम में।

यदि कृषि कनेक्शन हो जाने पर परिस्थितियों के दबाव के कारण कृषि कनेक्शन उसी जगह रखना उपभोक्ता के वश में न हो तो मण्डल के आदेश संख्या राराविमं/मुअ (ग्रावि.निरी.भावि)/प्रे. 51 दिनांक 22.6.2002 (आरईए-207) के पैरा 18 (स) के अनुसार कृषि कनेक्शन उसी गांव या साथ वाले गांव में स्थानान्तरित किए जाने के लिए एक मुश्त रूपये 1000/- प्रति हॉर्स पावर (कम से कम रूपये 5000/-) लिये जाने का प्रावधान है।

इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि अब साधारण श्रेणी के कृषि कनेक्शन उसी ग्राम या साथ वाले ग्राम में स्थानान्तरित करने के लिये पूर्व के आदेश संख्या राराविमं/मुअ (ग्रावि.निरी.भावि) अनु. 9/प्रे. 198 जयुपर दिनांक 2.8.1996 के पैरा 21 (ब) के अनुसार 11 के.वी. /

एल.टी. लाईन के विस्तार एवं 11/0.4 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने के समस्त खर्चे उपभोक्ता को वहन करने होंगे जो कि निम्न प्रकार है:-

1. कनेक्शन के स्थान परिवर्तन के लिये जितनी पुरानी एच.टी/एल.टी. लाईन के पोल नई जगह काम आ सकेंगे उनके लिये और एक तिहाई की दर से चार्ज किये जायेंगे। वर्तमान में एक पोल (एच.टी./एल.टी. लाईन) की 90 मीटर स्पान की कीमत रूपये 11,000 है। नई जगह पर अतिरिक्त लाईन का खर्चा रूपये 125/- मीटर लिया जायेगा।

2. कनेक्शन स्थान परिवर्तन के लिये नये 11/0.4 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने की कीमत निम्नलिखित ली जावेगी।

   अ. 25 के.वी.ए. रूपये 68,000

   ब. 40 के.वी.ए. रूपये 99,000

   यदि उपभोक्ता के चालू कनेक्शन 11/0.4 के.वी. सब स्टेशन पर कोई किसी भी श्रेणी का कृषि कनेक्शन नहीं है तो उक्त सब स्टेशन को नई जगह स्थानान्तरित करने के रूपये 15,000/- चार्ज कियें जायेंगे।

3. यदि 11 के.वी. लाईन वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक है तो कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा। कनेक्शन स्थानान्तरित करने के लिये आदेश दिनांक 22.6.2000 (आरईए-207) के पैरा 18 (स) की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 39
क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 2715 दि. 28 अगस्त 2002

## आदेश-359

कृषि कनेक्शन दिशा-निर्देश (तृतीय संस्करण) के पैरा न. 14 के अनुसार नर्सरी श्रेणी एवं स्पेशल श्रेणी के दिनांक 1.4.2000 से जारी कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में कभी भी परिवर्तित नहीं किये जाने का प्रावधान किया हुआ था। बाद में स्पेशल स्कीम में जारी किये गये समस्त कनेक्शनों को उनकी सामान्य श्रेणी को उसी गांव के नीचे वरीयता वाले आवेदकों के कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य श्रेणी दर से बिलिंग कर दिये जाने का प्रावधान परिपत्र क्रमांक 733 दिनांक 6.5.2002 (आर.ई.-25) के अनुसार कर दिया गया था। इस विषय में नर्सरी उपभोक्ताओं, जन प्रतिनिधियों तथा किसान संगठनों से अनेकों प्रतिवेदन इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्राप्त हुए।

अत: ऐसे नर्सरी उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए समन्वय समिति की दिनांक 12.8.2002 की बैठक में निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1.4.2000 से जारी नर्सरी कनेक्शनों को भी स्पेशल स्कीम के कनेक्शनों की भाँति साामान्य श्रेणी को उसी गांव के नीचे वरीयता वाले आवेदकों के कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य कृषि दर से बिलिंग कर दिया जावे परन्तु ऐसे नर्सरी कनेक्शनों को जिनके नीचे वरीयता के सामान्य श्रेणी के उसी गांव में कृषि कनेक्शन रिलीज हो चुके है उन्हें पिछली तारीख से यह सुविधा न देकर इस आदेश की तारीख से सामान्य कृषि दर से बिलिंग की जावें।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 40

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3316 दि. 1 अक्टूबर 2002

## परिपत्र

विषय:- राष्ट्रपति पुलिस पदक व राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक प्राप्त कार्मिकों को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों में वरीयता देने के संबंध में।

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 7.9.2002 में निर्णय लिया गया है कि सैनिकों, भूतपूर्व सैनिको, उनकी विधवाओं को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिए ''कट ऑफ डेट'' से 3 वर्ष की प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है, उनकी भांति बहादुरी के लिए प्राप्त राष्ट्रपति पुलिस पदक व राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक प्राप्त कार्मिकों को भी साधारण श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिए ''कट ऑफ डेट'' से 3 वर्ष की प्राथमिकता दी जावे। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 41

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3602 दि. 22 अक्टूबर 2002

## परिपत्र

निगम क्षेत्र के कुछ कृषि उपभोक्ता जिनको मीटर लगाकर कृषि सेवा के मीटर्ड आपूर्ति श्रेणी में प्रभारित किया गया है अथवा किया जा रहा है, सामूहिक निर्णय द्वारा अथवा व्यक्तिश: मीटर को स्वैच्छा से उतारकर संबंधित निगम कार्यालय में जमा करा रहें हैं ताकि उन्हे बिल मिनियम चार्जेच के ही जारी होते रहें जो कि एक नियम विरूद्ध कृत्य है तथा इस प्रकार निगम को आर्थिक हानि वहन करनी पड रही है। समन्वय समिति की दिनांक 4 अक्टूबर, 2002 की बैठक के निर्णयानुसार इस प्रकार के मामलों में कृषि उपभोक्ता से फ्लेट रेट के समान (Equivalent) अतिरिक्त दुरूपयोग राशि मीटर प्रणाली मे परिवर्तित करने की तिथि से चार्ज किया जावे। यह दुरूपयोग राशि तब तक चार्ज की जानी चाहिए जब तक वो कृषि उपभोक्ता पुन: सुचारू रूप से मीटर प्रणाली में परिवर्तित नहीं हो जाता है।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 42

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3631 दि. 22 अक्टूबर 2002

## आदेश-477

विषय:- कृषि कनेक्शन को किसी भी विद्युतिकृत गाँव में आंशिक भूमि क्रय पर स्थानान्तरण करने के संबंध में।

निगम के आदेश क्रमांक प्रे. 2218 दिनांक 5.8.2002 तथा प्रे. 2381 दिनांक 13.8.2002 में यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी कृषि कनेक्शन होने के पूर्व या पश्चात आंशिक भूमि क्रय के मामले में वास्तविक उपभोक्ता (Genuine Consumer) प्रकरण वरियता के आधार (Merit) के आधार पर निगम की स्वीकृति प्राप्त करके ही स्थानान्तरण किया जा सकता है।

ऐसे मामलों में किसानों को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए आंशिक भूमि क्रय करके कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए निगम स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता (योजना), अजमेर को अधिकृत किया जाता है, अत: सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), ऐसे मामलों में अथवा कम से कम 5 बीघा भूमि क्रय करने के मामले में सीधे अधीक्षण अभियन्ता (योजना) अविविनिलि, अजमेर को अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण भेजकर शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 43

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3683 दि. 22 अक्टूबर 2002

## आदेश-478

7 वर्ष या अधिक समय तक कटे रहने के बाद पुन: चालू किये गये ऐसे कृषि क्नेक्शन जिन्हें 31.3.2000 तक पुन: नर्सरी श्रेणी में चालू कर दिया गया था उन्हें समन्वय समिति की दिनांक 4.10.2002 की बैठक में लिये निर्णयानुसार तुरन्त प्रभाव से सामान्य कृषि दर श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जावे।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 44

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3689 दि. 22 अक्टूबर 2002

## आदेश-476

विषयः- कृषि कनेक्शनों को निगम के किसी विद्युतिकृत गांव में स्थानान्तरित करने के संबंध में संशोधित आदेश।

निगम के आदेश क्रमांक आर.ई.अज-37 दिनांक 16 जुलाई, 2002 के पैरा (2) में आंशिक संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि कृषक अपना कृषि कनेक्शन उक्त पैरा (2) में वर्णित अन्य रिश्तेदारों के अतिरिक्त अपनी पुत्रवधु के नाम की जमीन पर भी स्थानान्तरण करवा सकता है। देय चार्जेज एवं अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 45

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3757 दि. 26 अक्टूबर 2002

## परिपत्र

विषयः- 1962, 1965, एवं 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/संतान को कारगिल, द्रास व अन्य क्षेत्रों में सैन्य कार्यवाही के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों की तरह प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

समन्वय समिति की 4 अक्टूबर 2002 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परिपत्र आर.ई. अज-38, दिनांक 29 जुलाई 2002 द्वारा कारगिल, द्रास व अन्य क्षेत्रों में सैन्य कार्यवाही के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को देय समस्त परिलाभ 1962, 1965 एवं 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं / पुत्र-पुत्री या पुत्र-पुत्री के नाम जमीन नहीं होने पर माता पिता को भी देय होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 46

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3758 दि. 26 अक्टूबर 2002

## आदेश-489

विषय:- कृषि कनेक्शन के बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा के सम्बन्ध में।

निगम द्वारा जनहित में कृषि के उपभोक्ताओं द्वारा बढे हुए लोड की स्वैच्छिक घोषणा करने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक आर.ई.अज-35 दिनांक 18 जून, 2002 द्वारा 15 सितम्बर, 2002 तक का समय निर्धारित किया गया था।

समन्वय समिति की दिनांक 4 अक्टूबर 2002 की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार कृषि उपभोक्ताओं के लिए बढे हुए लोड की स्वैच्छिक घोषणा करने की समयावधि दिनांक 15.11.2002 तक बढ़ायी जाती है। बढ़े हुए लोड के चार्जेच एवं अन्य शर्ते जो आदेश क्रमांक आर.ई. अज-14 प्रे. 4052 दिनांक 22.10.2001 में वर्णित है में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

जो कृषक अपने बढ़े हुए लोड की स्वयं घोषणा करेगा उसे 750/- रू. (सात सौ पचास) प्रति हार्स पावर (जिससे सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल है) घोषणा के साथ जमा कराने होगें। आवश्यक होने पर नई 11 के.वी. लाइन एवं सब-स्टेशन का खर्चा निगम वहन करेगा। ऐसे उपभोक्ताओं की श्रेणी में बदलाव (फ्लेट से मीटर प्रणाली) दूसरे समकक्ष उपभोक्ता के बदलाव तक नहीं किया जायेगा।

यह राहत दिनांक 15.11.2002 तक आवेदन करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जायेगी। इस दौरान विजिलेंस चैकिग होने पर तथा अधिक लोड पाये जाने पर भी मात्र 750/- रू. प्रति हार्स पावर (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल है।) जमा करवाने होगें व बढ़ा हुआ भार नियमन किया जायेगा। 15.11.2002 के पश्चात विजिलेंस चैकिंग के दौरान अधिक लोड पाये जाने पर बढे हुये लोड के लिये रू 3450/- प्रति हार्स पावर (2000 रू. प्रति हार्स पावर कम्पनससन चार्जेज तथा 1450 रू. प्रति हार्सपावर ट्रांसफार्मेशन चार्जेज) एवं सम्पूर्ण लाईन चार्जेज, उपभोक्ता से लिए जायेंगे तथा साथ ही फ्लेट से मीटर प्रणाली की विद्युत दर लागू की जावेगी। दिनांक 15.11.2002 के पश्चात उपभोक्ता द्वारा स्वयं लोड़ बढ़ाने के आवेदन पर सम्पूर्ण लाईन के आधे चार्जेज तथा 1450/-रु. प्रति हार्स पावर चार्जेज लिये जायेंगे।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 47

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3759 दि. 26 अक्टूबर 2002

## आदेश-490

राज्य में भयंकर अकला एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओ को राहत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया है कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर ही बिल वसूल किये जायें तथा मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक विद्युत उपभोग की राशि के अन्तर की राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा वितरण निगमों को किया जायेगा। तद्नुसार सामान्य कृषि श्रेणी की मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड-4000) से बिलिंग माह नवम्बर 2002 से वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल की राशि वसूल की जायेगी। उक्त उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले बिल की राशि वसूल की जायेगी। उक्त उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले बिलों में पूर्व की भाँति मिनिमम बिलिंग की राशि के अन्तर को अलग से इंगित किया जायेगा, परन्तु उपभोक्ता को केवल वास्तविक उपभोग की राशि ही जमा करानी होगी। यदि उपभोक्ता वास्तविक उपभोग की राशि जमा नहीं कराता है तो टैरिफ के प्रावधानानुसार विलम्ब शुल्क अधिभार लगाया जायेगा। मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक उपभोग के अन्तर की राशि को भी बिल में दर्शाया जायेगा। जिसका राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण निगम को पुर्नभरण किया जायेगा। मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक उपभोग के अन्तर की राशि को भी बिल में दर्शाया जायेगा। जिसका राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण निगम को पुर्नभरण किया जायेगा। मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक उपभोग की राशि के अन्तर की राशि पर विलम्ब शुल्क अधिभार नहीं लगेगा और मिनिमम बिलिंग के विपत्र के अन्तर की राशि बकाया के रूप में आगामी विपत्रों में नहीं दर्शायी जायेगी। उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक, बिल बनाने वाली संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी करेगें। इसके अतिरिक्त वे मिनिमम बिलिंग के अन्तर की राशि जिसका पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है का क्लेम प्रति माह राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगें।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 48

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3760 दि. 26 अक्टूबर 2002

## आदेश-491

राज्य में अकाल व सूखे को ध्यान में रखते हुए कृषकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से जिन किसानों के कुए सूख गये है उनके अस्थाई सम्बन्ध विच्छेद करने का प्रावधान निगम के आदेश संख्या 81 दिनांक 10.5.2002 (आर.ई.अज-26) के द्वारा दिनांक 31.5.2002 तक प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया था।

अब कृषि उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए जिन किसानों के कुएं सूख गये है, जिन्होनें उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत 31.5.2002 तक कनेक्शन कटवाने का आवेदन नहीं किया है तथा

उन्हें बिजली काम में नहीं लेने पर भी न्यूनतम बिल अथवा फ्लेट रेट के बिल का भुगतान करना पड रहा है, ऐसे किसानों को राहत देने के लिए तुरन्त प्रभाव से 1 सितम्बर 2003 तक की अवधि के लिए स्वेच्छा से अपना कनेक्शन कटवाने का मौका मिलेगा तथा इस अवधि में कोई न्यूनतम बिल अथवा फ्लेट रेट बिल नहीं लिया जायेगा। 1 सितम्बर से 15 सिम्बर 2003 तक ऐसे किसान बिना किसी चार्ज के कनेक्शन को जुड़वा सकेगें।

कुआ सूखने के कारण कनेक्शन कटवाने वाले किसानों की बकाया राशि की वसूली भी 15 नवम्बर 2003 तक नही की जायेगी। कनेक्शन कटे होने की अवधि में सम्पूर्ण ब्याज की भी छूट दी जायेगी।

कुआ सूखा होने संबंधी प्रमाण-पत्र भी केवल सहायक अभियन्ता द्वारा ही दिया जाना है।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 49

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3761 दि. 26 अक्टूबर 2002

## आदेश-492

पूर्व मण्डल के कृषि कनेक्शन-दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के बिन्दु संख्या 21 (ब)(ii) के अनुसार 5 वर्ष से अधिक कटे हुए कृषि कनेक्शनों का पुनः कनेक्शन साधारण कृषि श्रेणी में नहीं करने, तकमीना एल.टी. रहित प्रणाली से बनाकर लाईन का सम्पूर्ण खर्चा, रू. 1450/- प्रति हार्स पावर ट्रान्सफार्मेशन चार्जेज एवं यदि 11 के.वी. के वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक है तो वी.आर. चार्जेज 10 हार्स पावर तक रूपये 1500/- प्रति हार्स पावर एवं इससे अधिक पर रूपये 750/- प्रति हार्स पावर अतिरिक्त लिये जाने का प्रावधान है। इससे उपभोक्ता को अत्यधिक राशि जमा करवानी पड़ती है।

अब कृषकों को अकाल के वर्ष में राहत पहुँचाने के उद्देश्य से कटे हुए कृषि कनेक्शन को पाँच वर्ष तक जुड़वाने में मिल रही सुविधा दिसम्बर 2002 तक पाँच वर्ष से अधिक कटे हुए कनेक्शन पर भी दी जा रही है।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 50

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3762 दि. 26 अक्टूबर 2002

## आदेश-493

अजमेर विद्युत वितरण निगम के परिपत्र संख्या :- प्रे. 733 दिनांक 6.5.2002 (आर.ई.5अज-25) के द्वारा जारी कृषि नीति के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सामान्य एवं स्पेशल स्कीम के जिन आवेदकों के 11 के.वी. वी.आर. 8 प्रतिशत की सीमा से अधिक है उनके मांग पत्र जारी नहीं करने के निर्देश जारी किये हुए है।

चुँकि सामान्य श्रेणी के आवेदनों की ''कट ऑफ-डेट'' की वरीयता आने में 10-12 साल का समय लग जाता है तथा वरीयता में आने के बाद भी 11 के.वी. वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण कनेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए इन आवेदकों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2002-2003 तक ''कट-ऑफ-डेट'' में आने वाले साधारण श्रेणी के आवेदकों को (पूर्व में अस्थाई पेन्डिग रखे गये आवेदनों सहित) 8 प्रतिशत से अधिक वी.आर. की लाईनों पर मांग पत्र जारी कर कनेक्शन जारी कर दिये जायें। यह सुविधा अकाल की परिस्थितियों के कारण प्रदान की जा रही है।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 51

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3763 दि. 26 अक्टूबर 2002

## आदेश-494

अजमेर विद्युत वितरण निगम के आदेश संख्या 196 दिनांक 18.6.2002 (आर.ई.अज-34) के द्वारा जिन आवेदकों के मांग पत्र दिनांक 1.4.1999 से 31.3.2002 तक किन्हीं कारणों से जमा नहीं हुए है तथा पत्रावली निरस्त कर दी गई उनके लिए 15 जून से 15 अगस्त 2002 तक रू 500/- जमा करवाकर पत्रावली पुर्नजीवित करवाने का प्रावधान किया हुआ था।

अब कृषि उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राहत देने के उद्देश्य से उपरोक्त परिपत्र में संशोधन किया जाककर, ऐसे समस्त उपभोक्ता जिनके आवेदन अप्रेल 1999 के बाद मांग पत्र जमा नहीं कराने के कारण निरस्त हो गये है उनको दिसम्बर 2002 तक आवेदन को पुर्नजीवित कराने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। संशोधित मांग पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार दिये जायेगें। अन्य प्रावधान यथावत रहेगें

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 52

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 3764 दि. 26 अक्टूबर 2002

## आदेश-495

अजमेर विद्युत वितरण निगम के आदेश संख्या 259 दिनांक 16.7.2002 (आर.ई.अज-37) में कृषि कनेक्शन को उसी गांव अथवा साथ वाले गांव में स्थानान्तरित करवाने पर रूपये 1450/- प्रति हार्स पावर सब-स्टेशन / ट्रांसफार्मेशन चार्जेज समस्त उपभोक्ताओं से चार्ज करने का प्रावधान किया हुआ है।

अब ऐसे कृषकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण में रू. 1450- प्रति हार्स पावर ट्रासफार्मेशन चार्ज नहीं लिया जायेगा तथा कनेक्शन निगम के किसी भी विद्युतीकृत गांव में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। कटे हुए कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने में निम्न अतिरिक्त सुविधायें और दी जा रही है:-

1. कटे हुए कृषि कनेक्शन को जुड़ने के दो साल तक स्थानान्तरण पर रोक नहीं रहेगी तथा अधिशाषी अभियन्ता इस काम को स्वीकृत कर सकेगें।

2. कटे हुए कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरण से पूर्व उसी स्थान पर जुडवाना जरूरी नहीं रहेगा तथा री-कनेक्शन नये स्थान पर बनाये गये तकमीनें के अनुसार किया जा सकेगा चार्जेज प्रचलित नियमों के अनुसार ही लिये जायेगें।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 53

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 4743 दि. 19 दिसम्बर 2002

## आदेश-609

समन्वय समिति की 49 वीं बैठक में लिए गये निर्णयानुसार कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए ट्रान्सफार्मर लगाने तथा बिना ट्रान्सफार्मर लगने वाले कनेक्शनों की प्राथमिकता अलग-अलग रखी जावे। तदनानुसार जो कृषि कनेक्शन केवल एल.टी. लाईन खींच कर जारी किये जा सकते है उन्हें ऐसे कनेक्शन पर वरीयता देकर जारी किया जा सकता है जिनमें ट्रान्सफार्मर लगाया जाना आवश्यक हो।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 54

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 4742 दि. 19 दिसम्बर 2002

## आदेश-608

समन्वय समिति की 49 वीं बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आदेश संख्या आर.ई.-अज 50 प्रे. 3762 दिनांक 26 अक्टूबर 2002 द्वारा वर्ष 2002-2003 तक ''कट ऑफ डेट'' में आने वाले साधारण श्रेणी के आवेदकों को 8 प्रतिशत से अधिक वी.आर. की लाईनों पर कनेक्शन जारी करने की छूट राज्य की अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जन जाति के साधारण श्रेणी के आवेदकों को भी देय होगी। यह सुविधा अकाल की परिस्थितियों के कारण प्रदान की जा रही है।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 55

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 5100 दि. 8 जनवरी 2003

## आदेश-641

निगम के आदेश संख्या-477 क्रमांक 3681 दिनांक 22.10.2002 (आर.ई.-अज-42) के तहत कृषि कनेक्शन होने से पूर्व एवं पश्चात आंशिक भूमि क्रय के मामले में वास्तविक उपभोक्ता अथवा कम से कम 5 बीघा भूमि क्रय करने पर कनेक्शन स्थानान्तरित करने की स्वीकृति अधिशाषी अभियन्ता (पवस) की अनुशंषा पर अधीक्षण अभियन्ता (योजना) अविविनिलि अजमेर द्वारा दिये जाने का प्रावधान था।

उक्त आदेश (आर.ई.अज-42) को विलोपित करते हुए तथा आदेश क्रमांक 2218 दिनांक 5 अगस्त 2002 के पैरा (2) में आंशिक संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) द्वारा आंशिक भूमि क्रय करने पर भी अपनी जमीन की सिंचाई हेतु कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित किया जा सकता है तथा ऐसे मामलों की स्वीकृति के लिए आर.ई.अज-37 दिनांक 16 जुलाई 2002 में वर्णित सक्षम अधिकारी अर्थात अधिशाषी अभियन्ता (पवस) ही अधिकृत होगें।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

No.AVVNL:SE (PLAN) SEC-STDP:F:D:No. 5168 DATED : 14 JAN 2003

1. The Chief Englineer (O&M)
2. The Zonel Chief Engineer
   A.V.V.N.L. Ltd.
   UDAIPUR/JHUNJHUNU/AJMER
3. All Superintending Engineer (O&M)
   A.V.V.N.L. Ltd.

   AJMER/BHILWARA/UDAIPUR/SIKAR/JHUNJHUNU/SIKAR/NAGAUR/
   CHITTORGARH/BANSWARA

SUB:- Regarding voluntary dis-closure of extended agriculture load.

As you are aware that the scneme of voluntary dis-closure of extended load by the dgriculture consumers was previously closed on dated 15th Nov. 2002 but looking to the drought and femine condition in the state as well as suggestings received from the vigilence wing, the matter was discussed in the Sr. Officer's meeting held on 7th Jan. 2003 and it was decided that the scheme of voluntary disclosure of extended agriculture load is hereby again declared for the month of Jan. 2003 i.e. from Ist Jan. 2003 to 31st Jan. 03 During this period the agriculture consumers may regularised their extended load by depositing Rs. 750/- per HP alongwith the self declaration.

It was also decided in the meeting that load extension cases detected by vigilence during this period may be regularised at the rate of Rs. 750/- = per HP (including the service connection charges). All other terms and conditions of RE-AJ-46 D-3758 dated 26th Oct. 02 will remain same.

(S.R.G. SABAL)

SUPERINTENDING ENGINEER (PLAN)

आर.ई.अज. 56

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 5816 दि. 18 फरवरी 2003

## आदेश-720

राज्य में भयंकर अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया है कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर ही बिल वसूल किये जाये तथा मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक विद्युत उपभोग की राशि के अन्तर की राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा वितरण निगमों को किया जायेगा।

तद्नुसार कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई के विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड संख्या 4200 एवं 4400) से बिलिंग माह मार्च 2003 से वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल की राशि

वसूल की जावेगी। पूर्व में जारी आदेश आर.ई.अज-47 दिनांक 26.10.2002 में वर्णित दिशा-निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले बिल में पूर्व की भाँति मिनिमम बिलिंग की राशि को अलग से इंगित किया जावेगा परन्तु उपभोक्ता को केवल वास्तविक उपभोग की राशि ही जमा करवानी होगी।

उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक अविविनिलि, अजमेर बिल बनाने वाली संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि मिनिमम बिलिंग की राशि के अन्तर की राशि जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है का क्लेम राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

उपरोक्त आदेश बिलिंग माह मार्च 2003 से लागू होगें। चालू वित्तीय वर्ष के बिलिंग माह फरवरी 2003 तक पूर्व आदेशानुसार जारी किये गये बिलों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा देय होगा।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 57

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 5817 दि. 18 फरवरी 2003

## आदेश-721

विषय:- अकाल के कारण लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जन जाति के कृषकों को बिजली के बिल जमा कराने में राहत प्रदान करने हेतु।

राज्य में भंयकर अकाल की स्थिति के कारण लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति व जन जाति के कृषकों के समक्ष बिजली के बिलों को जमा करवाने में आ रही कठिनाई से राहत प्रदान करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

जिला प्रशासन द्वारा प्रमाणित समस्त लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के 4 हैक्टेयर भूमि सीमा तक के कृषकों से उनके कृषि कनेक्शन के बिलों की राशि वसूली को माह मई 2003 के अन्त तक स्थगित किया जाता है।

इन कृषकों द्वारा माह मई 2003 के अन्त तक इन बिलों के जमा करवाने पर इस समय सीमा में कोई ब्याज तथा लेट पेमेन्ट सरचार्ज नहीं लिया जायेगा।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 58

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 5818 दि. 18 फरवरी 2003

## परिपत्र

विषय:- कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

साधारण व स्पेशल श्रेणी के कृषि आवेदकों को समयबद्ध रूप से कनेक्शन देने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है:-

1. स्पेशल श्रेणी में समस्त आवेदकों को जिनके मांग पत्र जनवरी 2003 तक जमा है उन्हें मार्च 2003 तक कनेक्शन जारी कर दिये जाये।

2. जिन स्पेशल श्रेणी के आवेदकों के मांग पत्र पहले से ही जारी हो चुके है और वे अब मांग पत्र की राशि जमा करा देते है उनको मई 2003 तक कनेक्शन दे दिये जाये।

3. स्पेशल श्रेणी के बाकी समस्त तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को तुरन्त मांग पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाये तथा मांग पत्र की राशि जमा करवाने वाले आवेदकों को 30 जून 2003 तक कनेक्शन जारी कर दिये जायें।

4. सामान्य श्रेणी के जिन आवेदकों के जनवरी 2003 तक मांग पत्र जमा हो चुके है या मांग पत्र जारी कर दिये है तथा वे आवेदक अब धन राशि जमा करवा देते है उनको कनेक्शन जून 2003 तक दे दिया जाये।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

No.AVVNL/CMD/SE (PLAN) F. No. 5819 DATED : 18 FEB 2003

CIRCULAR

Sub:- Overrding priority to the drinking water connections
In order to accord top proority to the drinking water connections. follow ing guide lines are hereby issued for compliance by the field officers:-

1. Drinking water connections to panchayati Raj Institution under Sector Reforms Programme should be issued on the same priority and in the same manner as for PHED connection. V.R. should not be allowed to stand in the way of PHED connections.

2. Replacement of burnt transformers catering PHED supplies should be given overriding priority.

3. On the feeders where there are virtually no agriculture connections bu PHED connections are existent the supply hours on such feeders should be increased to meet the requirement of PHED.

4. Pending PHED connections would have to be released on top most priority preferably within a month.

(B.L. ARYA)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

आर.ई.अज. 59

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 6264 दि. 11 मार्च 2003

## आदेश-777

विषय:- मृत भूतपूर्व सैनिक के पिता/पौत्र या वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम से सामान्य श्रेणी कृषि कनेक्शन में वरीयता देने के संबंध में।

निगम के आदेश संख्या आर.ई. अज-28 दिनांक 20 मई 2002 के पैरा 2 के अनुसार कार्यरत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिये ''कट-ऑफ-डेट'' से तीन वर्ष की प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है।

इसी क्रम में समन्वय समिति की 52 वीं बैठक में दिनांक 10 फरवरी 2003 को लिये गये निर्णयानुसार भूतपूर्व सैनिक की विधवा की मृत्यु हो जाने पर या विधवा के नाम भूमि नही होने पर मृत भूतपूर्व सैनिक के पुत्र, पुत्र के जीवित न होने पर पिता, पौत्र अथवा किसी अन्य वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम की भूमि होने पर सामान्य श्रेणी की ''कट-ऑफ-डेट'' से तीन वर्ष की प्राथमिकता से सामान्य कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जावे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 60

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 1 दि. 1 अप्रेल 2003

## परिपत्र

विषय:- मार्च 2002 के दौरान कृषि कनेक्शन के बढे हुए भार के चार्जेज 750/- प्रति हार्स पावर लेने बाबत्।

मार्च 2002 के दौरान कृषि उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक घोषणा कर भार बढाने अथवा विजिलेन्स चैकिंग के दौरान बढा हुआ लोढ पाये जाने पर यद्यपि निगम द्वारा किसी प्रकार की रियायत नही दी गयी थी परन्तु उक्त अवधि में जयपुर डिस्कॉम ने अपने आदेश आर.ई.ओ.-35 दिनांक 16.3.2002 तथा जोधपुर डिस्कॉम ने आदेश क्रमांक वाणिज्य - 110 दिनांक 26.3.2002 के द्वारा कृषि उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक घोषणा कर लोढ बढाने पर या विजिलेंस चैकिंग पर बढा हुआ लोढ पाये जाने पर 750/- रूपये प्रति अश्व शक्ति की दर से चार्ज कर नियमित करने का प्रावधान कर रखा था क्योकि राजस्थान प्रान्त में

विद्युत सम्बन्धी सभी नियम समान होने चाहिए को ध्यान में रखते हुए आदेश दिये जाते है कि माह मार्च 2002 के दौरान जिन कृषि उपभोक्ताओं ने स्वैच्छिक घोषणा करने पर अथवा विजिलेन्स चैकिंग के दौरान बढा हुआ भार पाये जाने पर जो अधिक राशि जमा करा दी है को 750/- रूपये प्रति हार्स पावर की दर से जार्च कर शेष अधिक राशि को उनके आगामी विद्युत बिलों में छः समान किश्तों में समायोति कर दिये जायें।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 61

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 178 दि. 17 अप्रेल 2003

## आदेश-20

विषयः- कृषि कनेक्शन के बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल की 35वीं बैठक में दिनांक 31 मार्च 2003 में लिए गए निर्णयानुसार सूखे एवं अकाल की स्थिति के मध्यनजर कृषि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा करने की योजना की अवधि पूर्व आदर्श क्रमांक प्रे. 5168 दिनांक 14.12.2003 द्वारा घोषित दिनांक 31.12.2003 से आगे लगातार दिनांक 3.7.2003 तक बढ़ायी जाती है। इस दौरान विजिलेंस बैकिंग होने पर तथा अधिक लोड पाए जाने पर भी मात्र 750/- रू. प्रति हार्स पावर (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल है) जमा करवाने होंगे तथा बढ़ा हुआ भार नियमन किया जायेगा।

आदेश संख्या आर.ई.अज. 46 प्रे. 3758 दिनांक 26.10.2002 में वर्णित अन्य प्रावधान एवं शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 62

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 468 दि. 2 मई 2003

## परिपत्र

विषयः- चोरी करते पाये जाने वाले कृषकों को फार्म हाउस श्रेणी में कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम के आदेश क्रमांक आर.ई.अज. - 32 प्रे. 1379 दिनांक 18 जून 02 के अनुसार जिन कृषकों द्वारा अनाधिकृत विद्युत उपभोग किये जाने पर विजिलेंस रिपोर्ट दिनांक 31.3.2002 तक दर्ज की जा चूकी है, उनमें से यदि कोई कृषक कनेक्शन लेना चाहे, तो उन्हें स्पेशल स्कीम में कनेक्शन कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाने के पश्चात एवं स्पेशल श्रेणी में आवेदन के बाद जारी करने का प्रावधान था।

अब चूँकि स्पेशल स्कीम बन्द हो गई अत: इस सम्बन्ध में समन्वय समिति की 54 वीं बैठक दिनांक 19.3.2003 में निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में चोरी करते पाये जाने वाले कृषकों को कम्पाउडिंग राशि जमा कराने के पश्चात फार्म हाउस श्रेणी में आवेदन प्राप्त होने पर कनेक्शन जारी किये जावें।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 63

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 469 दि. 2 मई 2003

## आदेश-66

विषय:- शहीद के पारिवारिक नातेदार (Next Kin) को सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम के परिपत्र संख्या आर.ई.अज.-38 दिनांक 29.7.02 व आर.ई.अज-45 दिनांक 26.10.2002 में प्रावधान किया हुआ है कि 1962, 1965 व 1971 के युद्धों तथा कारगिल, द्रास व अन्य क्षेत्रों में सैन्य कार्यवाही के दौरान सैनिकों अथवा अर्द्ध सैनिक बलों के वीर गति प्राप्त सैनिकों के स्वयं के नाम अथवा उनकी विधवाओं या पुत्र-पुत्री के नाम यदि भूमि नहीं हो तो उनके माता-पिता के नाम भी कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में समन्वय समिति की 55 वीं बैठक दिनांक 7.4.2003 में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी समय देश के किसी भी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि के दौरान शहीद हुए सैनिक / अर्द्ध सैनिक के परिवार के सदस्य (Next Kin) के बारे में प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक या अर्द्धसैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन जारी किया जावे।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.अज. 64

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि. /अ.अ. /(योजना)/प्रे. 642 दि. 16 मई 2003

## आदेश-94

विषय:- कृषि कनेक्शनों में प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में।

समय-समय पर निगम द्वारा जारी ग्रामीण विद्युतीकरण आदेशों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी करने में विभिन्न प्राथमिकतायें दी है। समन्वय समिति की 56 वीं बैठक दिनांक 25.4.2003 के द्वारा उन सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुये आवेदकों को कृषि कनेक्शनों में निम्न प्रकार से प्राथमिकतायें दी जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | राज्य के सभी अनुसूचित जाति के सामान्य श्रेणी में प्रार्थना पत्र (आर.ई.अज-15) | तुरन्त प्राथमिकता |
| 2. | राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र (आर.ई.अज-15) | तुरन्त प्राथमिकता |
| 3. | 1962,1965 व 1971 के युद्धों में कारगिल द्रास व अन्य क्षेत्रों में इसके पश्चात अन्य सैन्य कार्यवाही अन्य किसी समय देश के किसी भी क्षेत्र में आतकवादी गतिविधि के दौरान शहीद की विधवा या पुत्र-पुत्री के नाम भूमि नहीं हो तो उसके माता-पिता को बशर्ते ऐसा प्रमाण-पत्र सम्बन्धित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो (आर.ई.अज-38, 45, 63) | तुरन्त प्राथमिकता |
| 4. | परमवीर चक्र/महावरी चक्र से अंलकृत सैनिको के नाम अथवा मृत्यु होने पर विधवा या परिवार के सदस्य (Next Kin) क बारे में प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक/अर्द्धसैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो (इसी आदेश से लागू) | तुरन्त प्राथमिकता |
| 5. | कार्यरत सैनिको भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं (विधवा के नाम जमीन नही होने पर अन्य वैधानिक उत्तराधिकारी) को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिये (आर.ई.अज-28, 59) | 3 वर्ष की प्राथमिकता |
| 6. | राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक कार्मिकों को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों में (आर.ई.अज-40) | 3 वर्ष की प्राथमिकता |
| 7. | शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग आवेदको को सामान्य श्रेणी की कट ऑफ डेट से (आर.ई.अज-28) | 3 वर्ष की प्राथमिकता |
| 8. | निगम कर्मचारियों को वरीयता क्रम में (आर.ई.अज-28) | 6 माह की प्राथमिकता |

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आर.ई.-अज-65

क्रमांक/अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. /अ.अ.(योजना)/प्रे. 1233 दिनांक 18-6-2003

## आदेश - 207

विषय:- वर्ष 2003-04 में कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

वर्ष 2003-04 में कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के सम्बन्ध में विद्युत निगम की समन्वय समिति की 58वीं बैठक दिनांक 2-6-2003 में निर्णय लिया गया है कि :

वर्ष 2003-04 में राज्य की तीनों वितरण कम्पनियों में कुल 15000 (पांच हजार प्रत्येक निगम) कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य निर्धारित किये है। इस वर्ष 2003-2004 में सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों की वर्ष 2002-2003 में जारी कृषि नीति के अनुसार सामान्य श्रेणी की पंचायत समितिवार कट आफ डेट की यथावत वर्ष 2003-2004 में रहेंगी।

1. सामान्य श्रेणी के वर्ष 2002-03 की कट आफ डेट में आने वाले शेष रहे आवेदकों के डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये जावें।

2. सामान्य श्रेणी के वर्ष 2002-03 के कट आफ डेट में आने वाले ऐसे आवेदक/राज्य के सामान्य श्रेणी अनुसूचित जाति व जनजाति उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के जिनके 11 केवी लाईन के वीआर 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण मांग पत्र जारी नहीं किये गये तथा उनकी अगली प्राथमिकता के आवेदकों को मांग पत्र जारी किये हैं ऐसे छूटे गये आवेदकों को राज्य में अकाल की स्थिति के मद्देनजर 8 प्रतिशत वी.आर. की सीमा अवधि में जो छूट प्रदान की हुई है वह इस वर्ष में भी जारी रहेंगी।

3. स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे किन्तु इस योजना के पूर्व आवेदकों को कनेक्शन देने के सम्बन्ध में परिपत्र क्रमांक 5818 दिनांक 18.3.2003 आरईअज-58 में निहित प्रावधान के अनुसार जिनके मांग पत्र जारी कर दिये है तथा मांग पत्र के अनुसार राशि जमा करने पर मई 2003 तक कनेक्शन दिये जाने थे।

   स्पेशल श्रेणी के बाकी समस्त तकनीकी रूप से साध्य आवेदको को तुरन्त मांग पत्र जारी करने है तथा मांग पत्र की राशि जमा करवाने वाले आवेदको को 30 जून 2003 तक कनेक्शन जारी कर दिये जाये।

   स्पेशल स्कीम बन्द होने के कारण वर्तमान में चोरी करते पाये जाने वाले कृषकों को कम्पाउडिंग राशि जमा कराने के पश्चात फार्म हाउस श्रेणी में आवेदन प्राप्त होने पर कनेक्शन जारी किये जाने हैं। इनके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में फार्म हाउस श्रेणी में कृषि कनेक्शन पूर्ववत जारी करने हैं।

4. स्पेशल / 1-4-2000 से नर्सरी स्कीम के जारी किये गये कनेक्शनों को एवं भविष्य में जारी होने वाले समस्त कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी की उसी गांव के नीचे वरीयता वाले आवेदकों को कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य कृषि दर से बिलिंग कर दिया जावे। तब तक इस स्कीम में जारी किये गये कनेक्शनों का वर्तमान में प्रभावी दर के अनुसार बिलिंग किया जावे।

5. जिन आवेदकों ने कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र की राशि जमा कराके एल फार्म (विद्युत फिटिंग करवाकर) प्रस्तुत कर दिये हैं, उनको माह का आधार मानते हुये प्राथमिकता अनुसार कनेक्शन जारी किये जावें।

6. सामुदायिक जलोत्थान योजना में जितने प्रार्थना पत्र कनेक्शन लेने हेतु लम्बित है तथा इस वर्ष में जो नये आवेदन प्राप्त होते हैं, उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष में लाईन की पूरी कीमत एवं ट्रांसफार्मेशन चार्जेज रू. 1450/- प्रति हार्स पावर की दर से मांग पत्र जारी करने हैं। इन आवेदकों के मांग पत्र जमा होने पर एवं पूर्व में आवेदक जिन्होंने मांग पत्र की राशि जमा करादी है उन सभी को इसी वर्ष में कनेक्शन देने हैं।

7. कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु निम्न प्रकार से निगम द्वारा प्राथमिकताये दी जा रही है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | राज्य के सभी अनुसूचित जाति के सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र | तुरन्त प्राथमिकता |
| 2. | राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र | तुरन्त प्राथमिकता |
| 3. | (अ) 1962, 1965 व 1971 के युद्धों में कारगिल द्रास व अन्य क्षेत्रों में इसके पश्चात अन्य सैन्य कार्यवाही अन्य किसी समय देश के किसी भी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि के दौरान शहीद की विधवा या पुत्र-पुत्री के नाम भूमि नहीं हो तो उसके माता-पिता को बशर्ते मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो - | तुरन्त प्राथमिकता |
| | (ब) उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशों में शहीद (जैसे : पवन-श्रीलंका इत्यादि) शहीद के वैधानिक उत्तराधिकारी (Next Kin)को बशर्ते मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो। (इसी आदेश से लागू) | तुरन्त प्राथमिकता |
| 4. | परमवीर चक्र/महावीर चक्र से अलंकृत सैनिकों के नाम अथवा मृत्यु होने पर विधवा या परिवार के सदस्य के (Next Kin) के बारे में प्रमाण पत्र संबंधित सैनिक / अर्धसैनिक संस्था से प्राप्त होने पर एक विद्युत कृषि कनेक्शन | तुरन्त प्राथमिकता |
| 5. | कार्यरत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं (विधवा की मृत्यु होने पर या विधवा के नाम जमीन नहीं होने पर अन्य वैधानिक उत्तराधिकारी) को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिये। | 3 वर्ष की प्राथमिकता |

6. राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक कार्मिकों को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों में। — 3 वर्ष की प्राथमिकता

7. शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग आवेदको को साामन्य श्रेणी की कट आफ डेट से। — 3 वर्ष की प्राथमिकता

8. निगम कर्मचारियों को वरीयता क्रम में। — 6 माह की प्राथमिकता

8. सभी श्रेणीयों के लिये पोल चार्जेज, ट्रांसफोरमेशन चार्जेज तथा अन्य चार्ज/शुल्क पूर्व में जारी आदेशानुसार लिये जायेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(एम. एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 66

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 1970 — दिनांक : 11.8.2003

## आदेश - 850

विषय : चोरी करते पाये जाने वाले सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

समन्वय समिति की 59वीं बैठक में दिनांक 5.7.2003 मे निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के वे आवेदक जो चोरी करते पाये जाते है व कनेक्शन लेना चाहते है, तो उनकी पत्रावली निरस्त न की जाकर चोरी करते पाये जाने वाले समय से तीन वर्ष तक (अनुसूचित जाति के लिये 2 वर्ष तक) या आवेदक का सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में कनेक्शन का नाम आने तक जो भी बाद मे हो, फार्म हाऊस श्रेणी मे चार्ज किया जाये।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 67

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 2083 दिनांक : 22.8.2003

## आदेश - 866

विषय : निरस्त कृषि पत्रावली पुनजीवित करवाने बाबत अवसर।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आदेश - 494 (आर.ई.अज.-51)दिनांक 26.10.02 के द्वारा कृषि आवेदकों को यह सुविधा प्रदान की गई थी कि जिनके आवेदन अप्रैल 1999 के बाद मांग पत्र जमा नहीं कराने के कारण निरस्त हो गए थे, वो दिसम्बर 2002 तक रू. 500/- जमा करवाकर पत्रावली पुनर्जीवित करवा सकते थे।

चूंकि अकाल की स्थिति के कारण कुछ कृषि आवेदक डिमाण्ड नोट की राशि नहीं जुटा पाए तथा उक्त सुविधा का लाभ नही उठा सके। अत: समन्वय समिति की 60 वीं बैठक में दिनांक 7 अगस्त, 03 को लिए गए निर्णयानुसार, ऐसे समस्त कृषि आवेदक जिनके आवेदन अप्रैल 1999 के बाद मांग पत्र जमा नहीं कराने के कारण निरस्त हो गए है उनको 31.12.03 तक रू. 500/- जमा करवाकर आवेदन को पुनर्जीवित कराने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। संशोधित मांग पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों के अन्तर्गत दिये जायेंगे। अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 68

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 2726 दिनांक : 7.10.2003

## आदेश - 968

विषय : कृषि कनेक्शन को किसी भी विद्युतीकृत ग्राम में आंशिक क्रय भूमि पर स्थानान्तरण करने संबंध में।

निगम के आदेश क्रमांक अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि./अ.अ. (योजना)/प्रे. 5100 (आर.ई-अज.55) दिनांक : 8.1.03 के द्वारा अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि जिन कृषकों के कुऐं सूख गये है तथा वे दूसरी जगह आंशिक भूमि क्रय कर वहां कुआ खुदवाकर पाईप के द्वारा अपनी पुरानी जमीन की सिंचाई करना चाहते है उनके लिए आंशिक क्रम भूमि पर भी अपनी जमीन सिंचाई हेतु कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित कर दिये जाने का प्रावधान किया गया था परन्तु इसके बारे में दूरी की सीमा निश्चित नहीं की गई थी। अत: समन्वय समिति की 61वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार नई जगह पर आंशिक क्रय की गई भूमि से पुरानी जमीन की सिंचाई के लिये पाईप लाईन की लम्बाई एक कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 69

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 2762 दिनांक : 9.10.2003

## आदेश - 975

विषय : कृषि कनेक्शन को किसी भी विद्युतीकृत ग्राम में क्रय की गई भूमि में स्थानान्तरण करने के संबंध में।

निगम के आदेश क्रमांक 1870 दि. 16.7.2002 (आर.ई.अज. 37) एवं आदेश क्रमांक 2218 दिनांक 5.8.2003 एवं 2381 दिनांक 13.8.02 के तहत कृषि उपभोक्ता अपने कृषि कनेक्शन के होने से पूर्व व बाद में निगम के किसी भी विद्युतीकृत ग्राम में स्थानान्तरित करवा सकता है। यह सुविधा वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) देय हैं।

समन्वय समिति की 61वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त स्थानान्तरण के लिए यह आवश्यक होगा कि नये स्थान पर क्रय की गई भूमि कम से कम एक हैक्ट्यर हो।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 70

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 3019 दिनांक : 31.10.2003

## आदेश - 1025

राज्य में अकाल व सूखे को ध्यान मे रखते हुए आदेश संख्या प्रे. 800 दिनांक 10.5.02 (आरई अज - 26) व आदेश संख्या प्रे. 3760 दिनांक 26.10.02 (आरई अज - 48) द्वारा कृषकों के लिए स्वेच्छा से अस्थाई संबंध विच्छेद का प्रावधान किया गया था तथा न्यूनतम शुल्क, फ्लैट रेट चार्ज व बकाया पर ब्याज आदि की छूट भी दी गई थी। प्रावधानो के अनुसार 15 सितम्बर तक कनेक्शन जुडवाने की समय सीमा प्रसारित की गई थी। समय-समय पर फिल्ड अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह देखने में आया है कि काफी संख्या में कृषकों ने दि. 26.10.02 को प्रसारित आदेशों से पूर्व से ही स्वेच्छा से कनेक्शन कटवा लिये थे तथा वे कृषक 26.10.02 (आरई अज - 48) में दी गई सुविधाओं से वंचित रह गये थे। प्राय: ऐसा भी देखने में आया है कि जिन कृषकों ने स्वेच्छा से कनेक्शन कटवाये है वे अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बकाया पर ब्याज एवं आर.सी. फीस देने में असमर्थ है एवं उक्त कारणों से ऐसे कृषकों द्वारा बिना कनेक्शन जुडवायें ही विद्युत के दुरूपयोग की संभावना बढ़ती है जिससे निगम को भी भारी आर्थिक हानि उठानी पडेगी। उक्त स्थिति में समस्या के संतोषजनक समाधान के लिये निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही है :-

1. आरई अज-48 के प्रावधान एवं दी गई सुविधा उन कृषकों पर भी लागू होगी जिन्होंने स्वेच्छा से कुआ सूखने पर 1.4.2002 के बाद निगम में प्रार्थना पत्र देकर कनेक्शन कटवाये हैं।

2. ऐसे कृषकों को 31.12.2003 तक कनेक्शन जुड़वाने के लिये री-कनेक्शन फीस में छूट दी जायेगी परन्तु 15 सितम्बर 2003 के उपरान्त, कनेक्शन जुड़वाने की तिथि तक ब्याज में छूट नहीं दी जावेगी।

3. 31 दिसम्बर 2003 के बाद कनेक्शन जुड़वाने वाले कृषकों से री-कनेक्शन फीस लेने के अतिरिक्त निम्न प्रकार ब्याज की वसूली की जायेगी।

   अ. आरई अज-48 के अन्तर्गत कनेक्शन कटवाने वालो से 15 सितम्बर 2003 के बाद ब्याज की वसूली की जायेगी।

   ब. अन्य कृषकों से कनेक्शन कटने की तिथि से कनेक्शन जुड़वाने की तिथि तक पूर्ण ब्याज की वसूली की जायेगी।

4. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्वेच्छा से नहीं कटे है एवं बकाया वसूली के कारण काट दिये गये हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 71

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 3020 दिनांक : 31.10.2003

## आदेश - 1026

विषय : स्पेशल श्रेणी के कृषि कनेक्शन के जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन के संबंध में।

पूर्व में सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन जारी होने से पूर्व निगम के आदेश क्रमांक आर.ई.ए. 207 दि. 22.6.2000 पैरा 18 (अ) तथा प्रे. 2381 दि. 13.8.02 (पैरा 18 (अ) में संशोधन) के द्वारा स्थान परिवर्तन की सुविधा प्रदान की गई है परन्तु सामान्य श्रेणी की भांति स्पेशल श्रेणी के कृषि कनेक्शन के जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन की सुविधा दिये जाने का प्रावधान नही किया गया है, जिससे कुएं में पानी सूखने के कारण कई कृषक स्पेशल श्रेणी में कनेक्शन जारी करवाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। अत: कृषकों की कठिनाईयों को देखते हुये समन्वय समिति की ''62वी'' बैठक दि. 10.10.2003 में निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन की भांति स्पेशल श्रेणी के कृषि कनेक्शन को भी कनेक्शन जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन कर दिया जावें। कृषि कनेक्शन जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 72

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 3021 दिनांक : 31.10.2003

## आदेश - 1027

विषय : स्पेशल स्कीम के मांग पत्र जमा कराने के संबंध में।

कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के बिन्दु संख्या 9 (ब) में स्पेशल श्रेणी के मांग पत्र जमा कराने बाबत यह प्रावधान है कि इस योजना में मांग पत्र यू.पी.सी. से आवेदक को भेजा जावेगा व 30 दिन तक राशि जमा न होने पर पुन: सूचना रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भेजी जावेगी। आवेदक चाहे तो 60 दिन के पश्चात भी मांग पत्र की राशि जमा करा सकता है। मांग पत्र जमा नहीं होने पर आवेदक के चाहने पर अग्रिम राशि में 10,000/- वापिस कर दिये जावेगें। जिससे आवेदन पत्र अनिश्चित समय तक भी रद्द नहीं हो सकता था। इस प्रकार अनिश्चित समय तक किसी भी श्रेणी में मांग पत्र निर्धारित समयावधि में जमा नहीं होने पर लंबित, रहना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

समन्वय समिति की 62 वी बैठक दिनांक 10.10.2003 में लिये गये निर्णयानुसार कृषि कनेक्शन दिशा-निर्देशन, तृतीय संस्करण (आदेश आरईए. 207 दिनांक 22.6.2000) के बिन्दु संख्या 9 (ब) में निम्न संशोधन किया जाता है :-

1. स्पेशल श्रेणी के लिये मांग पत्र यू.पी.सी. से आवेदक को भेजा जाये व 30 दिन तक राशि जमा न होने पर पुन: रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजा जाये। रजिस्टर्ड ए.डी. के द्वारा मांग पत्र भेजने के 90 दिन के अन्दर-अन्दर राशि जमा नहीं होने पर आवेदन स्थायी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। इस तरह का नोट मांग पत्र जो कि रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भेजा जाता है, पर लिख दिया जावे कि उपरोक्त अवधि में डिमांड नोटिस की राशि जमा नहीं कराई गई तो आवेदन स्थायी तौर पर निरस्त कर दिया जावेगा।

2. अब तक स्पेशल श्रेणी के समस्त जिन आवेदन पत्रों के मांग पत्र जारी कर दिये गये है व अभी तक मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराई है या आवेदन रद्द कर दिये गये है, उन्हें 30 दिन के अन्दर-अन्दर मांग पत्र की राशि जमा कराने व जमा नहीं होने पर आवेदन पत्र रद्द होने का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाये तथा उक्त समय में राशि जमा नहीं होने पर उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिये जायें। मांग पत्र वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार जमा होगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 73

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 3022 दिनांक : 31.10.2003

## आदेश - 1028

विषय : कुआं / ट्यूबवेल न होने पर स्पेशल श्रेणी के कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

समन्वय समिति की 62 वी बैठक दि. 10.10.2003 में लिये गये निर्णयानुसार स्पेशल श्रेणी के आवेदन पत्रों, जिनका नम्बर आने पर कुआं/ट्यूबवेल खुदा हुआ नहीं पाया जावेगा, के निस्तारण हेतु यह प्रावधान किया जावे कि जिन आवेदकों का स्पेशल श्रेणी में कनेक्शन का नम्बर आ गया है लेकिन कुआ/ ट्यूबवेल वर्तमान में मौजूद नहीं है, ऐसे आवेदकों को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित कर दिया जावे कि आवेदक 30 दिन के अन्दर कुआं/ट्यूबवेल खुदवाकर प्रमाण सहित संबंधित कार्यालय को सूचित करें।

30 दिन तक कुआं/ट्यूबवेल बन जाने की सूचना नहीं मिलने पर आवेदक की वरीयता के बाद के आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिये जायेंगे तथा 90 दिन तक भी कुआं/ट्यूबवेल बन जाने की सूचना कार्यालय में नहीं पहुँचने पर आवेदक का स्पेशल श्रेणी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

उपर्युक्त नोटिस का उत्तर कार्यालय में पहुँचने की (30 दिन एवं 90 दिन) की तिथि अंकित की जावें।

इस प्रकार के आवेदकों की वरीयता 30 दिन तक नहीं बदली जावें तथा 30 दिन बाद अगली वरीयता में आने वाले आवेदकों के वरीयता क्रम में से जिनके कुएं/ट्यूबवेल नहीं बने हुये है उनको छोड़कर शेष को वरीयता अनुसार मांग पत्र जारी कर दिये जावे जिनके कुयें/ट्यूबवेल बने नहीं हो उनसे नोटिस का जवाब 90 दिन के अन्दर आने पर मांग पत्र जारी कर दिये जावे तथा 90 दिन तक कोई सूचना न आने पर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जावें। अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 3933 दिनांक : 12.01.2004

## आदेश - 1778

विषय : कृशि कनेक्शन को किसी भी विद्युतीकृत ग्राम में क्रय की गई भूमि में स्थानान्तरण करने के संबंध में।

निगम के आदेश क्रमांक प्रे. 2763 दि. 9.10.03 (आर.ई.अज. 69) के तहत यह प्रावधान किया गया था कि, कृषि उपभोक्ताओं द्वारा अपने कृषि कनेक्शन के होने से पूर्व व बाद में निगम के किसी भी विद्युतिकृत ग्राम में स्थानान्तरित करवाने के लिये यह आवश्यक होगा कि नये स्थान पर क्रय की गई भूमि कम से कम एक हैक्ट्यर हो।

समन्वय समिति की 64वी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त ओदश संख्या आर.ई.अज-69 दि. 9.10.03 में आंशिक संशोधन करते हुये यह तय किया गया हैं कि, उक्त प्रावधान (आर.ई.अज-69) समन्वय समिति की 61 वी बैठक की तिथि दिनांक 8.9.03 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर ही प्रभावी होंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 74

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 3960 दिनांक : 14.01.2004

## आदेश - 1787

विषय : कृषि कनेक्शन के बढ़े हुये विद्युत भार को नियमित करने के लिए स्वैच्छिक घोषणा 100 दिन तक बढ़ाने के संबंध में।

पूर्व में निगम द्वारा जनहित में कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुए भार की दि. 30.9.2003 तक स्वैच्छिक घोषणा करने पर आदेश क्रमांक आर.ई.अज-61 दिनांक 17.4.03 द्वारा कई रियायते दी गई थी। समन्वय समिति की ''65वी'' बैठक में कृषि उपभोक्तओं को अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया हैं कि, कृषि पम्पिंग सेट के बढ़े हुये भार की स्वैच्छिक घोषणा करने का एक और अवसर दिनांक 14 जनवरी 2004 से आगामी 100 दिवसों (23.4.2004) के लिये दिया जाता है। इन 100 दिनों में स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना के तहत जो कृषक स्वैच्छिक भार वृद्धि की घोषणा करेंगे उनसे पूर्व में निर्धारित की गई स्वैच्छिक भार वृद्धि की योजना में लिये जाने वाले 750/- रू. प्रति हार्सपावर ट्रांसफोर्मेशन चार्जेज नहीं लिये जायेंगे। अन्य प्रावधान निगम के आदेश क्रमांक आर.ई. अज- 46 प्रे. 3758 दि. 16.12.02 के अनुसार रहेंगे।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 75

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 3988 दिनांक : 15.01.2004

## आदेश - 1793

विषय : रबी सीजन में कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत संबंध विच्छेद नही करने के संबंध में।

राज्य में वितग वर्षों से अकाल की स्थिति के कारण कृषि उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति खराब होने से कृषक विद्युत बिलो का भुगतान समय पर नहीं कर पा रहे हैं तथा निगम के नियामनुसार उनके विद्युत संबंध विच्छेद कर दिये जाते हैं।

अत: कृषि उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया हैं, की रबी की फसल को नुकसान न पहुँचे इसलिये रबी सीजन के दौरान (मई, 2004 तक) यदि कोई कृषि उपभोक्ता विद्युत बिल का समय पर भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका विद्युत संबंध नहीं किया जावें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एम.एल. सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 76

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 4595 दिनांक : 17.02.2004

## आदेश - 1855

विषय : निरस्त कृषि पत्रावली पुनर्जीवित करवाने बाबत अवसर।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आदेश-866 (आर.ई.अज.-67) दिनांक 22.8.03 के द्वारा कृषि आवेदकों को यह सुविधा प्रदान की गई थी, कि जिनके आवेदन अप्रैल 1999 के बाद मांग पत्र जमा नहीं कराने के कारण निरस्त हो गए थे, वो 31 दिसम्बर 2003 तक रू. 500/- जमा करवाकर पत्रावली पुनर्जीवित करवा सकते थे।

अब अकाल की स्थिति के कारण कृषि आवेदकों/जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुये, राहत पहुँचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त कृषि आवेदक जिनके आवेदन अप्रैल 1999 के बाद मांग पत्र जमा नहीं कराने के कारण निरस्त हो गए है उनको 15.5.04 तक रू. 500/- जमा करवाकर आवेदन को पुनर्जीवित कराने का एक और अवसर दिया जा रहा है। संशोधित मांग पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों के अन्तर्गत दिये जायेंगे। अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

(एस.के. बॉठिया)
अधीक्षण अभियंता (योजना)

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 533 दिनांक : 19.04.2004

## आदेश - 32

विषय : कृषि कनेक्शन के क्षेत्रवार औसत भार (हार्स पॉवर में पम्प सेट की क्षमता) का निर्धारण के सम्बन्ध में।

जिन आवेदकों ने सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन लेने हेतु 10-15 वर्ष पहले आवेदन किया था उनको कनेक्शन देने की कार्यवाही की जानी हैं। उस समय राज्य में भूजल स्तर काफी ऊपर था। उसी के अनुरूप आवेदकों ने अपने आवेदन पत्रों में कम लोड़ अंकित किया था। परन्तु अब वर्तमान में विगत

वर्षों में अकाल व सूखे की वजह से कुओं का जल स्तर अत्यधिक नीचे चला गया हैं। इसलिए अब जो कनेक्शन जारी किये जाने हैं, उनक कृषकों द्वारा उच्च क्षमता के पम्पसैट ही उपयोग में लिये जावेंगे।

अत: इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि :-

1. अधीक्षण अभियंता (पवस) अपने क्षेत्र में लगे हुये पम्प सैटो का सर्वे करवाकर क्षेत्रवार लोड़ का निर्धारण कर औसत लोड़ का 22 अप्रैल 2004 तक कृषकों के सूचनार्थ एवं आपत्तियाँ मांगने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवायेंगें।

2. कृषकों से आपत्तियॉ प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 7 मई 2004 रखी जावें।

3. आपत्तियों के बारे में अधीक्षण अभियंता (पवस) अपने स्तर पर निर्णय लेकर लोड़ का औसत क्षेत्रवार निर्धारण करने पश्चात 15 मई 2004 तक कृषकों के सूचनार्थ स्थानीय समचार पत्रों में प्रकाशन करवायेंगें।

   उपरोक्त औसत भार के आधार पर ही संबंधित सहायक/अधिशाषी अभियंता कृषि कनेक्शनों के मांग पत्र जारी करने की कार्यवाही करेगें।

(एस.के. बॉठिया)
अधीक्षण अभियंता (योजना)

आरई - अज- 77
क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 1534 दिनांक : 19.05.2004

## आदेश - 75

विषय : ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर ज्योति कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम द्वारा कुटीर ज्योति योजना में सीधे सर्विस लाईन से होने वाले कनेक्शन ही जारी किये जाते थे। इससे लक्ष्य अर्जित करने में कठिनाई होती थी तथा वर्ष 2004-05 के लिये राज्य सरकार द्वारा तीन गुणा लक्ष्य कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार तीन गुणा लक्ष्य अर्जित करने हेतु समन्वय समिति की 68वीं बैठक मे निर्णय लिया गया हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर ज्योति के तीन कनेक्शन पर एक पोल का खर्जा निगम द्वारा वहन किया जा कर कनेक्शन जारी कर दिये जावे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 78

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 1705 दिनांक : 25.05.2004

## आदेश - 85

विषय : साधारण श्रेणी एवं 'स्पेशल स्कीम' के तहत चारा उगाने की शर्त निरस्त करने के सम्बन्ध में।

समन्वय समिति की 69वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक राराविमं/उमुअ (ग्रावि-निरी-भावि) प्रे. 2424 जयपुर दिनांक 30.11.1999 (आर.ई.ए.-174) तथा आदेश क्रमांक राराविमं / उमुअ (ग्रावि-निरी-भावि) प्रे. 2544 जयपुर दिनांक 14.12.1999 (आर.ईए.-176) को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता हैं।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(शिखर अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 79

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 2263 दिनांक : 9.6.2004

## आदेश - 128

विषय : कृषि कनेक्शन के बढ़े हुये विद्युत भार को नियमित करने के लिए स्वैच्छिक घोषणा स्कीम 31.10.2004 तक बढ़ाने के संबंध में।

पूर्व में निगम द्वारा जनहित में कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुए भार की दि. 23.4.2004 तक स्वैच्छिक घोषणा करने पर आदेश क्रमांक आर.ई.अज-74 दि. 14.1.04 द्वारा कई रियायतें दी गई थी। समन्वय समिति की ''70वी'' बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कृषि पम्पिंग सेट के बढ़े हुये भार की स्वैच्छिक घोषणा करने की योजना अवधि 31.10.2004 तक बढ़ाई जाती है। योजना अवधि में लिये जाने वाले चार्जेज एवं अन्य प्रावधान निगम के आदेश क्रमांक आर.ई.अज-74 प्रे. 3969 दिनांक 14.1.2004 के अनुसार रहेंगे।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. दिनांक :

## आदेश - 85

विषय : वर्ष 2004-05 में कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

वर्ष 2004-05 में कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के सम्बन्ध में समन्वय समिति की 71वीं बैठक दिनांक 5.6.2004 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

1. इस वर्ष से कृषि कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रति हार्स पावर निश्चित राशि के आधार पर जारी किये जायेंगे।

2. अधीक्षण अभियंता (पवस) पंचायत समितिवार क्षेत्र के औसत हार्स पावर का निर्धारण कर, क्षेत्रिय समाचार पत्रों में उपभोक्ताओं की जानकारी व आपत्ति के लिए प्रकाशित करेंगे। प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर पंचायत समितिवार क्षेत्र का औसत हार्स पावर निर्धारित करेंगे एवं उसी के अनुसार मांग पत्र जारी किये जावेंगे। अर्थात् यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय कम हार्स पावर आवेदित की गई हो तो पंचायत समिति वार निर्धारित औसतवार के अनुसार ही आवेदित भार संशोधित माना जावेगा।

3. सामान्य श्रेणी के कनेक्शन के लिए आवेदक को 20 हार्स पावर तक 3500/- रूपये प्रति हार्स पावर की दर से मांग पत्र जारी किया जायेगा परन्तु मांग पत्र की न्यूनतम राशि 25000/- रूपये होगी। 20 हार्स पावर से अधिक भार के लिए 1000 रूपये प्रति हार्स पावर की दर से अतिरिक्त राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई हार्स पावर की दर से अतिरिक्त राशि देय होगी परन्तु अमानत राशि (वर्तमान दर 100 रू. प्रति हार्स पावर) अलग से देय होगी।

4. स्पेशल एवं फार्म हाऊस श्रेणीयों के आवेदकों को, जिनसे वर्तमान में लाईन का पूरा खर्चा लिया जाता हैं, अब 10 हार्स पावर तक के कनेक्शन हेतु 8000 रू. प्रति हार्स पावर की दर से मांग पत्र जारी किया जायेगा, परन्तु मांग पत्र की न्यूनतम राशि 50,000 रू. होगी। 10 हार्स पावर से अधिक भार के लिए 2000 रू. प्रति हार्स पावर की दर से अतिरिक्त राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी परन्तु अमानत राशि (वर्तमान दर 100 रू. प्रति हार्स पावर) अलग से देय होगी।

5. यह भी निश्चय किया गया हैं, कि कनेक्शन जारी होने से पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया गया हैं, कि कनेक्शन जारी होने से पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जावें। इस सम्बन्ध में कनेक्शन जारी होने से पूर्व स्थानान्तरण के लिए प्रचलित नियमों में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किया जायेगा।

पंचायत समिविार ''कट ऑफ डेट'' एवं कृषि नीति से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई – अज– 81

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 3455 दिनांक : 8.7.2004

## आदेश – 201

इस कार्यालय के आदेश संख्या आर.ई.अज.–80 दि. 23.6.2004 के द्वारा वर्ष 2004–05 के लिये कृषि कनेक्शन देने व अन्य कार्य हेतु नीति जारी की गई हैं, जिसमें प्रत्येक पंचायत समिति की कट ऑफ डेट दो वर्ष के लिये बढ़ाई गई हैं तथा बढ़ाई कट ऑफ डेट के प्रथम छमाही के आवेदकों के मांग पत्र जुलाई, 2004 अगली छमाई के मांग पत्र अगस्त, 04 इससे अगली छमाही के मांग पत्र सितम्बर, 04 और अंतिम छमाही के प्रार्थना–पत्रों के मांग पत्र अक्टूबर, 04 में जारी करने हैं। जिससे एक साथ मांग पत्र जारी करने की वजह से बहुत अधिक संख्या में आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा नहीं हो सके और नये कनेक्शन जारी करने के लिये आवेदक अनुचित दबाव नहीं डालें। साथ में आर.ई.अज.–80 के क्लॉजेज के अन्तर्गत किये गये संशोधनों को संलग्न करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि नये कनेक्शन जारी करने एवं अन्य कार्य हेतु इन संशोधित क्लॉजेज के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (योजना)

आरई – अज– 82

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 3807 दिनांक : 16.07.2004

## आदेश – 231

विषय : कृषि कनेक्शन नीति 2004, संशोधन–II

निगम के आदेश संख्या आर.ई.अज–80, प्रेषण क्रमांक 2810 दि. 23.6.2004 के द्वारा वर्ष 2004–05 के लिये कृषि कनेक्शन देने व संबंधित अन्य कार्य हेतु नीति जारी की गई हैं। इसके कतिपय क्लाजेज के अन्तर्गत पूर्व में निगम के आदेश आर.ई.अज–81 दि. 8.7.2004 के द्वारा संशोधन किये गये थे। इनके अतिरिक्त कुछ क्लाजेज में और संशोधन कर संलग्न करते हुये आदेश दिये जाते हैं कि नये कृषि कनेक्शन जारी करने एवं संबंधित अन्य कार्य हेतु इन संशोधित क्लाजेज के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर

आरई - अज- 83

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 4563 दिनांक : 30.7.2004

## आदेश - 255

कृषि कनेक्शन नीति-2004 (पुस्तिका) के बिन्दु संख्या 25 (i) में कनेक्शन होने से पहले स्थान परिवर्तन नहीं किये जाने का प्रावधान दिया गया, जब कि नई नीति जारी होने से पहले स्थान परिवर्तन का प्रावधान था। इस नये प्रावधान पर किसान संगठनों ने अपनी आपत्ति दर्शायी हैं।

अत: कृषि उपभोक्तओं की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये कृषि कनेक्शन नीति - 2004 (पुस्तिका) के बिन्दु संख्या 25 (i) में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश दिये जाते हैं कि जिन कृषि उपभोक्ताओं ने स्थान परिवर्तन के लिये 30 जून 2004 तक आवेदन कर दिया हैं उन्हे कनेक्शन होने से पूर्व स्थान परिवर्तन की सुविधा जारी रहेगी तथा उनको मांग पत्र की राशि कृषि कनेक्शन नीति-2004 जारी होने से पूर्व प्रचलित नियमानुसार ही ली जावें।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 84

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 5091 दिनांक : 12.8.2004

## आदेश - 275

राज्य में भंयकर अकाल एवं सूखें की स्थिति को देखते हुये पूर्व में राज्य सरकार ने सामान्य कृषि श्रेणी मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड 4000) तथा विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड 4200) एवं (टेरिफ कोड 4400) को रियायत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया था कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तवित विद्युत उपभोग के आधार पर ही बिल वसूल किये जायें तथा मिनिमम बिलिंग तथा वास्तवित विद्युत उपभोग की राशि के अन्तर की राशि का पूनर्भरण राज्य सरकार द्वारा वितरण निगमों को किया जायें। तद्नुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम ने अपने आदेश आर.ई.अज-47 दि. 26.10.2002 से सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड 4000) को बिलिंग माह नवम्बर, 2002 से वास्तविक उपभोग के आधार पर बिलिंग करने के आदेश प्रदान किये थे एवं इसी प्रकार कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई के विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ता (टेरिफ कोड 4200 एवं 4400) के लिये आदेश क्रमांक आर.ई.अज-56 दि. 18.2.2003 से बिलिंग माह मार्च, 03 से वास्तविक उपभोग के आधार पर बिलिंग करने के आदेश प्रदान किये थे। अब यह निर्णय लिया गया हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 से मिनिमम चार्ज उपभोक्ता द्वारा ही देय होंगें। अत: तुरंत प्रभाव से नियमानुसार उक्त श्रेणियों में मिनिमम चार्ज के बिल जारी किये जाऐं।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 85

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 5335 दिनांक : 19.08.2004

## आदेश - 285

विषय : कृषि के पुराने कटे हुये कनेक्शन को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में।

कृषि कनेक्शन नीति-2004 के बिन्दु संख्या 27 में यह निर्देशित किया गया है कि दो साल से ज्यादा कटे हुये कनेक्शनों को पुन: चालू नही किया जावेगा। इस सम्बन्ध में क्षेत्रिय अधिकारियों द्वारा यह जानकारी चाही गई हैं कि इस तरह के दिशा निर्देश नई कृषि नीति जारी होने से पहले कटे हुये कनेक्शनों पर भी लागू होगी अथवा नहीं।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देश नई कृषि नीति के लागू होने के उपरान्त कटे हुये कनेक्शनों पर ही लागू होगी। पूर्व में कटे हुये कनेक्शनों पर यह लागू नही होगी तथा पाँच साल तक पुन: जुडवाने की सुविधा पूर्ववत नियमानुसार जारी रहेगी। पुन: विद्युत सम्बन्ध जुडवाने की राशि की मांग पत्र नई कृषि नीति के अनुसार जारी किया जायेगा।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 86

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 5597 दिनांक : 25.08.2004

## आदेश - 298

विषय : 11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर की हाई टेन्शन बुशिंग तथा एल.टी. फ्यूज की जमीन से उचित दूरी प्रतिपादित करने के सम्बन्ध में।

निगम के अनेक 11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर की हाई टेन्शन बुशिंग तथा एल.टी. फ्यूज की जमीन से उचित दूरी प्रतिपादित नहीं होने से जन-धन की हानि होने के अन्देशा के कारण कई उपभोक्ताओं एवं जन-प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

अत: जन-धन की हानि होने के अन्देशा को ध्यान में रखते हुये, यह निर्णय लिया गया हैं, कि जमीन से 11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर की हाईटेन्शन बुशिंग की दूरी 3.135 मीटर व एल.टी. फ्यूज की दूरी 2.00 मीटर रखी जावें, जैसा कि संलग्न 11/0.4 केवी सब-स्टेशन ड्राईग मे दिखाया गया है।

उक्त आदेश की पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित की जावें।

संलग्न - उपरोक्त वर्णित अनुसार।

(एस.के. बॉठिया)
अधीक्षण अभियंता (योजना)

आरई - अज- 87

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 5719 दिनांक : 28.8.2004

## आदेश - 313

कृषि कनेक्शन नीति 2004 की पुस्तिका के बिन्दु संख्या 12 (i) में आंशिक संशोधन करते हुए इस बिन्दु को तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

''साधारण श्रेणी के कृषि आवेदक को रूपये 3500/- प्रति हार्स पावर 10 हार्स पावर तक, इसके बाद रू. 1000/- प्रति हार्स पावर 20 हार्स पावर तक तथा रू. 750/- प्रति हार्स पावर 20 हार्स पावर से अधिक भार के लिये, की दर से जमा करवाने होगें। यदि यह राशि रू. 25000/- से कम हो तो तीन हार्स पावर से अधिक भार के लिये कम से कम रू. 25000/- देय होगी तथा तीन हार्स पावर तक के लिये यह राशि कम से कम रूपये 15000/- होगी। उदाहरण के तौर पर यदि आवेदक 3 हार्स पावर का कृषि कनेक्शन लेता है, तो उसे रू. 3500×3 = रू. 10,500/- के स्थान पर न्यूनतम रू. 15,000/- एवं अमानत राशि का मांग पत्र जारी किया जावेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 88

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 5998 दिनांक : 10.9.2004

## संशोधन

कृषि कनेक्शन जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में अजमेर निगम ने कृषि कनेक्शन नीति 2004 के बिन्दु संख्या 25 (i) में आंशिक संशोधन हेतु आदेश क्रमांक अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ.(योजना)/प्रे. 4563 दि. 30.7.2004 (आर.ई.अज-83) जारी किया था इस आदेश के दूसरे पैरे की अंतिम लाईन ''कृषि कनेक्शन नीति-2004 जारी होने से पूर्व प्रचलित नियमानुसार ही ली जावें'' के स्थान पर ''कृषि कनेक्शन नीति-2004 के अनुसार ही ली जावे'' पढ़ा जावें।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 89

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 6146 दिनांक : 14.9.2004

## आदेश - 349

कृषि उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2004-05 से मिनिमम चार्ज के बिल जारी करने के लिये आदेश संख्या 275 निगम के पत्रांक : अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ.(योजना)/प्रे. 5091 दिनांक 12.8.2004 (आर.ई.अज-84) से जारी किया गया था, यह आदेश तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। यदि उपभोक्ताओं के बिलों में मिनिमम चार्जेज की राशि लगा दी गई हो तो उसकी वसूली भी स्थगित रखना सुनिश्चित करे।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 90

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 6287 दिनांक : 18.9.2004

## आदेश - 360

कृषि आवेदकों/जन-प्रतिनिधियों की मांग के मद्देनजर राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि 31.3.2001 के बाद जो कृषि कनेक्शन आवेदन मांग पत्र की राशि जमा नहीं होने के कारण निरस्त हो गये हैं, उन्हें अब रू. 500/- जमा करवा कर दिनांक 31.12.2004 तक पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस हेतु संशोधित मांग पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार ही दिये जायेंगे तथा अन्य प्रावधान यथावत रहेगें।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 91

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 6923 दिनांक : 4.10.2004

## आदेश - 392

विषय:- निरस्त किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में।

इस विषय में जारी आदेश (आर.ई.अज-90) में आंशिक संशोधन करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि जिन आवेदकों के आवेदन पत्र दिनांक 1.4.2001 से अब तक किसी भी कारण से निरस्त हो गये हैं, उन्हें भी अब आवेदक से रू. 500 (रूपये पाँच सौ) जमा करा के दिनांक 31.12.2004 तक पुनर्जीवित कर दिया जावे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई – अज– 92

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 6924 दिनांक : 4.10.2004

## आदेश – 393

पूर्व में जारी की गई कृषि कनेक्शन नीति–2004 के अनुसार जिन आवेदकों ने मांग पत्र राशि करादी हैं उनके मांग पत्र की राशि संशोधित कृषि नीति 2004 (18.9.2004) के अनुसार ली जानी हैं। अगर इस राशि में कोई अन्तर है तो उस राशि का समायोजन बिलों में कर दिया जावें। जिन उपभोक्ताओं के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं एवं जमा नहीं हुये हैं उनसे मांग पत्र की राशि संशोधित कृषि नीति 2004 के अनुसार ली जावेगी।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई – अज– 93

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 8148 दिनांक : 2.11.2004

## आदेश – 441

विषय :- कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

समन्वय समिति की 76 वी बैठक दिनांक 16.10.04 के निर्णयानुसार कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये जाते है।

1. कृषि विशेष श्रेणी के आवेदकों से लाइन की कीमत 90 मीटर का स्पान मानते हुये वसूली जावें।
2. साधारण श्रेणी के कृषि आवेदकों से मीटर की सुरक्षा राशि तथा मीटर बक्से की कीमत नहीं वसूली जावें किन्तु विशेष श्रेणी के कृषि आवेदकों द्वारा मीटर की सुरक्षा राशि तथा मीटर बक्से की कीमत देय होगी।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई – अज– 94

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 8351 दिनांक : 6.11.2004

## आदेश – 452

समन्वय समिति की 76 वी बैठक दिनांक 16.10.04 के निर्णयानुसार यह आदेश दिया जाता है कि कृषि कनेक्शन नीति 2004 के अनुसार जिन कृषि आवेदकों ने मांग पत्र की राशि पूर्व में जमा करा दी थी तथा संशोधित कृषि नीति 2004 (18.9.2004) के अनुसार उनके मांग पत्र की राशि पहले जमा कराई राशि से अधिक है तो अन्तर की राशि सम्बन्धित आवेदक / उपभोक्ता से वसूल की जाये।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 95

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 8629 दिनांक : 10.11.2004

## आदेश - 464

विषय : गाँवों में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निगम के आदेश क्रमांक अ.वि.वि.नि.लि./अ.अ. (योजना)/प्रे. 1834 दिनांक 30.6.2001 (आर.ई.अज-4) के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जनसंख्या गणना 1991 के तहत 5000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में जहाँ विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है वहाँ पर नया विद्युत तंत्र का विस्तार करके निरन्तर विद्युत सप्लाई देने के निर्देश दिये गये थे।

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21.9.2002 के निर्णयानुसार उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये निर्देश दिये गये कि 24 घण्टे विद्युत सप्लाई के लिये जिन गाँवों में विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है, उनमें अब आगामी निर्देशों तक इस तरह का विद्युत तंत्र का विस्तार नहीं किया जावे।

समन्वय समिति की ''75वी'' बैठक दि. 21.9.2004 के निर्णयानुसार जनगणना 2001 के तहत जिन गाँवों की जनसंख्या 5000 से अधिक तथा उपभोक्ता 300 से अधिक है ऐसे गाँवों में अगर आवश्यक विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है तो वहाँ विद्युत तंत्र का विस्तार करके 11 केवी लाईन एवं 11/0.4 केवी सब स्टेशन निगम व्यय पर स्थापित कर 24 घण्टे सप्लाई देने के पुन: निर्देश दिये जाते है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 96

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 9098 दिनांक : 30.11.2004

## आदेश - 501

संशोधित कृषि नीति दिनांक 18.9.2004 के बिन्दु संख्या 14 में वर्णित ''रजिस्ट्री बेचान के आधार पर पूर्व कृषक के नाम से आवेदित प्रार्थना पत्र पर जमीन बेचने पर क्रेता को भी कृषि कनेक्शन देय है'' में यह भी सम्मिलित किया जाता है कि आपसी बंटवारे के आधार पर आवेदित प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये खसरा नम्बर जहां कुआं स्थित है, अगर बंटवारे के पश्चात यह खसरा जिस हिस्सेदार के नाम पर आंवटित होता है तथा वैधानिक नामान्तरण को सुनिश्चित करने के उपरान्त उस हिस्सेदार को भी उपरोक्तानुसार कनेक्शन देय है।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 97

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 9154 दिनांक : 2.12.2004

## आदेश - 507

विषय :- गैर खातेदारी भूमि में कुएं पर कृषि कनेक्शन दिये जाने बाबत।

निगम की संशोधित कृषि नीति-2004 (दिनांक 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 22 (iii)(घ) के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन मात्र खातेदारी भूमि पर ही देय है। गैर खातेदारी भूमि में कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं है। इससे कृषक वर्षों से काबिज होने के बावजूद भी कृषि कनेक्शन लेने से वंचित रहते है।

अत: ऐसे कृषको को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से निगमों की समन्वय समिति की 77वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि गैर खातेदार कृषकों को भी राजस्व रिकार्ड के आधार पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जाये।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 98

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 9433 दिनांक : 13.12.2004

## आदेश - 525

संशोधित कृषि कनेक्शन नीति -2004 के बिन्दु संख्या 7 (i) से (iv) में कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शनों में मांग पत्र में तुरन्त प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में बिन्दु संख्या 7 (iv) के पश्चात 7 (iv) (अ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है।

| | | |
|---|---|---|
| 7 (iv)(अ) | पूर्व थल, जल व वायु सेनाध्यक्ष जिनको परम विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया हो। | तुरन्त प्राथमिकता |

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई – अज– 99

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 11555 दिनांक : 10.3.2005

## आदेश – 681

विषय:– निरस्त किये गये कृषि आवेदन पत्रों के संबंध में।

इस विषय में संयुक्त समन्वय समिति की 81वीं मीटिंग दिनांक 9 मार्च 2005 में यह निर्णय लिया गया है कि जिन कृषि आवेदकों के आवेदन पत्र दिनांक 1.4.2001 से अब तक किसी भी कारण से निरस्त हो गये है, उन्हे आवेदक से रू. 500/– (पाँच सौ रूपये)जमा कराके दिनांक 30.6.2005 तक पुनर्जीवित किया जा सकता है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

आरई – अज– 100

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 2044 दिनांक : 12.7.2005

## आदेश – 209

विषय :– सामान्य श्रेणी के काश्तकारों का कुऐं सूख जाने पर स्वेच्छा से कृषि कनेक्शन विच्छेद के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा कृषकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जारी राहत पैकेज के क्रम में समन्वय समिति की दिनांक 2.7.2005 को आयोजित 83 वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के ऐसे काश्तकार जिनके कुओं में पानी सूख गया है, उनके प्रार्थना पत्र पर उचित सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा करने के उपरान्त उनके कृषि विद्युत सम्बन्ध अस्थाई रूप से विच्छेद कर दिये जावें। ऐसे उपभोक्ता दो वर्ष की अवधि में कमी भी अपना विद्युत सम्बन्ध पुन: चालू करा सकेंगे, परन्तु यह सुविधा उपभोक्ता को एक बार ही दी जावेगी। विद्युत सम्बन्ध विच्छेद की अवधि का न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जावेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 101

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 2109 दिनांक : 16.7.2005

## आदेश - 212

विषय :- नर्सरी विशेष एवं फार्म हाऊस श्रेणी के कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तन के संबंध में।

नर्सरी श्रेणी, विशेष श्रेणी एवं फार्म हाउस श्रेणी में जारी कनेक्शनों तथा भविष्य में इन श्रेणियों में जारी होने वाले कनेक्शनों को ऐसे ग्राम जिनमें सामान्य श्रेणी का कोई आवेदन नहीं है, सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में समन्वय समिति की दिनांक 2.7.2005 को आयोजित 83वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित ग्राम में स्पेशल, नर्सरी या फार्म हाउस श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन की तिथि के बाद का सामान्य श्रेणी में आवेदित उस ग्राम की पंचायत समिति के किसी भी ग्राम में जारी कनेक्शन की तिथि से सामान्य श्रेणी में परिवर्तन कर दिया जावे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 102

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 2110 दिनांक : 16.7.2005

## आदेश - 213

विषय:- एक ही खेत परिसर/खसरा/मुरब्बा में सामान्य श्रेणी में दूसरा कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में कृषि नीति (संशोधित 18.9.04) के बिन्दु संख्या 23 (iii) में यह प्रावधान किया हुआ है कि कृषि कनेक्शन के मामले में कनेक्शन का सप्लाई क्षेत्र खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा माना जाये। यदि कोई कृषक दूसरे कुऐं पर, जो उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढ़वाना चाहे, तो उसका भार बढ़ाया जा सकता है अर्थात एक ही कनेक्शन से दो कुऐं चलाये जा सकते है। इस प्रावधान के अतिरिक्त किसान संघों व जन-प्रतिनिधियों की मांग व उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि उपभोक्ता ने अपनी आवश्यकतानुसार अपने एक ही खेत परिसर/खसरे/मुरब्बा में एक कृषि कनेक्शन के अतिरिक्त दूसरे कनेक्शन के लिये आवेदन कर रखा है/करता है तो नम्बर आने पर दूसरा कनेक्शन उसी खेत परिसर/खसरा/मुरब्बा में जारी कर दिया जावे/दूसरे कनेक्शन का मांग-पत्र कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 10 (I)के अनुसार जारी किया जावेगा। यह आदेश साधारण श्रेणी में ही लागू होगें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दूसरा कनेक्शन भी उसी 11 केवी फीडर से ही जारी किया जायेगा जिससे कि विद्यमान कनेक्शन चालू हैं।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। (दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 103

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 2146 दिनांक : 18.7.2005

## आदेश - 222

कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) के भाग 'स्थान परिवर्तन' के तहत हाल ही में सम्पादित उच्च स्तरीय बैठक में कृषि कनेक्शन के स्थान परिवर्तन के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया।

इस सम्बन्ध में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 22 (भाग-iii) (क) में आंशिक संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि कृषि कनेक्शन जारी होने के पश्चात् उसे उसी ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित किया जा सकता हैं जिस ग्राम पंचायत में मूल कनेक्शन जारी किया गया था। साथ ही जिस भूमि पर कनेक्शन स्थानान्तरित किया जाना हैं उस भूमि का स्वामित्व प्रार्थी के नाम से कम से कम दो वर्ष पूर्व से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में आदेश पूर्व में भी पत्र क्रमांक अविविनिलि/प्र.नि./योजना/05-06/ओ-140/प्रेषण 1368 दिनांक 7.6.05 द्वारा दिये जा चुके हैं।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 104

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 2148 दिनांक : 18.7.2005

## आदेश - 224

विषय:- विशेष व फार्म हाऊस श्रेणी के कृषि कनेक्शन के आवेदन स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध के संबंध में।

वर्तमान में निगम क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु विशेष व फार्म हाऊस श्रेणी में काफी संख्या में आवेदन लम्बित होने तथा समन्वय समिति की 30.4.2005 को आयोजित 82 वीं बैठक के निर्णयानुसार आदेश दिया जाता है, कि तुरन्त प्रभाव से विशेष व फार्म हाऊस श्रेणी में नये आवेदन स्वीकार नहीं किये जावें। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी पत्र क्रमांक अविविनिलि/प्र.नि./योजना/05-06/प्रेषण 1347 दिनांक 6.6.05 द्वारा आदेश दिया जा चुका हैं।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आरई - अज- 105

क्र: अविविनिलि/प्र.नि. / अ.अ. (योजना)/प्रे. 2147 दिनांक : 18.7.2005

## आदेश - 223

विषय:- कृषि कनेक्शन की स्वैच्छिक भार वृद्धि के सम्बन्ध में।

मंत्री मण्डलीय उप समिति द्वारा किसान प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 01.07.2005 को हुई वार्ता में निर्णय लिया गया है कि किसानों को अपने कृषि कनेक्शनों में स्वैच्छिक भार वृद्धि के लिये एक अवसर और प्रदान किया जाये। अत: यह निर्णय लिया गया है कि किसानों को दिनांक 31.08.2005 तक स्वैच्छिक भार वृद्धि की घोषणा का अवसर दिया जावे। यह भार वृद्धि बिना शुल्क लिये धरोहर राशि लेकर ही किये जायेगें।

इसके लिये आवश्यक है कि सभी सहायक अभियन्ता अपने क्षेत्र में विस्तृत प्रचार सुनिश्चित करें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक/अविविनिलि/अअ(सर्वे एवं जांच)/प. 1201 /प्रे. 26 जयपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2000

## आदेश

विषय:- कुओं का जल निम्न स्तर पर चले जाने के कारण अस्थाई तौर पर कृषि कनेक्शन कटवाने के क्रम में।

कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश के आदेश क्रमांक राराविमं/उमुअ/ग्रावि/अनु. 9/प्रे. 51 जयपुर दिनांक 22.6.2000 के पैरा 21 (अ) में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन कर अकाल की स्थिति एवं कुओं का जल निम्न स्तर पर चले जाने के कारण 6 माह की अवधि को 9 माह तक बढ़ाया जाता है। यह सुविधा 31.1.2001 तक विद्युत विच्छंद कराने वाले उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध होगी। अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

इसके लिये उपभोक्ता को अस्थाई तौर पर कनेक्शन कटावाने का प्रार्थना पत्र कुएं के सूखने का प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित पटवारी, सरपंच एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित हो, के साथ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में देना होगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थाई तौर पर कृषि कनेक्शन कटवाने की स्वीकृत सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जारी की जावेगी।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

(के. एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्र.अविविनिलि/सीएमडी/अनु-क्रय एवं योजना/फा /प्रे. 1753 दिनांक 30 जनवरी 2001

## आदेश

सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (पवस)
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
अजमेर / उदयपुर / झुन्झुनू

विषय:- कुओं का जल निम्न स्तर पर चले जाने के कारण अस्थाई तौर पर सामुदायिक जलोत्थान योजना के कनेक्शन कटवाने के क्रम में।

कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के आदेश क्रमांक रारविमं/उमुअ/ग्रावि/अनु-9 प्रे. 51 दिनांक 22-6-2000 के पैरा 21 (अ) के अनुसार 6 माह तक के कटे हुए कनेक्शन को पुन: चाले करने के लिए बकाया राशि तथा उस पर 18 प्रतिशत ब्याज लेकर चालू करने का प्रावधान हुआ है तथा उक्त अवधि के मिनियम चार्ज नहीं लिये जाते है। सामुदायिक जलोत्थान योजना के कनेक्शन कृषि कनेक्शन की श्रेणी में ही आते है, अत: यह सुविधा इन कनेक्शनों पर भी लागू होती है। उक्त दिशा निर्देश की अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालना सुनिश्चित करे।

(करणी सिंह. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

No.AVVNL:FA & COA / Sr.AO (Rev.)/F/ D. 1053 DATED : 14.7. 2005

M/s Aditi Computers,
44, Sooraj Nagr (East),
Civil Lines,
JAIPUR
M/s. B.I.P.S.,
128 Vidyut Nagar - B,
Qujeens Road, Jaipur

Sub:- Billing of agriculture Flat Rate General Category consumers.

Dear Sir,

In compliance of decision taken by Govt. of Rajasthan, energy bills payable by the agriculture flat rate consumers under General category i.e not getting round the clock supply and being billed @ Rs. 140/- per HP per month at present, will be issued as per rates mentioned below :-

| S.No. | Sanctioned Connected Load | Rates applicable |
|---|---|---|
| 1. | Upto First 10 H.P. | Rs. 115 per HP/Month. |
| 2. | Additional 5 HP (Upto 15HP). | Rs. 110 per HP/Month. |
| 3. | Additional 5 HP (Upto 20HP). | Rs. 105 per HP/Month. |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Additional 5 HP (Upto 25HP). | Rs. 100 per HP/Month. |
| 5. | Additional 5 HP (Upto 30HP). | Rs. 95 per HP/Month. |
| 6. | Additional 5 HP (Upto 35 HP). | Rs. 90 per HP/Month. |
| 7. | Above 35 HP. | Rs. 85 per HP/Month. |

Though assessment will be made as per rates prescribed in Tariff for supply of electricity 2004 but amount payable by the consumers would be as per rates mentioned above and difference of two will be shown as payable by the State Govt. in consumers bill and against realization through adjustment as being done in the cases of Agricultrue metered consumers.

The decision would be effective from 1.5.2005 as such energy bills of above consumers will be issued as per rates mentioned above w.e.f. the billing month of August; 2005 and necesary Dr. / Cr. is also required to be calculated & accounted for the consumption period 1.5.2005 to billing month July; 2005 in consumers account, accordingly at your end please.

(M.K. Jain)
Sr. ACCOUNTS OFFICER (Rev.)
AVVNL, AJMER

No.AVVNL/MD/FA & COA/Sr. AO (Rev.)/ F. CB /D. 576 DATED : 4.6. 2005

Sub:- Relief to domestic and agriculture consumers.

In continuation to this office letter No. AVVNL /FA & COA /Sr. AO (Rev.)/ F. /D. 1559 Dated 29.01.2005 burden of tariff hike in respect of agriculture and domestic consumers has been extended form 1.1.05 to 30.4.05 instead of 1.1.05 to 31.3.05. Therefore, revision of tariff is to be effected for all such consumers on the consumption made from 1.5.05 and onwards except following reliefs allowed by the State Government vide Energy Department order dated 26.5.2005 (Copy enclosed).

1. KUTIR JYOTI IN RURAL AREA AND BELOW POVERTY LINE CONSUEMRS IN KACHHI BASTIES OF URBAN AREAS:- tariff code 1400 is hereby prescribed for consumers below poverty line in Kachhi Bastirs of urban areas. For Kutir Jyoti consumers, tariff code is already in existence. First 50 units per month of such consumers would be billed @ 85 paise per unit i.e. half of the prerevised tariff of first 50 units slab and thereafter for consumption more than 50 units per month, revised rates for higher slab i.e. Rs. 3.50 per unit would be recovered. Fixed charges is recoverable only @ Rs. 50 per month.

2. SMALL DOMESTIC CONNECTIONS IN RURAL & URBAN AREAS:- In this category consumers whose average monthly consumption is upto

50 units per month in the previous financial year would be covered. Accordingly first 50 units per month would be billed @ Rs. 1.70 per unit and thereafter for consumption exceeding 50 units per month, revised rate for higher slab i.e. Rs. 3.50 per unit would be recovered. No relief in respect of new connections released during the year is admissible at the moment, however these consumers would be entitled for relief in the next year if above relief package remain in force.

a) FLAT RATE:- Demand to the consumers will be issued @ Rs. 120 per HP per month instead of Rs. 140 per HP per month in respect of general category of consumer (receiving supply less than 24 hours) - tariff code 4100.

b) All the metered consumers in agriculture category who are using sprinkler or drip system of farming, then rebate @ 10 paise per unit is admissible for which the concerned unit officer will send "P" letter code after tariff code.

It may be noted that demand to the consumers i.e. the energy bills would be sent after giving relief as per package as narrated above but assessment will be carried out in the ledgers as well as in MIS on the basis of tariff order dated 17.12.2004. The difference between the two amounts is since recoverable from the State Government same may be shown in the bill as well as ledgers as per existing practice. In the ledgers asseessment as per revised tariff and also as per bill be shown separately in respect of such consumers eligible for tariff concession. This relief package is applicable for the consumption made w.e.f. 1.5.2005, therfore, billing for the month of June, 05 may be carried out after incorporating above guidelines.

(Nerendra Dhunna)
F.A. & CONTROLLER OF ACCOUNTS
AVVNL, AJMER

REV-AJ-44

No.AJM. DISCOM./FA&COA/SA.A.D./.REV/F...../D 836 DATED : 23.6. 2005

**ORDER**

Sub:- Cansumers billing with regard to various concessions announced by The Government.

The Energy Department Government of Rajasthan Jaipur, vide order No./F.13(27) Energy / 2003/dated 31.5.2005; has announced various concesions in regard's to the electricity consumers billing.

1. Kutir Jyoti in rural areas and below poverty line cansumers in kachhi Basties of urban areas.

Since Kutir Jyoti connections are point connections; where more than 50 units consumption per month is not possible. Accordingly the concessional rate of 85 paise per month plus fixed charges of Rs. 50 per month should be applicable only for units consumed up to 50 units per month. In case it exceeds 50 units per month i.e. at any time of bi-billing if it is more than 100 units then units consumed in excess of 50 units per month should be charged at the relevant tariff rate of revised tariff i.e. Rs.-3.50 per unit. Fixed charges would also be charged Rs. 50 per month. However; first 50 units per month would be charged at the rate of 85 paise per unit.

2. Small domestic connections in rural and urban areas.

In order to implement the above provision, consumption of previous years should be considered as base. Such consumers whose average consumption is up to 50 units per month in the previous financial year, should be considered eligible for the said relief. Fixed charges should be applicable on the basis of revised rates i.e. Rs. 80 per connection per month. In case of new connections released during the year to the small domestic consumers relief in fixed charges and in energy charges shall be adimissible only in the next year provided they have not crossed the monthly average consumption of 50 units in the year.

Further, for identification of agriculture consumers using sprinkier drip irrigation system and who are eligible for rebate of 10 paise a certificate issued by the Agriculture Department may be insisted from the consumers for the purpose of providing susidy for installation of sprinklers/ drip irrigation equipements.

FINANCIAL ADVISOR & COA
A.V.V.N.Ltd., AJMER

No.AVVNL/FA/AJM/Sr. AO(Rev.)REV./F. ...../D.622 DATED : 11.9. 2001

**CIRCULAR**

As per order dt. 24.3.01 of the RERC, all new connections for agriculture category are required to be released in metered category and the existing flat rate agriculture consumers should also be transferred to the metered category within a period of 3 years. Similarly all such rural domestic connections which were released without installing meters under the provisions of erst-while RSEB order No. RSEB/PS/CH/DCO/D/ 2625 dtd. 12.9.99 (CO-22) should be provided meters by 31st Aug. 01 positively. It has been observed that after installation of meters in above referred categories, only input advice 2A has been

sent/is being sent, which is meant only for change of category but advice 3A containing the details of installation of meters is not being sent alongwith 2A. Computer Agencies are unable to prepare the bill untill advice 3A is received. This omission adversely effect to our revenues. More-over as per Comml. No. AJ-34-275 dtd. 2.5.2001 rebate of 5% on the total bill of the consumer onwards 3rd monthly bill is to be allowed in case the defective/stopped meter is not replaced by the Nigam. It is, therefore, enjoined upon all concerned that as soon as meters are installed or replaced, the advice 3A also be sent immediately to the computer agency for correct billing. Incharge of computer billing at various Headquarters will not accept advice 2A in respect of above categories in absence of Advice 3A.

(NARENDRA DHUNNA)
FINANCIAL ADVISOR.

AJ-REV.-24

No.AVVNL/FA&COA/Sr. AO(Rev.)F 25(iii)/D 2593 DATED : 26.10. 2002

**CIRCULAR**

In order to implement order No. AVVNL/SE (Plan) D 3759 Dt. 26.10.02 (R.E.-AJ-47) issed by the Chairman & Managing Director, AVVNL, Ajmer for providing relief in the payment of the difference of the minimum charges to Agriculture (Metered) category consumers, having tariff code 4000 form the billing month of Nov. 02, following directions are issued :-

1) Difference of minimum billing will be calculated and shown as usual in the bill as well as ledger except that this amount shall now be credited to the consumer account under transaction code 46. This amount shall be shown in MIS 3.2 in column “realisation by adjustment.” Computer agencies will generate input advice of above code on their own.

2) A separate report showing list of such consumers shall be prepared for the amount adjusted and furnish to the concerned Sub-Divisions with each billing cycle and also to the undersigned at the end of each month in Proforma attached at “A” along with consilidated position of circle as a whole.

3) The amount of difference of minimum billing shall also be shown credited in the bill in the adjustment column. An asterisk (*) shall be printed in the column of difference of minimum billing and words ‘‘राज्य सरकार द्वारा देय है’’ shall be printed below the details of Meter No. line by the computer agencies.

4) No effect is to be given for the energy chages billed from the billing month of Nov. 02 & onwards in the calculation of Annual Minimum Charges for the year 2002-03.

5) A journal voucher (in duplicate) would be provided by the Computer Agencies along with MIS 3.1 & 3.2 by debiting to "Revenue Subsidy/ grants receivable from Govt relief in minimum charges of Agriculture (Metered) consumers" and crediting to "Sundry debtors for the sale of powers-AG metered" Code 23.104.

6) In case bills for the month of Nov. 02 have been prepared and collected by the Sub divisions from the computer Agencies, then revised bills of tariff code 4000 may be obtained from the computer agencies alongwith necessary consumers ledger. Please ensure that bills to the AG metered category (tariff code 4000) are delivered after preparing in the manner, as above.

(NARENDRA DHUNNA)
F A & CONOTROLLER OF ACCOUNTS

AJ-REV.-26

No.AVVNL/FA&COA/Sr. AO(Rev.)F 25(iii)/D 3013 DATED : 7.2. 2003

**CIRCULAR**

In continuation to this office Circular No. AVVNL /FA & COA/Sr.AO (Rev.)/ F/ 25 (iii)/D. 2593 Dated 26.10.2002 (AJ-REV.-24) for providing relief in the payament of difference of mimimum charges to agricultrue metered category consumers (Tariff Code 4000), following directions for adjustment of difference of minimum billing are issued :-

1) Item No. 4 of Circular dt. 26.10.2002 may be deleted.

2) Credit if any allowable as per provision of tariff in conection with computation of minumum charges on annual basis then Computer Agencies would accord credit in consumer ledger in the ratio of amount of dirrerence of minimum billing recovered/levied during the billing month April; 02 to October; 02 & November; 02 & onwards.

3) In the energy bills, credit relating to period April; 02 to October; 02 is only to be accorded in the consumer's account.

4) Amount of credit allowable for the period November; 02 and onwards would be set off against the reimbursable amount by the State Govt. for the month of February, 03 & March, 03.

5) Computer Agencies would provide details of difference of minimum charges leviable in Feb. & March, 03 and credit allowed (for November,02 and onwards) in the month of February;03 & March;03 to this office in the Annexure already sent vide aforesaid circular.

6) Computation of difference of minimum billing is to be carried out as usual by the Computer Agencies and provided to the concerned in the billing month of Feb; 03 & March; 03.

Therefore in case bills of some Sub Divisions/Cycles have already been issued prior to issue of this Circular, then necessary reprocess of consumers ledger for the month of Feb; 03 would be carried out by the Computer Agencies, so that MIS 3.1 & 3.2 are prepared on realistic basis.

(NARENDRA DHUNNA)
F A & CONOTROLLER OF ACCOUNTS

अज-राजस्व-28

क्र/अविविनिलि/वि.स.एवं ले.नि. /(रा.)/राजस्व/25(iii)/प्रे. 3368 दि. 19.2.2003

## परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र सं. अ.वि.वि.नि.लि./वि.स. एवं ले.नि./व.ले.(रा)/प. 25 (iii) प्रे. 2593 दि. 26.10.02 (राजस्व 24) एवं समसंख्यक परिपत्र सं. 3013 दिनांक 7.2.03 (राजस्व 26) के द्वारा कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई (टैरिफ कोड़ 4000) के उपभोक्ताओं को न्यूनतम बिलिंग राशि के अंतर की राहत प्रदान की गई थी।

निगम के आदेश सं. अ.वि.वि.नि.लि. /अ.एवं प्र.नि./अ अ (योजना)/प्रे. 720-5816 दिनांक 18.2.03 (आर.ई.-अ.ज.: 56) के तहत अब यह सुविधा मीटर्ड सप्लाई के विशेष श्रेणी वाले कृषि उपभोक्तओं (टैरिफ कोड़ 4200 एवं 4400) को भी बिलिंग माह मार्च 2003 से प्रदान की जाती है, इस आदेश की अनुपालना में प्रक्रिया पूर्व में जारी परिपत्र सं. राजस्व - 24 एवं राजस्व - 26 के अनुसार ही रहेगी जो बिलिंग माह मार्च 2003 से प्रभावशील होगा। बिलिंग माह फरवरी 2003 तक पूर्व आदेशानुसार जारी किये गये बिलों का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार देय होगा।

(नरेन्द्र धुन्ना)
वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक
अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर

आरई-अज-106

क्र/अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ.(योजना)/प्रे. 2435 दि. 30.7.2005

## आदेश-249

विषय :- कृषि कनेक्शनों के भार को विभाजित करने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में कृषि नीति 2004 (संशोधित 18.9.04) के बिन्दु संख्या 23(iv) के अनुसार पूर्व में स्थापित कुएं की मोटर एच.पी. को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसमें उपभोक्ताओं को कठिनाई महसूस हो रही थी। अत: जन-प्रतिनिधियों व उपभोक्ताओं की मॉग को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि स्थापित कुएं की मोटर एच.पी. को दो भागों में उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार उसी खेत परिसर/खसरा/मुरब्बा में स्थापित दूसरे कुएं में स्थानान्तरित किया जा सकता है जिसके लिये उपभोक्ता से कृषि कनेक्शन नीति (संशोधित 18.9.2004)के बिन्दु संख्या 10(I) के अनुसार राशि ली जायेगी।

उदाहरणार्थ स्थापित कुएं (अ) की मोटर 40 एच.पी. की है। उपभोक्ता इसमें से 20 एच.पी. (कम या अधिक अनुपात में भी) का भार दूसरे कुऐं (ब) में स्थानान्तरित करना चाहता है, तो कुएं (ब) पर स्थानान्तरित करने के लिये उपभोक्ता से कृषि कनेक्शन नीति (संशोधित 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 10(I) के अनुसार राशि ली जावेगी तथा स्थापित कुएं (अ) के शेष रहे भार 20 एच.पी. का सहायक अभियन्ता द्वारा अनुमोदन कर दिया जावेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, विभाजित दूसरा कनेक्शन भी उसी 11 केवी फीडर से जारी किया जावेगा जिससे कि विद्यमान कनेक्शन चाले है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आरई-अज-107

क्र/अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ.(योजना)/प्रे. 2581 दि. 6.8.2005

## आदेश-270

विषय :- स्थापित 11/0.4 केवी, 25 केवीए ट्रांसफार्मर से दूसरा कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 9 (ii) (घ) के अनुसार कृषि कनेक्शन हेतु एल.टी. लाईन एबी केबल द्वारा ट्रांसफार्मर से कुए तक सीधी खींची जावेगी व उसकी दूरी 270 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। लाईन को टेप कर कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।

उक्त प्रावधान से कई जगह एक ही कनेक्शन होने के कारण ट्रांसफार्मर की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है अत: यह प्रावधान किया जाता है कि 270 मीटर की जगह 320 मीटर तक की

दूरी पर स्थित दूसरे कुए तक एल.टी. लाईन खींच कर कनेक्शन दिया जा सकता हैं। ऐसे प्रकरणों को स्वीकृत करने से पूर्व अपने उच्चाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आरई-अज-108

क्र/अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ.(योजना)/प्रे. 2851 दि. 26.8.2005

## आदेश-287

विषय :- कृषि कनेक्शनों के भार को विभाजित करने के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम के आदेश आरईअज-106 दिनांक 30.07.05 में यह प्रावधान है कि स्थापित कुएं की मोटर एच.पी. को दो भागों में उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार उसी खेत परिसर/खसरा/मुरब्बा में स्थापित दूसरे कुएं में स्थानान्तरित किया जा सकता हैं। जिसके लिये उपभोक्ताओं से कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 10 (i) के अनुसार राशि ली जायेगी।

कृषकों को राहत प्रदान करने के लिये समन्वय समिति की दिनांक 1 व 02-जुलाई-2005 को आयोजित 83वीं बैठक के बिन्दु संख्या 83.37 के (ii) में यह निर्णय लिया गया कि स्थापित कुएं की मोटर एच.पी. को दो भागों में उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार खेत परिसर/खसरा/मुरब्बा में स्थापित दूसरे कुऐं पर स्वयं की केबल से स्थानान्तरित करने पर निगम द्वारा उपभोक्ता से राशि वसूल नहीं की जायेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आरई-अज-109

क्र/अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ.(योजना)/प्रे. 2874 दि. 29.8.2005

## आदेश-289

विषय :- कृषि कनेक्शन की वरीयता के सम्बन्ध में।

कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 6 ''ग्रामवार वरीयता'' के सम्बन्ध में भारतीय किसान संघ, राजस्थान प्रदेश के द्वारा दिनांक 11.07.2005 को उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार मॉग की गई कि सामान्य कृषि कनेक्शनों की वरीयता मॉग पत्र जमा होने के बाद ग्रामवार के स्थान पर उपखण्डवार रखी जावें। इस विषय पर समन्वय समिति की 27.07.2005 को आयोजित 84वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों की वरीयता मॉग पत्र जमा होने के बाद ग्रामवार न रख कर उपखण्डवार रखी जावें।

अत: सामान्य कृषि कनेक्शनों की वरीयता मॉग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से ग्रामवार के स्थान पर उपखण्ड वार रखी जावें, जिससे मॉग पत्र की राशि जमा होने के बाद उपखण्ड के सभी गांवों में मॉग पत्र जमा के क्रम में कनेक्शन दिये जा सकें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आरई-अज-110

क्र/अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ.(योजना)/प्रे. 3275 दि. 19.9.2005

## आदेश-319

वित्तीय सलाहकार अजमेर निगम द्वारा बिलिंग एजेन्सी को जारी पत्र संख्या AVVNL/MD/FA & COA/Sr. AO (Rev.)/F CB/D. 576 Dated 4-6-2005 की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जावे। सभी नगर पालिकाओं द्वारा घोषित कच्ची बस्ती की सूची एवं उनमें रहने वाले बीपीएल परिवारों की सूची प्राप्त करे। उन कच्ची बस्तियों में से बीपीएल परिवार के मुखिया या उसके परिवार के अन्य सदस्य के नाम घरेलू लाईट के चालू कनेक्शनों को सर्वे कराकर चिन्हित करे तथा उनका टैरिफ कोड 1400 लगाकर बिलिंग एजेन्सी को प्रेषित करें। समस्त अधीक्षण अभियंता (वृत) उक्त कार्यवाही 15.10.05 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

आरई-अज-111

क्र/अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ.(योजना)/प्रे. 3276 दि. 19.9.2005

## आदेश-320

राज्य सरकार द्वारा स्प्रिंकरल/ड्रिप सिचांई कनेक्शनों में प्रति यूनिट दर से रू 0.10 की छूट का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक AVVNL/MD/FA & COA/Sr. AO (Rev.)/F CB/D. 576 Dated 4-6-2005 द्वारा मीटर्ड कृषि कनेक्शन धारकों द्वारा उक्त छूट लेने पर बिलिंग की विधि को स्पष्ट किया गया हैं। इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि किसानों को छूट के प्रावधान का ज्ञान न होने के कारण लाभान्वित होने योग्य किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे है। अत: उक्त प्रावधान को उचित प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैं।

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व) समस्त बिलिंग ऐजेन्सियों को कृषि मीटर्ड बिलों में निम्न वाक्य अंकित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
   ''यदि आप फव्वारा/बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर रहे है तो आप के विद्युत बिल में 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट के लिये अपने सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क करें।''
2. इस योजना में लाभन्वित होने योग्य किसानों द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क करने पर उनसे संलग्न प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र भरवाया जाकर उसकी जांच सहायक अभियंता द्वारा की जाये एवं प्रार्थना-पत्र योग्य पाया जाने पर सहायक अभियंता द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाकर टैरिफ कोड "P" अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

## फव्वारा बूँद-बूँद पद्धति द्वारा सिंचाई करने पर छूट हेतु

सेवा में

श्रीमान् सहायक अभियंता (  )

अ.वि.वि.नि.लिमिटेड .....

मैं/हम* फव्वारा बूँद-बूँद पद्धति द्वारा सिंचाई कर रहे है अत: मुझे/हमें* राज्य सरकार द्वारा घोषित छूट 10 पैसे प्रति यूनिट का लाभ देने का कष्ट करें। मेरे कृषि कनेक्शन का विवरण निम्नानुसार है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | उपभोक्ता (ओ) का नाम | : | ..... |
| 2. | खाता संख्या | : | ..... |
| 3. | पता | : | ..... |
| 4. | टेरिफ कोड | : | ..... |
| 5. | सम्बद्ध विद्युत भार | : | .....HP |
| 6. | मीटर नं | : | ..... |

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

श्री ..... के खाता संख्या ..... के खेत पर अधोहस्ताक्षर कर्त्ता द्वारा .....दिनांक को जांच की गई एवं उपरोक्त वर्णित पद्धति द्वारा सिंचाई होना पाया गया/नहीं पाया गया *।

कनिष्ठअभियंता

उपरोक्त खाता संख्या में .....छूट का लाभ देने हेतु टेरिफ कोड में P अंकित कर दिया जाए/नहीं पाने पर उपभोक्ता को सूचित कर दिया जाए *।

सहायक अभियंता

बिलिंग एजेन्सी को खाते में P कोड अंकित करने के लिए निर्देश /आवेदक को नोटिस पत्र सं. ..... दिनांक ..... से जारी कर दिया गया*।

सहायक राजस्व अधिकारी

*जो लागू न हो काट दिया जाए।

वाणिज्यक-अज-03

क्र/अजमेर डिस्काम/व.ले.अ./एफ. 3/प्रे. 140 दि. 25.8.2000

## आदेश

विषय :- कृषि उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धरोहर राशि की वसूली मासिक किश्तों में करने बाबत्।

विद्यमान प्रावधानों के अनुसार कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धरोहर राशि की वसूली के लिये नोटिस प्रेषित किये गये हैं। इन नोटिसों की प्राप्ति पर अनेक कृषि उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों में जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध कराने की मॉग की जा रही है। कृषि उपभोक्ताओं की मॉग पर विचार कर निगम ने यह निर्णय लिया है कि कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त धरोहर राशि बिना निलम्बित भुगतान दण्ड /ब्याज के तीन मासिक किश्तों में जमा कराने की सुविधा/प्रदान की जावे। समस्त सहायक अभियन्ताओं को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं को धरोहर राशि की वसूली के लिये दिये जाने वाले नोटिसों में उपभोक्ता द्वारा पूर्व में जमा की गई धरोहर राशि का समायोजन कर लिया गया है और यदि उक्त राशि के समायोजन बिना धरोहर राशि वसूली का नोटिस जारी किया गया है तो अब संशोधित शेष राशि की वसूली की जावें। अब धरोहर राशि की वसूली के लिये जो नोटिस प्रेषित किये जावें उनमें धरोहर राशि को तीन मासिक किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होने का उल्लेख किया जावें।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वाणिज्यक-अज-05

क्र/अविविनिलि:मुलज:अजमेर डिस्काम/वाणिज्य/प्रे. 379 दि. 20.9.2000

## आदेश

विषय :- कृषि मीटर्ड सप्लाई के उपभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क वसूली के संबंध में।

मंडल के आदेश क्रमांक 573 दि. 25 मई 2000 (कॉमरिशियल - 506) के द्वारा कृषि मीटर्ड श्रेणी के उपभोक्ताओं से वास्तविक उपभोग या न्यूनतम शुल्क जो भो अधिक हो के आधार पर मासिक बिलिंग तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में न्यूनतम शुल्क का समायोजन अंतिम रूम से किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। इस संबंध में गहन विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि कृषि श्रेणी मीटर्ड श्रेणी (ग्रामीण व शहरी) उपभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क, मण्डल की पूर्व अधिसूचना संख्या 3958 दिनांक 15.12.99 (कामरिशियल - 450) के अनुसार ही वित्तीय वर्ष के अन्त में (माह मार्च में) वार्षिक आधार पर ही वसूल किया जाये। तदानुसार, कृषि मीटर्ड श्रेणी (ग्रामीण व शहरी) के उपभोक्ताओं को मासिक बिल तुरन्त प्रभाव से वास्तविक उपभोग के अनुसार दिये जाये व वित्तीय वर्ष के अन्त में मार्च माह में न्यूनतम शुल्क का निर्धारण पूर्व माहों में जारी किये गये विद्युत बिलों के समायोजन करके किया जाये। यह आदेश बिलिंग माह अक्टूबर, 2000 से प्रभावी होगा।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वाणिज्यक-अज-06

क्र/अजमेर डिस्काम/व.ले.अ./अ.सं./प्रे. 600 दि. 11.10.2000

## आदेश

विषय :- बढ़े हुये भार की स्वैच्छिक घोषणा।

पूर्व में रा.रा.वि.मं. द्वारा जनहित में कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को बढ़े हुये लोड की 31.7.2000 तक स्वैच्छिक घोषणा करने पर कई रियायतों दी गई थी। इससे कृषि उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली। अब उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना को पुन: चालू करने की मांग की जा रही है। अत: कृषकों एवं जन प्रतिनिधियों की उक्त मांग को मध्य-नजर रखते हुये अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में इस विषय पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि इस योजना को 31.12.2000 तक बढ़ा दिया जावे।

उक्त निर्णयानुसार दिनांक 31.12.2000 तक यह छूट दी जा रही हे कि जो कृषक अपने बढ़े हुये लोड की स्वयं घोषणा करेगा, उससे मात्र 700/-(सात सौ रूपये प्रति हार्स-पावर अश्व शक्ति) जिसमे सर्विस कनेक्शन चार्जेज सम्मिलित हैं, के हिसाब से चार्ज किये जायेंगे। आवश्यकता होने पर नई 11 केवी लाईन एवं सब-स्टेशन का खर्चा अजमेर डिस्काम वहन करेगा। इस दौरान अजमेर-डिस्काम के अधिकारी का कृषकों के कुओं का पूर्ण सर्वे करेंगे तथा स्थापित भार के स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे। इस सर्वे के दौरान कोई अधिभार के मामले न बनाकर त्वरित गति से बढ़े हुये भार की स्वीकृति जारी की जावे तथा इस आदेश में उल्लखित छूट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाये। सर्वे मे सामने आये तथा स्वैच्छिक घोषित दोनों प्रकार के मामले 15 दिवस के भीतर निस्तारित किये जाये तथा अगले बिलिंग माह से बढ़े हुये भार के बिल जारी हानो सुनिश्चित किया जाये। दिनांक 31 दिसम्बर 2000 तक प्राप्त हुये सभी मामलों में सहायक अभियन्ता भार वृद्धि स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत रहेगा। 31 दिसम्बर, 2000 के पश्चात यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इस तिथि के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा स्वयं लोड बढ़ाने के आवेदन पर सम्पूर्ण लाईन के आधे चार्जेज तथा 1450/- रूपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से चार्ज किये जायेंगे। विजिलेंस चैंकिंग में अधिक लोड़ पाये जाने पर बढ़े हुए लोड़ के लिए 2950/- रुपये प्रति हॉर्स पावर एवं सम्पूर्ण लाईन चार्जेज लिये जावेंगे।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

COMML-AJ-09

No.AJ-DISCOM: C&MD/Sr. AO/AJZ/F.4/D 999 DATED : 21.11. 2000

**CIRCULAR**

The fodder Scheme for release of Agriculture connections for raising fodder was introduced by Erstwhile RSEB vide Order No. RSEB : Dy. CE (RE-1/ LD) D. 2544 dated 14.12.99 (REA-176). In the first instance this Scheme was made applicable for normal agricultural applicants registered up to 13.12.99 Application under this Scheme were receivable up to 31.12.99 and connections were required to be released up to 31.3.2000. It was prescribed in the said order that for such connections in Urban area tariff @ 110 Paise/Unit and in the rural area flat rate @ Rs. 120/-per HP/Month was prosdribed to be charged. This Scheme was furthe extended for a specific period of two Months vide order No. RSEB: Dy. CE: RE (S&I-SEC.):F. 1201:D.3131 dated 10.3.2000 (REA-192). Where new application for raising fodder were receivable up to 9.5.2000.

Later on the Erstwhile RSEB vide order No. RSEB: Dy.CE(RE) Sec.9:D. 51 dated 22.6.2000 (REA-207) at para 13 had introduced on special scheme which was purely optional for the existing agriculture applicants opting for out of priority connections. Where the rate of tarifff was Rs. 120/- per HP/Month under Flat Rate. The operation of para 13 of the RSEB order dated 22.6.2000 preseribing higher tariff for special category of connections to agriculturists in general was stayed by the Rajasthan State Electricity Regulatory Commission vide order dated 1.9.2000.

Doubts have been received from the various field officers in light of the above montioned orders and the order 1.9.2000 of RERC, the replies to the clarifications sought are as under:-

| | QUERY | COMMENTS |
|---|---|---|
| 1. | Whether the applications registered under order dated 14.12.99 (Ist. Phase) and extended order dated 10.3.2000 (2nd. Phase) and connections released now tariff as prescribed in the order dated 14.12.99 can be applied or not. | Yes, the tariff prescribed in the order dated 14.12.99 is to be applied. |
| 2. | Whether the filed officers should continue to accept the new applications under 'special Category' of Agriculture connections. | No |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | What tariff is to be applied on the Special Category of Agriculture connection. | As alrgady indicated at item (1) above. |
| 4. | Since the carriff for Sepecial :- Category of connections has been stayed, whether we should issue the demand notices/ release connections for applications accepted registered afeafther 22.6.2000. | Demand Notices should be issued only for those appli cation for connections for fodder which were received up to 31.12.99 in terms of order dated 14.12.99 nad up to 9.5.2000 in terms of the order RE-192 Only. |

All the filed officers shall ensure compliance of these instructions accordingly.

(M.K. Jain)
Sr. ACCOUNTS OFFICER (AJZ)

वाणिज्यक-अज-11

क्र/अ.ज.डिस्काम/व.ले.अ./प्रे. 1148 दि. 5.12.2000

विषय :- कृषि कुओं पर विद्युत चोरी पाये जाने के बाद विद्युत कनेक्शन जारी करने की योजना की समाप्ति के स्पष्टीकरण बावत्।

पूर्व में जारी मण्डल आदेश सी.ओ. 24 दिनांक 28.9.99 के तहत कृषि कुओं पर विद्युत चोरी पाये जाने पर नियमानुसार राशि जमा कराने पर तुरन्त विद्युत कनेक्शन जारी करने के प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। आर.ई.ए. 201 के अनुसार उक्त स्कीम के तहत दिनांक 6.5.2000 के बाद कोई कनेक्शन जारी नहीं किये जाने थे। अत: उक्त आदेश सं. 201 दिनांक 6.5.2000 को पुन: उद्धरित करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे तथा कृषि कुओं पर विद्युत चोरी पाये जाने पर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करारी जाये तथा आगे विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जावें।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वाणिज्यक-अज-12

क्र/अ.ज.डिस्काम/व.ले.अ./प्रे. 1139 दि. 5.12.2000

## आदेश-125

विषय :- अकाल की स्थिति के कारण कृषि कनेक्शन हेतु हरा चारा योजना।

राज्य में अकाल की स्थिति को देखते हुये पिछले वर्ष राज्य सरकार के निर्देशनुसार, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने घास-चारा पैदा करने वाले कृषकों को कृषि कनेक्शन देने हेतु एक स्कीम प्रारम्भ की थी।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (ग्रामीण विद्युतीकरण) के आदेश क्रमांक रारविम/उपुम/प्र.नि. निरी/प्रा.नि./प्रे. 2544 जयपुर, दिनांक 14.12.1999 (आर.ई.-178) के द्वारा साधारण श्रेणी में जिन कृषकों ने 13.12.1999 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये वे ही इस योजना में शामिल किये गये। इस योजना के इच्छुक आवेदक को सादे कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ रूपये 2000/-(अक्षरे रूपये दो हजार मात्र) तथा यह भी घोषणा करनी थी कि ये अपने कुऐं द्वारा सिंचित भूमि में 50 प्रतिशत जमीन पर अगले 6 माह तक चारा उगायेंगे। यह स्कीम 31 दिसम्बर, 1999 तक ही प्रभावी थी।

आदेश संख्या रारविम/ग्रावि/सर्वे एवं जांच/अनु/फा.120/प्रे. 120 प्रे. 3131 दिनांक 10.3.2000 द्वारा पूर्व में घोषित योजना को कुछ संशोधन कर अकाल की स्थिति को देखते हुए घास-चारा उगाने के इच्छुक किसानों के लिए अगले दो माह यानी 9 मई 2000 तक के लिये बढ़ा दी गयी। इस द्वितीय चरण में नये आवेदन कर्त्ताओं को भी शामिल किया गया था। 9 मई 2000 के बाद यह योजना बन्द कर दी गई।

विद्युत वितरण निगम ने अकाल की स्थिति को देखते हुये कृषि कनेक्शन हेतु इस वर्ष भी घास-चारा पैदा करने के लिये हेतु हरा चारा योजना पुनः तत्काल प्रभाव से लागु करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 30 जून 2001 तक लागू रहेगी। बाकी शर्ते पहले के आदेश क्रमांक रारविम/ग्रावि/सर्वे एवं जॉच/अनु./फा. 120/प्रे. 120/प्रे. 3131 दिनांक 10.3.2000 के अनुसार रहेगी।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वाणिज्यक-अज-17

क्र/अविविनिलि/अ. एवं प्र.नि./व.लि.अ./वाणिज्य/प 4/प्रे. 1479 दि. 10.1.2001

## आदेश-195

अजमेर विद्युत वितरण निगम के वाणिज्य आदेश अज-6 जो दिनांक 11.10.2000 द्वारा जारी किया गया था, के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं को दिनांक 31.12.2000 तक अपने बढ़े हुए विद्युत भार की स्वैच्छिक घोषणा करने की सुविधा प्रदान की गई थी।

जन प्रतिनिधियों एवं उपभोक्ताओं की ओर से यह मांग लगातार की जाती रही है कि उपरोक्त सुविधा को बढ़ाया जावें, जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा सके।

उपरोक्त मांग पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि यह सुविधा कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 31.3.2001 तक बढ़ाई जाती है। आदेश संख्या 600 दिनांक 11.10.2000 (वाणिज्य अज-6) में दर्शाये गये चार्जेज अमानत राशि एवं अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वाणिज्यक-अज-21

क्र/अविविनिलि/अ.अ./वाणिज्य/प्रे. 2094 दि. 16.3.2001
कैम्प-बांसवाड़ा

## आदेश

विषय : कृषि कनेक्शनों को उसी गांव या साथ वाले गांव में स्थानान्तरण करने के क्रम में :-

अजमेर डिस्कॉम के आदेश संख्या :- अविविनिलि/अअ/सर्वे एवं जाचं/प. 1201/प्रे. 27 दिनांक 13.11.2000 के अनुसार सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने के लिए 11/0.4 के.वी. सबस्टेशन स्थापित करने की पूरी कीमत लिये जाने के आदेश है।

इस संबंध में अकाल की स्थिति एवं उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को देखते निर्णय लिया गया है :-

यदि कनेक्शन हो जाने पर परिस्थितियों के दबाव के कारण कनेक्शन वहीं रखना उपभोक्ता के वश में नहीं हो तो कनेक्शन उसी गांव या साथ वाले गांव में स्थानान्तरित किया जा सकता है, यदि दोनों जगह जमीन पांच वर्षों से अधिक समय से उसी उपभोक्ता की हो। अधिशाषी अभियन्ता इसकी स्वीकृति दे सकते है। कनेक्शन के स्थान परिवर्तन से पहले उपभोक्ता को पूरी बकाया राशि जमा करानी होगी। नये स्थान पर तकमीना नये कनेक्शन की तरह एल.टी. रहित प्रणाली से बनाया जायेगा विद्युतीकृत 'ग्राम जिनमें कृषि कनेक्शन गांव में एक भी कृषि कनेक्शन नही' योजना में दिये गये, को पांच वर्ष तक स्थानान्तरित नहीं किये जावेगें। कनेक्शन का नये स्थान पर लोड घटाया नही जावेगा। कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने

के खर्चे उपभोक्ता से निम्न प्रकार लिये जायेगें।

1. पुरानी 11 के.वी./एल.टी. लाईन को हटा कर नयी जगह पर लगाने के लिए पोल की पूरी कीमत का एक तिहाई दर से चार्ज किये जायेंगे। वर्तमान में एक पोल के 90 मीटर स्पान की कीमत रूपये 11000/- है। नयी जगह पर अतिरिक्त लाईन का खर्चा रूपये 125/-प्रति मीटर लिया जावेगा।

2. सब-स्टेशन /ट्रान्सफार्मेशन चार्जेज रूपये 1450/- प्रति.हार्स पावर समस्त उपभोक्ताओं से लिया जावेगा।

3. यदि 11 के.वी. लाईन के वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक है तो कृषि स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कनेक्शन उसी लाईन पर स्थानान्तरित होता है तो कनेक्शन स्थानान्तरित कर दिया जावे।

नये स्थान पर कनेक्शन उसी श्रेणी में चालू किया जायेगा। पुन: कनेक्शन के दो वर्ष तक सामान्यत: कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में दो वर्ष के अन्दर भी मुख्य अभियन्ता (पवस) की स्वीकृति लेकर उसी गांव या साथवाले गांव में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वाणिज्यक-अज-22

क्र/अविविनिलि/अ.अ./वाणिज्य/प्रे. 2093 दि. 16.3.2001

## आदेश

विषय :- दिनांक 29.3.96 से 7.6.98 तक जारी नर्सरी कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी की (कैम्प बाँसवाडा) फ्लेट रेट में परिवर्तन करने बाबत्।

मण्डल के आदेश क्रमांक राराविमं/उमुअ/ग्रावि. अनु-9 प्रे. 51 दिनांक 22.6.2000 (आर.ई.ए. 207) के बिन्दु संख्या 14 एवं स्पष्टीकरण संख्या 897 दिनांक 12.7.2000 (आर.ई.ए. 210) के अनुसार 29.3.98 से 7.6.98 को छोड़कर 31.3.2000 तक जारी नर्सरी श्रेणी के समस्त कनेक्शनों के जारी होने के दो साल पश्चात विद्युत बिल साधारण श्रेणी की फ्लेट रेट की दर से करने के आदेश है। दिनांक 29.3.98 से 7.6.98 तक जारी किये गये नर्सरी कनेक्शनों को उनके समकक्ष तिथि की सामान्य श्रेणी की वरीयता के कृषि कनेक्शन जारी होने की तिथि से विद्युत बिल सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट से जारी करने के आदेश है। इस सम्बन्ध में अकाल की स्थिति एवं उक्त उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि 31.3.2000 तक जारी नर्सरी श्रेणी के समस्त कनेक्शनों को उनके जारी होने के दो वर्ष पश्चात विद्युत बिल सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट की दर से जारी किया जावे।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वाणिज्यक-अज-23

क्र/अविविनिलि/अ. अ./वाणिज्य/प्रे. 97 दि. 22.3.2001

## आदेश

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, के वाणिज्य-अज-6 जो दिनांक 11.10.2000 द्वारा जारी किया गया था, के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं को दिनांक 31.12.2000 तक अपने बढ़े हुए विद्युत भार के नियमन हेतु स्वैच्छिक घोषणा करने की सुविधा प्रदान की गई थी। जन प्रतिनिधियों एवं उपभोक्ताओं की मांग पर इस सुविधा का विस्तार इस निगम के वाणिज्य आदेश - अज-17 द्वारा दिनांक 31.3.2001 तक कर दिया गया था।

जन प्रतिनिधियों एवं कृषि उपभोक्ता इस सुविधा के विस्तार के लिए निरन्तर मांग कर रहे है क्योंकि प्रदेश में अकाल के कारण अधिकांश कृषि उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके है।

उपरोक्त मांग पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि अब उपभोक्ता बढे हुए भार का नियमन दिनांक 30.4.2001 तक करवा सकते है। आदेश संख्या 600 दिनांक 11.10.2000 (वाणिज्य-अज-6) में वर्णित चार्जेज अमानत राशि एवं अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

COMML-AJ-24

No.AVVNL/CMD/Sec.SE(Comml.) Tariff/D.142 Date : 31.3. 2001

## ORDER

Sub. :- Installation of shunt capacitor at Agriculture Consumer premises having Motor Pump set more than 3 H.P. and other category more than 25 H.P.

As per the existing provisions unde clause No. 28 (b) of General Condition of Supply & Misc. Charges and various orders issued by erstwhile RSEB for installation of shunt capacitor of suitable rating for the agriculture consumers having Motor Pump sets or other appliance of the rating above 3 H.P. are required to maintain power factor within permissible limits. The above, practice is strictly not being followed by the field officers. Recently, Rajasthan Electricity Regulatory commission has passed an order on dated 24.3.2001 and directed vide para No. 230 which contained that all connections in agriculture category above 3 H.P. and all ohter category of consumer with connected load more than 25 H.P. shall install shunt capacitor within three months of Notice.

It is therefore, enjoined upon all field officers that all new connections of above categories should be released with the suitable rated capacity of ISI marked shunt capacitor also 3 months notice be served to those existing consumers who have not provided for having defective shunt capacitors for installing / re-

placing the same by new one of ISI standard mark, failing which attract surcharge @ 2% of billed amount for the period of default after specified time.

This order shall come in to force w.e.f. 1.4.2001.

(K. S. Rathore)
Chairman & Managing Director

COMML-AJ-25
No.AVVNL/CMD/Sec.SE(Comml.) Tariff/D.141 Date : 31.3. 2001

**ORDER**

Sub. :- Release of new agriculture connections hence forth 1.4.2001

Consequent upon the order passed by Rajasthan Electricity Regulatory commission on dated 24.3.2001 for fixation of tariff for retail supply of power, it has been directed & direction - contained in para No. 217 that all new connections for agriculture consumers should be released in the metered category only.

It is therefore, enjoined upon all field officers to release all new agriculture connections w.e.f. 1.4.2001 under metered category only.

(K. S. Rathore)
Chairman & Managing Director

COMML-AJ-65
No.AVVNL/Dy.CE(CM&V)/XEN-I/D. 2676 Date : 25.10. 2001

**ORDER**

Sub. :- Delegation of Powers.

With a view to simplity the existing procedure, rules & regulations, regarding release of connections to various categories of consumers, following revised powers are being delegated with immediate effect to Asstt. Engineers (O&M) for sanction of connections :-

1. AENs (O&M) are hereby authorised to accord technical and financial sanction of estimates of all categories of connections upto 25 KW load which do not involve augumentation of HT line or providing of new transformer, irrespective of financial limit (amount of estimate).

2. AEN (O&M) are also authorised to accord technical & financial sanction for PHED connections upto 11kv supply irrespective of the amount of the estimate.

(K. S. Rathore)
Chairman & Managing Director

COMML-AJ-99
No.AVVNL/CMD:DY.CE:CM&V:XEN-II:2002:D. 1569 Date : 31.5. 2002

**ORDER**

Sub. :- "Amnesty Schemes" for Domestic, Non - Domestic, Agriculture & Industrial Consumers, Municipalities, Local Bodies & Govt Departments for realization of outstanding dues thereof.

Vide orders No. AVVNL/DY.CE(CM&V)XEN-II/F/2002/D-662, 661 & 663 (COMML-AJ-91,90&92) dated 4-5-2002, three nos. of "Amnesty Schemes" were introduced for realization of outstanding dues from Domestic, Non-Domestic, Agriculture & Industrial consumers, Municipalities, Local Bodies & Government Departments respectively. These Schemes were vaild upto 31.5.2002. The period of all these three Schemes is hereby extended upto 15.6.2002.

However, the other terms & conditions shall remain unchanged.

(K. S. Rathore)
Chairman & Managing Director

COMML-AJ-101
No.AVVNL/CMD:DY.CE:CM&V:XEN-II:2002:D. 1799 (B) Date : 15.6. 2002

**ORDER**

Sub. :- "Amnesty Schemes" for Domestic, Non - Domestic, Agriculture & Industrial Consumers, Municipalities, Local Bodies & Govt Departments for realization of outstanding dues thereof.

Vide orders No. AVVNL/DY.CE(CM&V)XEN-II/F/2002/D-662, 661 & 663 (COMML-AJ-91,90&92) dated 4-5-2002, three nos. of "Amnesty Schemes" were introduced for realization of outstanding dues from Domestic, Non-Domestic, Agriculture & Industrial consumers, Municipalities, Local Bodies & Government Departments respectively. These Schemes were vaild upto 31.5.2002 which was extended up to 15.6.02 vide order No. AVVNL/DY.CE(CM&V)/XEN-II/2002/

D-1569 dated 31.5.2002 (COMML-AJ-99). The period of all these three Schemes is hereby further extended upto 30.6.2002. However, the other terms & conditions shall remain unchanged.

(K. S. Rathore)
Chairman & Managing Director

COMML-AJ-103
No.AVVNL/CMD:DY.CE:CM&V:XEN-II:2002:D. 1910 Date : 20.6. 2002

**CLARIFICATION**

It has come ot notice that the field officers are applying different tariff for the connections under Community/Co-operative Lift Irrigation Schemes. The matter was reviewed by the RERC on representation of Kotri Krishak Sangh, Sawaipur, Distt. Bhilwara and it has been directed that the Community/Co-operative Lift Irrigation Schemes will be covered under general agricultrue category if they are not connected to continuous/24-hour supply feeders and under agriculture "others" category if they are on continuous/24-hour supply area/feeder. All field officiers are hereby directed to adhere to the above clarificaiton with immediate effect.

(K. S. Rathore)
Chairman & Managing Director

COMML-AJ-104
No.AVVNL/CMD:DY.CE:CM&V:XEN-II:2002:D. 2092 Date : 6.7. 2002

**ORDER**

Sub. :- "Amnesty Schemes" for Domestic, Non - Domestic, Agriculture & Industrial Consumers, Municipalities, Local Bodies & Govt Departments for realization of outstanding dues thereof.

Vide orders No. AVVNL/DY.CE(CM&V)XEN-II/F/2002/D-662, 661 & 663 (COMML-AJ-91,90&92) dated 4-5-2002, three nos. of "Amnesty Schemes" were introduced for realization of outstanding dues from Domestic, Non-Domestic, Agriculture & Industrial consumers, Municipalities, Local Bodies & Government Departments respectively. These Schemes were vaild upto 15.6.2002 which was extended up 30.6.2002 vide order No. AVVNL/DY.CE(CM&V)/XEN-II/2002/D-1799 dated 15.6.2002 (COMML-AJ-101). The period of all these three Schemes is hereby further extended upto 15.7.2002. However, the other terms & conditions shall remain unchanged.

(K. S. Rathore)
Chairman & Managing Director

COMML-AJ-133

No.AVVNL/CE(COMML)/XEN-I/F 57/2003/D. 1740 Date : 15.7.03

**ORDER**

Sub. :- "Amnesty Schemes" for Domestic, Non - Domestic, Agriculture & Industrial Consumers, Municipalities, Local Bodies & Govt Departments for realization of outstanding dues thereof.

Vide orders No. AVVNL/DY.CE(Comml)XEN-II/F-57/2003/D-1036, 1037 & 1038 dt. 13.6.2003 (Comml-AJ-129,130, 131) three "Amnesty Schemes" were introduced for realization of outstanding dues from Domestic, Non-Domestic, Agriculture & Industrial Consumers, Municipalities, Local Bodies & Government Departments respectively. These Schemes were vaild upto 15.7.2003. The period of all these three "Amnesty Schemes" are hereby extended upto 15.8.2003.

Other terms & conditions shall remain the same.

(K. S. Rathore)
Chairman & Managing Director

COMML-AJ-134

No.AVVNL/CE(COMML)/XEN-I/F-57/2003:D. 2312 Date : 31.7.2003

**ORDER**

Sub. :- Laying of separate feeder for Industrial & Non-domestic connections situated in Rural Area (s) for connecting them from continuous supply feeders.

It was prescribed vide order No. Comml. 499 Dt. 22.5.2000, that any Industrial & Non-domestic consumers situated in Rural Area (s) if want to have direct feeder from urban area supply for getting continuous power supply, the same could be allowed if the consumer pays 50% of the estimated cost for laying the direct feeder. The balance 50% shall be borne by erstwhile Board (now Ajmer Discom).

This matter was reviewed by the Co-ordination Committee in its 59th meeting held on 5th July, 2003 and it has been decided that henceforth industrial & non-domestic consumers having HT supply voltage situated in rural areas, can be given supply through continuous supply feeders provided the full estimated cost of line to be drawn in this regard is borne by th consumer. Accordingly facility provided by order No. Comml. 499 would stand withdrawn with immediate effect.

(K.C. MODI)
Chief Engineer (Comml)